खण्ड-176, अंक-6
बुधवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1878
(22 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसराइल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेर्तासिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह राजा,
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का किसानों को वितरण

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों की लोन्स (Loans) देने के लिये केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि केवल प्रसार विकास खंडों में ही प्रदेशीय सरकार द्वारा वितरित की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि एन० ई० एस० और आई० डी० स्कीमों में इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत दी जा सकती है। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे प्रान्त में एन० ई० एस० ब्लाक खुल जायेंगे, इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मिली हुई धनराशि पूरे प्रान्त में वितरित हो सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री फूलसिंह—यह तो हर ब्लाक में अलग-अलग योजना है। उनके आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह धनराशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने वाली है उसमें प्रति वर्ष वृद्धि होगी या जो पहले साल मिली है वही मिलेगी ?

श्री फूलसिंह—यह तो ब्लाक की अवधि के लिये अलग-अलग धनराशि नियुक्त होती है।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने का आश्वासन

२—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूं के बढ़ते हुये भाव को रोकने के लिये प्रदेशीय सरकार को १ लाख टन गेहूं प्रदान किया है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को प्रदेश की अन्न स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक मात्रा में गेहूं देने का आश्वासन दिया है। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार के अनुरोध पर लगभग १३,००० टन गेहूं रिलीज करने के आदेश दिये हैं।

३—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा पीड़ित क्षेत्रों में बढ़ते हुये गल्ले के भाव को रोकने के लिये वे कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर गेहूं बेचने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय नियोजन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में गेहूं का भाव कितना है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---कहीं १६ रुपये मन है, कहीं साढ़े सोलह रुपये मन और कहीं १७ रुपये मन की खबर है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जो गल्ले की दूकानें खोली जायंगी उन पर गेहूं किस भाव से बेचा जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---साढ़े चौदह रुपये मन।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि मोटे गल्ले की दूकानें भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा खोलने की योजना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मोटा गल्ला तो सरकार के पास उस मात्रा में है नहीं। सरकार द्वारा शुरू अप्रैल में कुछ मोटा गल्ला खरीदा गया था। लाख, डेढ़ लाख रुपये का गल्ला देवरिया को भिजवा दिया गया है और जो थोड़ा बहुत गल्ला है वह भी इसी प्रकार से भेजा जायगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि अन्न के बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिये ये दूकानें कबाल टाउन्स में ही खोली जायंगी या अन्य स्थानों में भी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ये दूकानें कबाल टाउन्स में ही खोलने का विचार है। ये दूकानें अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी खुलेंगी जहां बहिया आयी है या सूखा इत्यादि पड़ी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---केन्द्रीय सरकार ने जो सरकार को इस वक्त एक लाख टन गल्ला दिया है उसकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? क्या उसमें से कुछ गल्ला वितरित किया गया है?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने एक लाख टन कबूल नहीं किया है, १३ हजार टन उनको मिला है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूं देने का वायदा किया है? यदि किया है तो कितना और उसका वितरण किस प्रकार से किया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केन्द्रीय सरकार ने एक लाख टन गेहूं देने का वायदा किया है, १३ हजार टन जैसा कि अभी बतलाया गया है हमको मिल गया है और ३५ हजार टन का शिपमेंट अगले महीने में मिलेगा। इसी तरह से आयन्दा और मिलता रहेगा। जहां तक वितरण का सवाल है कई स्थानों पर कबाल टाउन्स में जहां आवश्यकता थी वहां ये दूकानें खोल दी गयी हैं और देवरिया इत्यादि जहां पर ये गल्ले भेजे गये हैं या मुजफ्फरनगर जिले में भी दूकानों के द्वारा गल्ला वितरित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न २ के जवाब में आपने कहा "जी नहीं" और यहां पर कह रहे हैं कि सरकार एक लाख टन गेहूं प्रदान करेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि सही उत्तर क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वायदा किया है लेकिन अभी दिया नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वक्त प्रदेश के कई भागों में २० रु० प्रति मन के ऊपर भी भाव है? यदि हां, तो कहां-कहां?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दूकानें खोलने के स्थान और दूकानें खोलने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई हिदायत प्रान्तीय सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जिलाधीशो के ऊपर यह सब कार्य-भार छोड़ दिया गया है। वे स्थान भी निर्णय करते हैं और व्यक्तियों को भी निर्णय करते हैं और व्यक्तियों को ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों में से छांटते हैं जिन्होंने समय-समय पर जब कि ऐसा समय आया है गल्ले का वितरण किया है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभावग्रस्त और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मोटे गल्ले की कीमत बढ़ गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हो सकता है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या सरकार गल्ला-वितरण के लिये इस सुझाव पर विचार करेगी कि गल्ले का वितरण कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जहां यह सम्भव होगा और होता है वहां ऐसा किया जाता है। बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में अधिकतर गल्ला सोसाइटीज के तहत में ही बंटवाया जाता है।

श्री गेंदासिंह––अभी श्री रामसुन्दर पांडेय जी के जवाब में अन्न मंत्री जी ने कहा कि हो सकता है। यदि ऐसा है तो उस सम्बन्ध में कीमत को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––वैसे तो गल्ले की बढ़ती हुई कीमत के रोकने का विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है क्योंकि नियंत्रण इत्यादि का सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकार ने अवश्य गल्ले की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिये यह कार्य किया है कि बैंकों और रिजर्व बैंक को ऐसी हिदायत दी है कि बैंक्स बड़े-बड़े गल्ले के खरीदारों को अधिक रुपया गल्ला खरीद कर जमा करने के लिये न दें। साथ ही में जो सस्ता गेहूं वे वितरण करा सकते हैं उसे विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करावें और गल्ले के दामों को न बढ़ने दें। ये दो चीजें केन्द्रीय सरकार द्वारा हो रही हैं और उन्हीं से यह आशा की जाती है कि कदाचित गल्ले की बढ़ती कीमत बढ़ने न पावे।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मोटे गल्ले की कमी के कारण अभाव-ग्रस्त देवरिया के अलावा जो बचे हैं उन कमी को सरकार किस तरह से पूरा करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी तो जैसा कि बतलाया गया कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं बटवाया जा रहा है और ये जो बड़े-बड़े टाउंस (शहर) हैं जहां गल्ला बहुत खर्च होता है वहां यह बटवाया जा रहा है ताकि गल्ले की कीमत बढ़ने न पावे। अगर गल्ले की कीमत बढ़ भी जाती है तो वहां सस्ते गेहूं की दूकानें खुलवा कर गल्ले की कीमत बढ़ने पर रुकावट डाली जायगी।

तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ जिले में गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने का आश्वासन

*१––**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)––क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के किन-किन क्षेत्रों में किस-किस गृह उद्योग तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है और वह कब तक लाग हो सकेगी ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)--दूसरी पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में विभिन्न गृह तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। उदाहरण के लिये छाते की तीलियां व गरारी बनाने का उद्योग, सूटकेस का सामान बनाने का उद्योग, यंत्रचालित खिलौने बनाने का उद्योग, ताला उद्योग, चर्मकला और चर्मशोधन उद्योग, कटलरी उद्योग, सुगंधित तैल बनाने का उद्योग इस जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत चलाये जायेंगे। कौन-कौन उद्योग किस स्थान पर खोला जायेगा इसका निर्णय वहां की जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

*२--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस तहसील क्षेत्र में कटलरी, करघा उद्योग और चमड़े का सामान बनाने के उद्योगों के लिये वह क्या सहायता कर रही है?

श्री बनारसीदास--हाथरस में एक चाकू औद्योगिक शिक्षालय तथा उत्पादन केन्द्र चल रहा है जिस पर लगभग ६,००० रुपया वार्षिक व्यय होता है। करघा उद्योग की सहायतार्थ हाथरस तहसील में बुनकर सहकारी समितियों को गत वित्तीय वर्ष में ३,४७५ रुपया अनुदान, ५,००० रुपया ऋण और १७,७१५ रुपया ९ आना छट के रूप में दिया गया। एक बिक्री केन्द्र तथा एक रंगाई केन्द्र खोले गये हैं।

चमड़े का सामान बनाने के लिये कोई सहायता नहीं दी गई।

*३--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या उद्योग मंत्री हाथरस में एक सहायक संचालक उद्योग विभाग का कार्यालय और उद्योग प्रदर्शन केन्द्र खोलने पर विचार कर रहे हैं?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला नियोजन कमेटी ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया है? यदि नहीं, तो उसकी रिपोर्ट सरकार सदन में कब तक प्रस्तुत कर सकती है?

श्री बनारसीदास--अभी तक तो जिला नियोजन समिति ने कोई परामर्श नहीं दिया है लेकिन जैसे-जैसे योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार निश्चय करेगी वह उस से परामर्श लेगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस चाकू उत्पादन केन्द्र पर कौन मशीनें पहुंच गई हैं और कौन सी अभी पहुंचने को बाकी हैं?

श्री बनारसीदास--वैसे तो यह केन्द्र सन् ४९ से चल रहा है और इस वर्ष नए वित्तीय वर्ष में जो व्यवस्था है उसके अनुसार वहां मशीनें भेजने की व्यवस्था की जा रही है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड ने एक उप-समिति बना दी है जो सारी स्कीम को एग्जामिन कर के रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट जल्द ही सरकार के पास आयेगी और उसके आने के तुरन्त बाद ही यह देख कर कि क्या-क्या मशीन वहां भेजी जायं, उनकी व्यवस्था की जायगी।

आजमगढ़ जिले में अनुचित दामों पर ईंटें बेचने की शिकायत

*४--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में रेट से अधिक रुपये में ईंट बेचने की शिकायत अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा की गई है?

श्री बनारसीदास--जी हां। आजमगढ़ जिले में रेट से अधिक मूल्य पर ईंटें बेचने की शिकायत केवल एक नागरिक द्वारा की गई थी।

*५—**श्री उमाशंकर**—यदि हां, तो उसमें किस अधिकारी ने जांच की और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री बनारसीदास—सप्लाई इन्सपेक्टर द्वारा जांच होने पर शिकायत निराधार साबित हुई ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने शिकायत की है और उन्होंने किस खास भट्टे की शिकायत की है ? यदि हां, तो किसकी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उनका नाम श्री बनवारीलाल राय है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में ईंटों का रेट क्या निर्धारित किया गया है और यह शिकायत किस भाव पर बेचने की थी ?

श्री बनारसीदास—ईंट कंट्रोल आर्डर के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट भाव निश्चित करते हैं, शिकायत यह थी कि उससे अधिक दर पर ईंटें बेची गईं भाव की सूचना जिला मैजिस्ट्रेट के पास ही रहती है इस वक्त मेरे पास नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहें वह मंगाई जा सकती है ।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने किस भट्टे की शिकायत की है ?

श्री बनारसी दास—यह उन्होंने आम तौर से शिकायत की थी, उसकी जांच वहां के सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा कराई गई जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी शिकायत निराधार थी ।

जालौन जिले में गृह उद्योगों के लिए सहायता

*६—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की प्रत्येक तहसील में मुख्यतः कौन-कौन गृह उद्योग चल रहे हैं और उनकी उन्नति के लिये गत दो वर्षों से किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तहसील जालौन और कोंच में किसी भी गृह उद्योग के लिये आज तक कोई भी सहायता या अनुदान नहीं दिया गया इसके कारणों पर सरकार प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—यह सहायता तो ज्यादातर प्रार्थना-पत्रों पर निर्भर करती है । प्रार्थना-पत्र नहीं आते तो उसका प्रश्न पैदा नहीं होता । इसके अतिरिक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच की जाती है जहां आवश्यकता होती है वहां देते हैं ।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि तहसील कोंच और जालौन में कर्घा उद्योग के अलावा चर्म शोधन का काम भी होता है ? यदि हां, तो इसको बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास—यदि माननीय सदस्य ने देखा होगा तो ज्ञात होगा जो सूची संलग्न है उसमें उसका पूरा विवरण दिया गया है ।

*७-८—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[२९ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

मिलों पर गन्ने की शेष कीमत

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजन १९५४–५५ व ५५–५६ की कितने गन्ना की कीमत किन-किन मिलों पर अलग-अलग कितनी शेष है और क्यों ?

श्री फूलसिंह—

(क) वांछित सूचना तालिका 'क' में दी हुई है ।

(ख) सीजन १९५४–५५ का बकाया प्रधानतः मिलों और काश्तकारों के आपसी हिसाब किताब की गड़बड़ी के कारण पड़ा रह गया है । सीजन १९५५–५६ का बकाया विशेष रूप से मिलों के आर्थिक संकटों के कारण है अधिकतर मिलों के चीनी के स्टाक समय पर नहीं निकल पाये और इस कारण वे गन्ने का मूल्य अभी तक अदा नहीं कर सके ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३७–४३८ पर)

*१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पिछले दो सीजनों में किन-किन मिलों द्वारा किसानों को उनकी बकाया गन्ने की कीमत मय सूद के दिलवायी है ? यदि कहीं नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—

(क) प्राप्त सूचना के अनुसार गत दो सीजनों १९५३–५४ और १९५४–५५ में जिन-जिन मिलों के विरुद्ध बकाया मूल्य और सूद की वसूली के लिए रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये उनकी सूचना तालिका "ख" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

*११—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि १९५४–५५ सीजन के अतिरिक्त मुनाफे के किसानों में बटवारे में क्या देरी हो रही है और प्रदेश की किस-किस मिल के किसानों को यह मुनाफा मिलेगा ?

श्री फूलसिंह—सीजन १९५३–५४ में जिस फारमूला से अतिरिक्त मूल्य के दर निश्चित किये गये थे उसमें उचित संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक Expert Committee स्थापित की थी ? इस कमेटी की रिपोर्ट इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस विषय में अन्तिम निर्णय होने पर काश्तकारों को १९५४–५५ सीजन का अतिरिक्त मूल्य दिलाया जायेगा ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि किसानों को अभी तक अतिरिक्त मुनाफे में से कुछ दिया गया है या नहीं ?

श्री फूलसिंह—अभी यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, जब तय हो जायगा तब दिलाया जायगा ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५४–५५ के गन्ने की कीमत किसानों की जो मिलों के ऊपर बाकी है, उसकी रिकवरी के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री फूलसिंह—जिन-जिन सोसाइटीज की एप्लीकेशन्स आयी हुई हैं, उनके सार्टिफिकेट्स जारी किये जा रहे हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ९–११ श्री बलवन्तसिंह ने पूछे ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी उन मोटी-मोटी रकमों का संकेत कर देंगे जिस से सदन को मालूम हो जाय कि कितनी रकम बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी बहुत बड़ी फेहरिस्त है, उसके पढ़ने की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वक्त कितनी रकम सेस की और गन्ने की कीमत की बकाया है और कितनी मिलों पर बकाया है ?

श्री फूलसिंह—यह तो गन्ने की कीमत का सवाल था। यह रकम २१६ लाख के करीब बकाया है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन मिलों के ऊपर अधिक रुपया बकाया है वहां की जो सोसाइटीज हैं उनको सरकार यह हिदायत करेगी कि वह रिकवरी के लिये जल्द कार्यवाही करके सरकार के पास जल्द भेज दें ?

श्री फूलसिंह—पिछले साल तो अधिकतर मिलों पर सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं और रुपया वसूल किया जा रहा है। कुछ मिलों से बातचीत करके दिलाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५४–५५ की कितनी रकम गन्ने की कीमत की बकाया है ?

श्री फूलसिंह—५४–५५ की बकाया ९.५ लाख है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ५४–५५ को जो किसानों की यह रकम मिलमालिकों पर बकाया है तो यह मिलमालिकों की गलती से बकाया है या किसानों के मिलमालिकों से किसी संघर्ष के कारण ?

श्री फूलसिंह—यह तो उत्तर में कहा गया है कि वह आपस के झंझट के कारण बकाया है।

श्री गेंदासिंह—कितनी रकम के सर्टिफिकेट अब तक इश्यू हो चुके हैं और कितनी मिलों पर ?

श्री फूलसिंह—इनको जोड़ने में तो काफी समय लगेगा, फेहरिस्त पर बहुत से निशान लगे हुए हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस मुनाफे का जिक्र सरकार ने इस सवाल में किया है उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी जो उस जमाने में थे, वे उस मामले में मध्यस्थ थे लेकिन अभी तक उसके न मिलने से किसानों में बड़ा असंतोष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय का संबंध केन्द्रीय सरकार से है। उन्होंने इसका निर्णय करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी जिसमें उन्होंने चन्द व्यक्तियों को इस बात की जांच करने के लिये और इस पर निर्णय देने के लिये नियुक्त किया था। अब उस कमेटी की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों को गन्ने की कीमत न मिलने का कारण जो झंझट बताया जाता है, इस झंझट की नेचर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह 'झंझट' शब्द उनकी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजनारायण--सरकार ने अभी यह बतलाया कि किसानों और मिलमालिकों में कुछ झंझट है जिसके कारण उन्हें गन्ने की कीमत नहीं मिल पायी है तो क्या सरकार बतायेगी कि उस झंझट की नेचर क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय सदस्य दो चीजों को एक में मिला कर कंफ्यूजन कर रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा प्राफिट के सिलसिले में है और एक गन्ने की कीमत के सिलसिले में है जो कि गन्ना वहां दिया गया था। तो एक्स्ट्रा प्राफिट कितना मिला प्राइस के हिसाब से, जितनी चीनी बिकी थी उसके जरिये किसानों को अधिक रुपया दिलाने की। वे चाहते हैं कि किसानों को अधिक रुपया दिलाया जाय और उस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त की जाय और वह कमेटी अपनी सिफारिश करे। केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि जो गन्ने की थोड़ी सी रकम बाकी है उसको वे दे दें। जहां तक एक्स्ट्रा प्राफिट की बात है,गन्ने की कीमत से कितना आया है और कितना गन्ना सप्लाई किया था उसका झगड़ा कहीं-कहीं रहता है जिसकी वजह से गन्ने की कीमत का पेमेंट नहीं हो पाता है। तो उस सिलसिले में जांच से मालूम हुआ कि कई फैक्टरियों ने जिन्होंने किसानों के गन्ने का दाम अभी तक नहीं दिया है उस सिलसिले में सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं। २१, २२ सर्टिफिकेट्स फैक्टरियों पर जारी हुए हैं, जिनके ऊपर गन्ने की कीमत साढ़े ९ लाख रुपये बाकी है।

*१२-१३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गरीब गर्भवती स्त्रियों के लिए निःशुल्क दुग्ध वितरण की व्यवस्था

*१४--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल के बजट में जिन गरीब स्त्रियों के बच्चा पैदा होने वाला हो उनको दूध दिये जाने के लिये जो धनराशि मंजूर की गई थी उसमें से (अ) कितनी, (ब) कैसे और (स) कहां-कहां खर्च की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--१९५५-५६ के बजट में २,००,००० रु० की धनराशि गर्भवती माताओं को निःशुल्क १ पौन्ड दूध प्रतिदिन देने के लिये स्वीकृत हुई थी। यह दूध केवल उन्हीं स्त्रियों को दिया जाता है जिनकी या जिनके पति की आय १०० रु० प्रति माह से अधिक न हो। दूध केवल ३ माह तक बच्चा होने के डेढ़ माह पहले और बच्चा होने के डेढ़ माह उपरान्त दिया जाता है। यह योजना निम्नलिखित नगरों तथा जिलों में लागू है। इस योजना में इन नगरों तथा जिलों में १९५५-५६ में इस योजना पर व्यय हुई:

धनराशि उनके सम्मुख अंकित है:

	रुपया	आ०	पाई
नगर			
लखनऊ	४,६९९	१०	३
कानपुर	१,०५४	१	०
वाराणसी	१,०३७	०	०
इलाहाबाद	१,२५३	६	०
आगरा	३२१	१३	०
जिला			
गोरखपुर	१,६१५	६	६
गाजीपुर	१,९१०	१३	९
सहारनपुर	१,७१९	१०	०
बुलन्दशहर	१,६७५	१२	६
योग ..	१५,२३७	९	०

*१५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इस वर्ष इस योजना को और भी अधिक विस्तृत (प्रसारित) किया गया है ? अगर हां, तो कितना और कहां-कहां ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस वर्ष इसके अनुदान में १,००,००० की बृद्धि कर दी गयी है तथा इस योजना को मुजफ्फरनगर और बस्ती के नगरों में प्रसारित करने का विचार हो रहा है ।

*१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह योजना देहातों में और जच्चा-बच्चा अस्पतालों में भी चालू कर दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह योजना गोरखपुर, गाजीपुर, बुलन्दशहर तथा सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है । दूध बाटने के लिये निम्नलिखित संस्थायें स्वीकृत कर ली गयी हैं:

१—जिले या नगरों के समस्त जच्चा-बच्चा केन्द्र चाहे वे सरकार के किसी विभाग द्वारा अथवा नगरपालिका, जिला बोर्ड या रेडक्रास द्वारा संचालित हो ।

२—जिलों या नगरों जहां पर यह योजना लागू है वे समस्त चिकित्सालय ।

३—रामकृष्ण मिशन या समाज कल्याण विभाग की तरह की गैर-सरकारी सुचारु रूप से चलने वाली संस्थायें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दूध दिया जाता है उसका हिसाब कैसे रक्खा जाता है ? जब उनको दूध मिलता है तो उनसे कोई रसीद ली जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रत्येक केन्द्र में जहां कहीं ऐसी माताओं को दूध दिया जाता है उसके लिये बाकायदा एक रजिस्टर होता है और जो दूध देने वाला आता है वह रजिस्टर में दर्ज कर देता है तब दूध उनको मिलता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह १०० रुपये मासिक से कम आय वाले की जो सीमा रक्खी गई है उसकी जांच किन साधनों से की जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो महिलायें इन केन्द्रों में नाम लिखाती हैं नाम लिखाने से पूर्व उन्हें यह सारी सूचना उस केन्द्र के इंचार्ज को बतलानी पड़ती है और उसके हिसाब से यह दूध वितरण किया जाता है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो योजना किसी जगह लागू की गई है और किसी जगह नहीं तो किस आधार पर यह योजना लागू की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—योजना के सिलसिले में पहले हमने कुछ जिले और शहर छांटे थे और उसका कोई खास आधार नहीं बनाया था । सिर्फ आधार तो यह था कि कुछ जिले और कुछ स्थान पूर्वी जिलों के ले लिये जायं और कुछ पश्चिम के । अभी हमने इस योजना को एक ऐक्सपेरीमेंट के रूप में प्रारम्भ किया है ।ज्यों २ सफलता इसमें मिलती जायगी और जितने २ साधन हमारे पास अधिक उपलब्ध होते जायंगे, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी उन जिलों में जो गरीब जिले माने जाते हैं वहां इस योजना को लागू करने के लिये पहले प्राथमिकता देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गरीब जिले भी इसमें रख लिये गये हैं बस्ती आदि के जिले गरीब ही हैं और गरीब मानकर ही इस योजना के सिलसिले में इसमें जोड़ा है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि देशी दूध दिया जाता है या पाउडर मिल्क दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे खयाल में इस स्कीम के तहत में "देशी" दूध का वितरण विभिन्न स्थानों पर होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में रु० ४,६९९-१०-३ और आगरा में रु० ३२१-१३-० जो खर्च हुए हैं इसमें आगरा में इतना कम रुपया खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा में प्रबन्ध होने में जरा देरी हुई । यह कोई मतलब नहीं था कि आगरे में कम दूध खर्च किया जाय । इस वर्ष जो खर्च के अनुमानित आंकड़े आये हैं और खर्चा जितना हुआ है उससे विदित होता है कि आगरे में भी अब प्रत्येक स्त्री के अनुपात में कम खर्चा नहीं हो रहा है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिम में वे कौन से जिले हैं जहां पर यह योजना प्रसारित की गई है और पूर्वी वे कौन से जिले है जहां पर यह योजना चालू है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो लिस्ट पढ़ दी गई है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में अधिक दूध खर्च हुआ बनिस्बत आगरा के तो क्या लखनऊ में अधिक प्रसूता थी, या कोई और कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लखनऊ में जल्दी और अच्छा इंतजाम हो सका क्योंकि यहां जो डेरी है उसके वितरण का इंतजाम अच्छा है और वह जल्दी से भी इंतजाम कर सकी । इसलिये लखनऊ में सुगमता के साथ और जरा जल्दी कार्य हो सका । प्रारम्भ में जब यह स्कीम चालू की गयी तो योजना के बनाने में भी और संचालित करने में भी कुछ समय लगता है और कुछ कभी-कभी जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश इत्यादि हो जाते हैं उनकी सूचना में भी देरी होती है । इसलिये पूरी तौर से उस योजना के ऊपर कार्य नहीं हो सका । परन्तु इस वर्ष पूरी तरह से उस योजना के तहत में कार्य हो रहा है और इस साल बजट में जो ३ लाख रुपया रखा गया है ऐसी आशा की जाती है कि उसके तहत में ज्यादा से ज्यादा रुपया और ज्यादा से ज्यादा दूध का वितरण हो सकेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो और नगरों में प्रसार करने का विचार हो रहा है उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो एक लाख रु० ही इस साल बढ़ा है तो उसके जिन नगरों के और जिलों के नाम मैंने बताये वहां कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है और वहां भी वितरण का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन जिलों के अतिरिक्त जिनकी सूची अभी पढ़ कर सुनायी गयी है अन्य जिलों में भी यदि उन्हीं संस्थाओं के द्वारा जिनको अभी बताया गया है प्रार्थना-पत्र आयें तो वहां भी इस योजना के चालू करने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा सम्भव नहीं है । साधन तो सीमित हैं और योजना को ऐक्सपेरीमेंट के रूप में ही हमने रखा है । ज्यों-ज्यों साधन बढ़ते जायंगे हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में और इस योजना को लागू करने की चेष्टा करेंगे ।

*१७--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[२९ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रदेश की चालू गन्ना मिलें

*१९--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की गन्ने की कितनी मिलें चालू हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश की ६७ गन्ने की मिलें चालू हैं।

गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था

*२०--श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)--क्या सरकार गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई व्यवस्था स्वयं कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

बनारसीबाग, लखनऊ में पशु-पक्षियों के भोजन पर दैनिक व्यय

*२१--श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारसीबाग लखनऊ में पक्षियों तथा अन्य जानवरों के भोजन इत्यादि पर प्रतिदिन कितना खर्चा सरकार को करना पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चिड़ियाघर (जू गार्डेंस) में आजकल पशुओं एवं पक्षियों के भोजन इत्यादि पर नित्य एक सौ त्रेपन रुपया बारह आने केवल व्यय किया जाता है।

*२४-२३--श्री व्रजभूषण मिश्र--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के भवन निर्माण की स्वीकृति में विलम्ब

*२४--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने गोरखपुर राजकीय टेक्निकल इन्सटीट्यूट को बढ़ाने के लिये कुछ धन स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो वहां भवन निर्माण के लिये विभाग से स्वीकृत क्यों नहीं जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, राजकीय टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर को पुनस्संगठित करने के लिये सरकार ने १,२३,५०० रुपया स्वीकृत किया था। इसमें से ७३,६०० रुपया भवन निर्माण के लिये है।

विस्तृत मानचित्र तथा अनुमानित व्यय का ब्योरा प्राप्त होने पर भवन निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी जायेगी।

राज्य में कपड़े का आयात

*२५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष तथा इस वर्ष मार्च, अप्रैल व मई में इस प्रांत में कपड़े का कितना आयात हुआ ?

श्री बनारसीदास—राज्य के कपड़े के व्यापारियों ने गत वर्ष तथा इस वर्ष मार्च, अप्रैल, व मई में जो कपड़ा आयात किया वह इस प्रकार है:—

		गांठें
मार्च १९५५ में	.. ..	२१,३८३ १/२
अप्रैल ,,	.. ..	२७,४०३ १/२
मई ,,	.. ..	२६,५४९
	कुल ..	७५,३३६
मार्च १९५६ में	.. ..	१९,८९२
अप्रैल ,,	.. ..	२३,१४८ १/४
मई ,,	.. ..	२९,६६२ ३/४
	कुल ..	७२,७०३

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ की अपेक्षा सन् १९५६ में आयात कम क्यों हुआ ?

श्री बनारसीदास—यह कोई विशेष अन्तर तो नहीं है। माननीय सदस्य आंकड़ों से देखेंगे कि जैसे अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा हुआ और मई १९५५, और मई, १९५६ के आंकड़ों में कोई विशेष अन्तर नहीं है बल्कि १९५६ में १९५५ के मुकाबिले में ज्यादा आयात हुआ है। तो यह तो ट्रांस्पोर्ट वगैरह की कठिनाई की वजह से कभी-कभी ऐसी दिक्कतें हो जाया करती हैं।

लखनऊ का स्टेडियम

*२६—**श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ में 'स्टेडियम' के कब तक बन कर तैयार हो जाने का अनुमान है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसी वित्तीय वर्ष में स्टेडियम के बन कर तैयार हो जाने की संभावना है।

*२७—**श्री रणंजयसिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उक्त स्टेडियम का निर्माण स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में नये विकास खंड खोलने के संबंध में जानकारी

*२८—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में २ अक्तूबर, १९५६ से किन-किन स्थानों पर विकास खंड खोले जायेंगे ?

श्री फूलसिंह—यह अभी निश्चित नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह निश्चित है कि कितने विकास खंड खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले तो हम ऐसा अनुमान लगाते थे कि ९९ राष्ट्रीय प्रसार खंड इस वर्ष खुलेंगे। लेकिन अभी कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अपना निर्णय नहीं दिया है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कितने राष्ट्रीय प्रसार खंड इस वर्ष खुलेंगे। हम इस आशा में बैठे हुये हैं कि शीघ्र इस बात का निर्णय हो जावे और तब हम बता सकेंगे कि कितने खोलेंगे।

श्री गेंदासिंह--क्या अभी यह निश्चित नहीं है कि अगले पांच वर्षों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भीतर इतने विकास खंड खोले जायेंगे कि प्रदेश का कोई भाग बाकी नहीं रह जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हम तो अभी ऐसी ही आशा रखते हैं लेकिन जितना रुपया सारे प्रदेश में लगेगा तथा अभी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें धनराशि की सीलिंग की इत्तिला दी गई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उस सीलिंग की तहत ही में काम करना है और इस वचन को भी पूरा करना है कि सारे प्रदेश में हम प्रत्येक क्षेत्र को राष्ट्रीय प्रसार खंड के अन्दर कर दें तो अभी यह कहना मुश्किल है कि उस धनराशि की तहत में सारे प्रदेश में हम उतनी संख्या में राष्ट्रीय प्रसार खंड खोल सकेंगे। अभी लिखापढ़ी चल रही है, बात-चीत चल रही है और ऐसी आशा की जाती है कि जो घोषणा स्वयं केंद्रीय प्लानिंग कमीशन ने कर रखी है उसके तहत में हमारी धनराशि अवश्य बढ़ाई जायगी और उस वचन को पूरा करने की पूरी पूरी चेष्टा की जायगी जिसमें यह कहा गया था कि अगले पांच वर्षों में इस प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं रहेगा जो किसी न किसी राष्ट्रीय प्रसार खंड की तहत में न आ जाय।

श्री गेंदासिंह--पहले पहल राज्य सरकार ने कितने रुपये की मांग की थी और केंद्रीय सरकार की कितने रुपये की स्वीकृत थी और इस समय कितने रुपये की कमी उसने बतलायी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी याददाश्त से मैं आंकड़े बतला रहा हूं। उन्होंने २५३ करोड़ के जो सीलिंग राष्ट्रीय प्रसार खंडों के प्रसार के लिये रखी है उसमें हमारे हिसाब से करीब ३४,३५ करोड़ रुपया आता है। हमने जो मांग प्रस्तुत की थी वह ४०,४५ करोड़ की प्रस्तुत की थी। लेकिन बाद को ३४,३५ करोड़ की मांग हमने प्रस्तुत की है। उस हिसाब से कि जिसके तहत में अपने प्रदेश के लिये हम केंद्रीय सरकार से राष्ट्रीय प्रसार खंड के लिये रुपया ले सकें। हमारी जो राष्ट्रीय प्रसार खंड खोलने की सीलिंग है वह कदाचित् २६ करोड़ से अधिक बढ़ जाय। २६ करोड़ की धनराशि में याददाश्त से बता रहा हूं।

*२९--**श्री विश्रामराय**--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

श्री फूलसिंह--जी हां।

आजमगढ़ जिले में इन्दारा स्टेशन के निकट चीनी मिल खोलने की आवश्यकता

*३०--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के इन्दारा स्टेशन के पास कोई चीनी मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं।

आगरा जिले के जारूआ काटरा में अस्पताल की आवश्यकता

*३१--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि आगरा जिले के जारूआ काटरा और आस-पास के ग्रामों में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जारूआ काटरा से मालपुरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय केवल ४ मील की दूरी पर है। आगरा भी यहां से ९ मील है। इसलिये जब तक जिले के उन स्थानों पर अस्पताल न खुल जाय जहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, सरकार इस स्थान पर अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जारूआ काटरा के पास अकोला में जनता ने ७ हजार रुपया इसलिये इकट्ठा किया है कि अगर सरकार वहां कोई अस्पताल खोले तो वह उस रुपये को उसके लिये सरकार को दे दे ?

श्री बनारसीदास––इसकी सूचना तो नहीं है। लेकिन वहां जिले की परामर्शदात्री समिति ने इसके संबंध में अपनी कोई सिफारिश नहीं की है।

ताजगंज आगरा के जच्चा खाने में शय्याओं की कमी

*३२––**श्री देवकीनन्दन विभव**––क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताजगंज आगरा के जच्चा खाने में कितनी शय्यायें है और उन्हें बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––जिला आगरे के ताजगंज जच्चाखाने में इस समय केवल ५ पलंग हैं, आवश्यकतानुसार ९ पलंग तक बढायें जा सकते हैं। यह जच्चाखाना नगरपालिका आगरा द्वारा संचालित है और उसका विस्तार भी वही कर सकते हैं। वर्तमान भवन में इसका विस्तार संभव नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ताजगंज के जच्चा-खाने में शय्यायें बढ़ाने के लिये पहले सरकार ने नगरपालिका को लिखा था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि ताजगंज की आबादी को देखते हुये इस जच्चा खाने में जितनी शय्यायें हैं वह बहुत कम हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––हां, यह तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सिर्फ पांच शय्यायें हैं और नौ तक बढ़ाया जा सकता है तो वहां की आवश्यकतानुसार म्युनि-सिपैलिटी वहां की संख्या को बढ़ा सकती है।

श्री देवकीनन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को इस संबंध में कुछ आदेश भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––नगरपालिका की अपनी जिम्मेदारी है। नगरपालिका को स्वयं ही सोचना चाहिये इस संबंध में।

जेंती, जिला अल्मोड़ा में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

*३३––**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)––क्या यह सही है कि पट्टी सालम के निवासी पिछले सात आठ साल से जेंती (जिला अल्मोड़ा) में एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग सरकार से कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हां।

*३४––**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)––क्या सरकार को यह पता है कि जिला नियोजन समिति चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, अल्मोड़ा तथा संचालक, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश ने जेंती में शीघ्र एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की सिफारिश सरकार से की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी नहीं।

*३५––**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)––क्या सरकार पट्टी सालम के निवासियों की आवश्यकता तथा उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये शीघ्र ही जेंती, जिला अल्मोड़ा में एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का इरादा करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हां।

कुशीनगर के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के कर्मचारी

*३६—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) में एल० ई० एस० ब्लाक समाप्त करके दूसरा ब्लाक स्थापित किया है? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं और किस पद पर?

श्री फूलसिंह—कुशीनगर (कसिया) में एल० ई० एस० ब्लाक नहीं बल्कि सी० पी० ब्लाक था, जिसकी स्थापना १९५२-५३ में हुई थी और जिसकी अवधि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हो गई। चूंकि उक्त सी० पी० ब्लाक का क्षेत्र अत्यन्त वृहत था, अतएव अब उस क्षेत्र के लिये एक के स्थान पर तीन ब्लाक होंगे जिनमें दो नार्मलाइज्ड होंगे तथा एक एन० ई० एस० होगा। इस संबंध में केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

२—जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, नार्मलाइज्ड ब्लाक्स में तथा एन० ई० एस० ब्लाक्स में उतने ही तथा उन्हीं पदों के कर्मचारी होंगे, जो क्रमशः नार्मलाइज्ड एवं एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये स्वीकृत हैं।

*३७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त ब्लाक का एरिया निर्धारित नहीं किया गया है और न अब तक कोई योजना ही तैयार है?

श्री फूलसिंह—नहीं। समुचित व्यवस्था के लिये इन नये ब्लाक्स का क्षेत्र जन-संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है।

*३८—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त ब्लाक के कर्मचारियों का वेतन चार चार माह का बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—पांच ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं का वेतन केंद्रीय सरकार की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण रुका था। उक्त स्वीकृति अब प्राप्त हो गयी है तथा इन कार्यकर्ताओं के वेतन के भुगतान के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तीन ब्लाक्स खुलने जा रहे हैं वह किन किन स्थानों पर खुलने जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह—यह सूचना तो उपलब्ध नहीं है लेकिन इसी ब्लाक के तीन हिस्से कर दिये जायेंगे और उसी में कर दिये जायेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ब्लाकों पर कितने कर्मचारी स्वीकृत हैं और उनका वेतन क्रम क्या है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत लम्बा सवाल हो जायगा। आप केवल कर्मचारियों के बारे में बतला दें?

श्री फूलसिंह—एक डी० ओ० होता है, ए० डी० ओ० होता है और बाकी ग्राम सेवक होते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दो ब्लाक नार्मेलाइज्ड हो गये हैं, उनमें क्या हिसाब होगा और क्या काम होगा?

श्री फूलसिंह—जो एन० ई० एस० ब्लाक्स में है वही काम इनमें होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जनसंख्या के ऊपर यह निर्धारित किये जायेंगे?

श्री फूलसिंह--यह तो भिन्न भिन्न है, ४० हजार से लेकर ७०-७५ हजार तक है।

इलाहाबाद में मलाका जेल के स्थान पर अस्पताल बनने में विलम्ब

*३९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अस्पताल मलाका जेल खोदकर बनाया जा रहा था वह उस स्थान पर न बनकर दूसरे स्थान पर बनने जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बार-बार सरकार के कहने के बावजूद भी वहां पर अभी तक अस्पताल नहीं बन सका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, अभी तक नहीं बन सका, लेकिन अब तो कार्य शुरू हो गया है, जहां बनने वाला था और जहां जेल इत्यादि बनी हुई थी वह टूट गई है और वहां सामान इकट्ठा हो गया है और नीव पड़ने लगी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां कितना कार्य हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसका ब्योरा तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० ने मुझे सूचना दी है कि वहां कार्य प्रारम्भ हो गया है और ईंट वगैरा इकट्ठा हो गई है और कदाचित टेंडर्स के मंजूर करने की कार्यवाही शुरू हो गई है या मंजूर हो गये हैं।

चीनी मिलों से बकाया सेस की वसूली

*४०--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख १-८-५५ को भिन्न भिन्न चीनी मिलों के जिम्मे बकाया सेस की जो सूचना माननीय सदन को दी गई थी उसमे स किस किस मिल से कितनी कितनी रकम अदा हो चुकी और कितनी कितनी अभी भी बाकी है ?

श्री फूलसिंह--भिन्न भिन्न मिलों से १ अगस्त, १९५५ से ३१ मई, १९५६ तक सेस की जो रकम वसूल हुई और १ जून, १९५६ को जो बाकी रही उसका विवरण संलग्न †तालिका "क" और "ख" में दिया हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या मंत्री जी तालिका के अंतिम पृष्ठ के कालम तीन में एक अगस्त १९५५ तक की सेस की जो बकाया रकम है और कालम ९ में सेस की कुल जो बकाया रकम है, उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--अलग अलग आप चाहते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं, टोटल पढ़ कर सुना दें।

श्री फूलसिंह--तीन में तो ८२.४९ लाख रुपया और कालम ९ में ४५५.५७ लाख रुपया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाईकोर्ट से जो यह बकाया रकमों की वसूली मुल्तवी करने का आदेश हो गया है तो वे रकमें वसूल करने की बाबत या उस आर्डर को कैन्सिल कराने की बाबत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

† तालिका छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने ऐडवोकेट जनरल से यह कहा है कि वह हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस से निवेदन करके शीघ्र से शीघ्र जो आपत्ति मिल मालिकों के द्वारा उठायी गयी है उसके विषय में हाईकोर्ट का निर्णय प्राप्त करें और हाईकोर्ट से प्रार्थना करें कि इस मसले का फैसला वह शीघ्र ही कर दें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सेस के बारे में सूची (ख) में जवाब में लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने वसूली अन्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दी है, तो इस संबंध में सरकार वसूली को जायज करने के लिये सदन में कोई विधेयक उपस्थित करना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वसूली के विषय में दो बातें हैं। एक तो मिल मालिकों ने जो हमारा पहला कानून था उसके सिलसिले में हाईकोर्ट के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की और हाईकोर्ट ने हमारे पहले कानून की कुछ धाराओं को गैरकानूनी बताया जिससे सेस की वसूलयाबी में दिक्कत पैदा हुई और उस कानून की जो धारायें थीं उनमें जो खामियां थीं, जैसा हमारे लीगल ऐडवाइजर्स ने बताया, उनको दूर करने के लिये हमने एक कानून फिर से बनाया और उस कानून को प्रदेश में जारी किया। अब मिल मालिकों ने उस दूसरे कानून के विषय में भी हाईकोर्ट में आपत्ति दायर कर दी है। उस विषय में भी हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर्स दिये हैं और इन दोनों विषयों के संबंध में जो पूरी मालूमात हैं उनके सिलसिले में, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, हमने ऐडवोकेट जनरल से प्रार्थना की है कि वह शीघ्र ही हाईकोर्ट से तथा सुप्रीमकोर्ट से इन मसलों के ऊपर फैसला करवाने का प्रयास और प्रयत्न करें।

श्री गेंदासिंह--क्या उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि मिल वालों की आपत्ति क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दूसरा कानून जो आपने अभी बनाया उसमें सेस की वसूली के सिलसिले में जो "रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से" हमने धारा रखी है उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति की है। हमारे कानूनी सलाहकारों ने हमें बताया है कि यह आपत्ति उनकी ठीक नहीं है। जो कानून हमने बनाया है वह विधान के तहत में है और इस सदन को उसके बनाने का अधिकार है।

श्री गेंदासिंह--अगर उनकी आपत्ति केवल रेट्रास्पेक्टिव कानून बनाने पर है तो नया कानून बनने के बाद से जो सेस उनके ऊपर ड्यू है उसकी वसूली क्यों नहीं हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो अब हाईकोर्ट ने सबको स्टे आर्डर दे दिया है। जब तक वह स्टे आर्डर वापस न ले लिया जाय तब तक हम वसूली नहीं कर सकते। हमें ऐसी आशा है कि जो धारा हमने बनायी है और जिस सिलसिले में मिल मालिकों को आपत्ति है हाईकोर्ट में हमारा व्यू प्वाइन्ट मंजूर किया जायगा और हम यह रकम दिसम्बर के अन्त तक अवश्य वसूल कर लेंगे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो सेस की बकाया रकम बतायी गयी सदन को वह कितने वर्षों की बकाया रकम है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कुछ तो सेस की रकम इस वर्ष की है और कुछ मिलों के पास कुछ रकम पुराने पीरियड की है जैसा कि विवरण अभी सदन के सामने दिया गया है।

श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि जो बकाया रकम सदन को बतायी गयी उसमें ४,५ साल तक की बकाया रकम शामिल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो यह ८२ लाख की रकम बताई गई है उसमें ५४-५५ की रकम है और ५५-५६ की रकम तो जैसा मैंने अभी बतलाया है कि सभी मिलों की करीब-करीब बाकी है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न्यायालय के सामने यह जो आपत्ति उठाई गई वह केवल एक मिल मालिक ने उठाई थी या सभी मिलों के द्वारा उठाई गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक ने इस प्रश्न को उठाकर फायदा लेने की चेष्टा की लेकिन बाद को सभी ने जाकर हाईकोर्ट से स्टे आर्डर्स ले लिये।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बहुत सी मिलों के जिम्मे ५३-५४ का रुपया अभी तक बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हो सकता है कि कोई एकाध मिल ऐसी हो। मैंने इसका पूरा अध्ययन तो नहीं किया है कि किस-किसके पास कब का बाकी है। कुछ थोड़ी सी रकम किसी नादेहन्द मिल के पास हो सकती है या कोई खास समस्या आ गई हो लेकिन इसके ब्योरे को तो बहुत ध्यान से मैंने अध्ययन नहीं किया है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या यह जो सेस की रकम बाकी रहती है उस पर सरकार उनसे कोई ब्याज भी चार्ज करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, अब तो कानून में रखा गया है कि ६ प्रतिशत जो हमारा सेस बाकी रहेगा उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या यह जो ८२ लाख की रकम बाकी रह गई है उसमें कुछ मिलों ने एक पैसा भी अदा नहीं किया है जैसे खड्डा की मिल, मुंडेरवा मिल, बिजनौर धामपुर की मिल या अमरोहा की मिलें हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन मिलों से पैसा वसूल नहीं हुआ था उनके खिलाफ जिलाधीशों को, जो कानूनी कार्यवाही है उसके आदेश दे दिये थे और उसी के बाद मिलों ने स्टे आर्डर्स हाईकोर्ट से ले लिया। अब जो रकम बाकी है वह सब उन स्टे आर्डर्स की वजह से रुकी पड़ी है।

*४१--श्री नारायणदत्त तिवारी--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--४६--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७--श्री देवकीनन्दन विभव--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में पलिया स्थान पर कोआपरेटिव गन्ना मिल स्थापित करने के लिए गन्ने की कीमत में कटौती

*४८--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलिया तथा भीरा क्षेत्र, तहसील निघासन, जिला खीरी के गन्ना उत्पादकों ने पलिया में कोआपरेटिव गन्ना मिल स्थापित करने के लिये गन्ने की कीमत से कुल कितने रुपये की कटौती अब तक करवायी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पलिया तथा भीरा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक पलिया में कोआपरेटिव गन्ना मिल स्थापित करने के लिये १५ मई, १९५६ तक १० लाख १२ हजार रुपये की कटौती करा चुके थे। इसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

*४९—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार पलिया कलां में कोआपरेटिव गन्ना मिल स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

पन्नी जी शुगर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, बुलन्दशहर द्वारा गन्ना खरीदने के लिये केन्द्र

*५०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर शुगर मिल द्वारा गन्ना खरीद के कांटे किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं और उनमें एक दूसरे से अधिक से अधिक दूरी पर कौन-कौन कांटे हैं ?

श्री फूलसिंह—पन्नी जी शुगर एन्ड जनरल मिल्स कम्पनी बुलन्दशहर के गन्ना खरीदारी केंद्र गुलावठी वराल, सिकन्दराबाद, झांजर, खुर्जा, सलैमपुर, शिकारपुर, शिवाली और औरंगाबाद में हैं। इनमें जो एक दूसरे से अधिक से अधिक दूरी पर स्थित हैं वे औरंगाबाद, शिवाली खुर्जा और झांजर हैं जिनमें से प्रत्येक मिल द्वार से ११ मील पर है और बीच में कोई अन्य केंद्र स्थित नहीं है।

*५१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद से कुछ स्थानों पर गन्ना खरीद के कांटे लगाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो वह क्यों स्वीकार न हो सकी ?

श्री फूलसिंह—(क) १९५५-५६ सीजन में केवल तहसील सिकन्दराबाद के दादरी ग्राम के समीपवर्ती ग्रामों से दादरी में एक गन्ना खरीदारी केंद्र खोलने की मांग की गयी थी।

(ख) इस मांग के अस्वीकार होने का एक कारण यह था कि दादरी मिल द्वार से २२ मील दूर है दूसरा कारण यह था कि मिल ने अपने अभ्यर्पित क्षेत्र (Assigned area) से ३५ लाख मन गन्ना लेना स्वीकार किया था और वहां के लिये ४५ लाख मन गन्ने का बाण्ड हो चुका था। इन कारणों से दादरी जैसे दूरी पर स्थित ग्राम को खरीदारी केंद्र बनाना न तो economical होता और न उसकी कोई आवश्यकता थी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शिकारपुर जो स्थानिक उत्तर में कहा गया है उसकी दूरी मिल से कितने फासले पर है ?

श्री फूलसिंह—यह तो मैं कह चुका हूं कि ११ मील के करीब सब है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि तहसील सिकन्दराबाद के मंडी श्यामनगर कोटकाकुल ने गन्ना मिल खोलने की मांग की थी जो शिकारपुर से कम दूरी पर हैं ?

श्री फूलसिंह—मैं दूसरे सवाल के उत्तर में बतला चुका हूं कि ३५ लाख मन गन्ना लेना स्वीकार किया था और ४५ लाख मन गन्ने का बांड किया था। किन्तु बाकी गन्ना देना संभव नहीं था।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि उक्त मिल में गन्ने की कमी होने पर मेरठ जिले के हापुड़ से भी गन्ना लिया गया ?

श्री फूलसिंह—यह सही है।

रामसरन दास डफरिन वीमेन हास्पिटल, गाजियाबाद से सम्बन्धित दुकाने

*५२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद के रामसरन दास डफरिन वीमेन अस्पताल के साथ कितनी दुकानें है, इनसे क्या किराया वसूल हो रहा है, इनको किस आधार पर किराये पर उठाया जाता है और किराया कौन वसूल करता है ?

श्री बनारसीदास—इस अस्पताल के साथ कुल १४ दुकानें है। इनसे ३५६ रु० २ आ० कुल किराया मिलता है यह ५ रु० मासिक से लेकर ६५ रु० मासिक तक है। इन दुकानों के किराये का आधार नगरपालिका गाजियाबाद द्वारा लगाया गया हाउस टैक्स है। इसको तहसीलदार गाजियाबाद वसूल करते हैं।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह दुकानें एक ही जगह पर वाक्ये हैं तो उनके किराये में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री बनारसीदास—यह तो काफी दिनों से इसी किराये पर चल रही हैं जब से गवर्नमेंट के पास आयी उसके पहले से यही किराया चल रहा है और गवर्नमेंट के सामने तब्दीली करने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि यह दुकानें कब सरकार के पास आयी हैं और यह जो किराये की रकम वसूल होती है यह कैसे खर्च की जाती है ?

श्री बनारसीदास—जब से इस अस्पताल का प्रांतीयकरण हुआ है तब से सरकार के पास आयी हैं। जहां तक खर्चे का सवाल है यह तमाम किराया मेडिकल रिसीट्स के शीर्षक नम्बर २७ के अन्तर्गत सरकारी खजाने में जमा होता है।

गन्ना मिलों में शुगर रिकवरी तथा चीनी उत्पादन

*५३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू गन्ना सीजन १९५५-५६ में प्रदेश की किस गन्ना मिल में शुगर रिकवरी सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम रही और वह रिकवरी क्या-क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—११·२३ प्रतिशत सबसे अधिक रिकवरी है जो जिला देवरिया के गौरीबाजार मिल में हुई और ८.४४ प्रतिशत सब से कम रिकवरी है जो जिला देहरादून के दोईवाला स्थित मिल में हुई।

*५४—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की किस-किस गन्ना मिल में कम शुगर रिकवरी के आधार पर गन्ने के न्यूनतम निश्चित मूल्य से भी कम दाम किसानों को प्रतिमन दिलाये गये और वे दाम क्या-क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोईवाला मिल के देहरादून जिले में स्थित सभी केंद्रों से दो आने प्रतिमन की कटौती गन्ने के मूल्य से की गयी। इसके अतिरिक्त नैनीताल के तराई क्षेत्र के कुछ केंद्रों में जिन्होंने सीजन में काशीपुर बरेली, पीलीभीत बहेड़ी तथा रामपुर मिलों को गन्ना दिया, दो आना प्रति मन की कटौती की गयी।

*५५—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू गन्ना सीजन में कितना गन्ना प्रदेश भर में मिलों द्वारा पेरा गया और कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्राप्त सूचना के अनुसार ७ जुलाई, १९५६ तक लगभग २७.६१ करोड़ मन गन्ना प्रदेश की सब मिलों द्वारा पेरा जा चुका था और अनुमान है कि लगभग २ करोड़ ७० लाख मन चीनी का उत्पादन उस तारीख तक हुआ होगा।

अतारांकित प्रश्न

१---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने दिया है, वह बाढ़ के संबंध में है। तो चूंकि इसके ऊपर आज विवाद होने ही वाला है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय क्योंकि विवाद में यह प्रश्न सम्मिलित हो सकेगा।

शक्ति पत्र के सम्पादक तथा प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न शक्ति के सम्पादक और प्रकाशन के संबंध में उठाया था कि उन्होंने भी उसी तरह का कागज लिखा है जिस तरह का कि आजकल प्रिविलेज कमेटी में चल रहा है। उसके बारे में आपने कहा था कि मैं आज बतलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास आपने यह भेज दिया था, लेकिन यह मेरे घर पर नहीं पहुंचा। मैंतो इसको पढ़ नहीं पाया हूं। मैंने आज कहा कि मेरे घर पर इसको भेज दिया जाय ताकि मैं उसका अध्ययन कर लूं क्योंकि इसमें कई अखबार वगैरह की बातें दी गई हैं। तो मैं कल इसके ऊपर निर्णय दूंगा।

प्रदेश में बाढ़ तथा सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं समय के संबंध में कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं और ऐसा समझता हूं कि यह जो केवल दो घंटे का समय सूखे और बाढ़ पर विवाद के लिये रखा गया है वह बहुत ही अपर्याप्त मालूम हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा ही व्यापक प्रश्न है और माननीय सदस्यों के लिए अपने इलाके की हालत से सरकार को वाकिफ कराने के लिये एक मात्र यही जरिया मालूम होता है। तो मैं समझता हूं कि आज का पूरा दिन रख दिया जाय ताकि लोगों को अपनी बातें कहने का पूरा मौका मिल सके।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, समय कम है या अधिक इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि दो घंटे का समय पर्याप्त है। जहां तक व्योरे की बातें हैं, यदि किन्हीं माननीय सदस्य को अपनी कंस्टीटुएंसी या अपने इलाके की बाबत कोई विशेष जानकारी हो तो यहां सदन में उन व्योरे की बातों का चर्चा करने की अपेक्षा यदि वे कृपा करके व्योरे की बातें माननीय माल मंत्री जी को बतला दें या सूचना मंत्री जी या मुझको या खाद्य मंत्री जी को दे दें तो मैं समझता हूं कि उन बातों के संबंध में प्रबन्ध करने में अधिक सुविधा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी राय दे दी जो उनकी थी और माननीय गेंदा सिंह ने समय बढाने की प्रार्थना की थी। इस प्रकार का सुझाव जब किसी विषय के वाद के लिये आ जाता है तो समय बढ़ाने का अधिकार सदन को ही हो जाता है मैं उसी प्रथा के अनुसार सदन से ही पूछ सकता हूं। अगर माननीय सदस्य चाहें, सदन इसके लिये तैयार न हो तो एक सुझाव समय विवाद के लिये अधिक देने का सदन के सामने रख दें और मैं उसके ऊपर राय ले लूं।

श्री गेंदासिंह—मेरी बात जरा सुन ली जाय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो बाढ़ या सूखे पर वक्तव्य होने वाला है, वह दस पृष्ठों का है और यह ठीक इसी वक्त मिलता है जैसे बजट की कापी मिलती है कि कहीं डिसक्लोज न हो जाय और उसका बेजा फायदा न उठाया जाय। मैं समझता हूं कि जितनी देर मंत्री जो बयान देंगे उतनी ही देर हम उसे पढ़ेंगे और तब हम उस पर अपने मत को व्यक्त करेंगे और कुछ निजी जानकारी के सम्बन्ध में कहेंगे....

श्री अध्यक्ष—क्या आप चाहते हैं कि आज इस पर बहस न हो बल्कि आज इस वक्तव्य के वितरित होने के बाद कल इस पर बहस हो?

श्री गेंदासिंह—ऐसा तो मैं नहीं चाहता, मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इसी वक्त लिया जाय, लेकिन इतना तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार इसको ठीक से महत्व दे। हम तो लिख कर भेज देते हैं और लिख कर भेजने की भी हमारी आदत नहीं मालूम होती। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आज की बहस में जरूर रहें और सब की बात सुन सकें तो उससे लाभ ही होगा।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा कि आप देखेंगे कि इससे पूर्व भी बाढ़ की समस्या पर विचार...

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि आप समय बढ़ाने के विषय में कोई सुझाव देना चाहते हैं?

श्री राजनारायण—तो जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि पूरे दिन का समय रखा जाय, मैं भी निश्चय ही इस राय का हूं कि पूरे दिन का समय अवश्य रखा जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि २ घंटे काफी हैं। मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं और आप निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी हठ करेंगे तो जैसा वह चाहेंगे पास हो जायगा, लेकिन हमारी भावना यहां पर किस तरह से प्रदर्शित हो और बाढ़ के विषय पर किस प्रकार से सारे प्रदेश की भावना व्यक्त हो, उसके लिए २ घंटे का समय बहुत कम है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वतः वहां की दशा देख आये हैं और श्री कमलापति जी भी देख कर आए हैं और सभी ने समाचार पत्रों में बयान पढ़े हैं और साथ ही हम भी वहां के आंकड़े लाये हैं तो उन सब की इस सदन को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहां बाढ़ आई है क्या हानि हुई है, कहां जमीन कटी है और उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, समुचित कदम उठाये गए हैं या नहीं। तो इस सब के लिए मैं चाहता हूं कि पूरे दिन का समय अवश्य रखा जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दोनों ओर की कठिनाई को देखकर कोई बीच का मार्ग अपना लिया जाय तो बेहतर होगा। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने सुझाव पेश करूंगा कि पूरा दिन न सही तो रिसेस के बाद का पूरा समय यदि स्वीकार कर लिया जाय तो २ घंटे के बजाय पौने ३ घंटे हो जाते हैं। इस तरह से कुछ अधिक समय मिल सकेगा, मैं समझता हूं इसको स्वीकार करने में अधिक कठिनाई न होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---(माननीय मुख्य मंत्री से) इस सुझाव पर आपको कुछ कहना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा ऐसी हो कि २ घंटे का समय अपर्याप्त है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर रिसेस के बाद रखने से कोई खास बात नहीं होती। इसी वक्त बयान सदन के सामने पेश किया जा सकता है और हिसाब लगाकर वैसे सवा ३ तक जाता है, आप ४ बजे तक कर दें।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि ४ बजे तक उसके ऊपर वादविवाद हो जाय और अब मैं समझता हूं उस पर राय लेने की जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इतना कर सकते हैं कि इसके लिए ५ बजे तक का समय करके बाद में ६ बजे तक एक घंटा जो और सरकारी काम है उसके लिए रख लें।

श्री अध्यक्ष---अब और बहस के लिए तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब मैं उसके लिये राय ले लेता हूं और कोई रास्ता मेरे लिये नहीं है।

श्री राजनारायण--हमारा प्रस्ताव तो यह है कि पूरा दिन रक्खा जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज बाढ़ के ऊपर बहस का समय ५ बजे तक दिन भर के लिये रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१७;

विपक्ष में---१५८।)

श्री अध्यक्ष---अब क्योंकि चार बजे तक के लिये सब लोगों ने स्वीकृति दे दी है तो चार बजे तक विवाद का समय रहेगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---एक निवेदन और करना है। सरकार एक घंटे का समय ५ बजे के बाद नहीं बढ़ाना चाहती और एक घंटे का ही सवाल है तो लंच का समय रख दिया जाय ताकि सब लोग बहस कर सकें जैसा कि हमेशा होता है। कोरम का प्रश्न नहीं रहेगा। जो लोग बैठने वाले हैं वे बोलेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेगी और सदन को भी मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ कहना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने तो, माननीय पालीवाल जी का बहुत सुन्दर सुझाव था, उसे स्वीकार कर लिया है और जहां तक लंच की बात है, मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जहां तक मैं देखता हूं अधिकांश माननीय सदस्य उसके पक्ष में भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब यही ४ बजे तक का समय रहेगा।

श्री राजनारायण---समय के लिये बटवारा कर दिया जाय। सरकारी पक्ष ही अगर डेढ़ घंटा ले लेगा तो हम लोग क्या बोल पायेंगे?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ज्यादा वक्त वक्तव्य के पढ़ने में नहीं लगेगा।

श्री राजनारायण---आप पहले से व्यवस्था कर दीजिये, ताकि सब लोगों को समुचित समय मिल जाय।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो जाने पर समय नियत कर दिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा जो वक्तव्य कि मैं सदन के सामने रखने जा रहा हूं वह शायद कुछ लम्बा हो गया है परन्तु मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि सब बातों को माननीय सदस्यों को जानकारी कराना इस वक्त किसी और प्रकार से संभव नहीं था। इसीलिये मैंने वक्तव्य को लिख लिया है और इस बात का प्रयत्न किया है कि उसकी प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हो जायं। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने वक्तव्य में इस वक्त तक जो आंकड़े हमको प्राप्त हैं उनको देने की कोशिश की है। सम्भव है...

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, यह लिखित वक्तव्य जो हमारे सामने है इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी के दस्तखत नहीं हैं। यह सूचना विभाग की ओर से प्रसारित है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सूचना विभाग द्वारा लिखित वक्तव्य इस सदन में पढ़ने का हक रखते हैं?

श्री अध्यक्ष---उस पर दस्तखत होने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती जब वक्तव्य स्वयं वह दे रहे हैं।

श्री राजनारायण---क्या वह लिखित पढ़ सकते हैं यहां?

श्री अध्यक्ष---जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं निवेदन यह कर रहा था कि मैंने इस बात की कोशिश की है कि अब तक जो हमको आंकड़े प्राप्त हैं वह इस बयान में दिये जायं। सम्भव है कि माननीय सदस्यों के पास जो साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियां हैं उसमें कहीं-कहीं फर्क हो। तो मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य उन आंकड़ों को दुरुस्त कर लें।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, इस वर्ष वर्षा अपर्याप्त और छुटपुट रही है। जिन जिलों में वर्षा की औसत मात्रा पर्याप्त भी रही, वहां भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की बेहद कमी रही, क्योंकि एक सी वर्षा कहीं नहीं हुई। राज्य के कुछ भागों में इस वर्ष मई मास से ही वर्षा आरम्भ हो गयी थी, जो एक असाधारण बात थी, लेकिन उसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में राज्य के पश्चिमी जिलों में अचानक बड़े जोर की वर्षा हुई जिससे विशेषतः मुजफ्फरनगर शहर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को काफी क्षति पहुंची। फिर भी अधिकतर जिलों में वर्षा नहीं हुई और सम्पूर्ण जुलाई तथा अगस्त मास के आरम्भ तक सूखे की आशंका बनी रही। अगस्त के दूसरे सप्ताह में, जब कि राज्य के काफी बड़े क्षेत्र में सूखे का संकट उपस्थित था अचानक हमें बाढ़ के संकट का सामना करना पड़ा। अगस्त मास के दूसरे सप्ताह में मुख्यतः गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, धसान, केन, सेंगुर तथा चंबल नदियों में बाढ़ आयी। बेतवा, धसान और केन नदी बुन्देलखंड क्षेत्र में बहती हैं। और सेंगुर कानपुर जिले की एक छोटी सी नदी है। इन नदियों में स्थानीय वर्षा के कारण नहीं, अपितु विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत और राजस्थान के समीपस्थ क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा के कारण बाढ़ें आयीं। इन बाढ़ों से मुख्यतः इलाहाबाद, कानपुर गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा और वाराणसी के जिले प्रभावित हुए।

हम राज्य के पश्चिमी जिलों, विशेषतः मुजफ्फरनगर शहर तथा उसके पास पड़ोस के क्षेत्र की बाढ़ स्थिति के सम्बन्ध में सदन में पहले ही विचार विमर्श कर चुके हैं और उस विषय पर फिर से बातचीत करना मैं आवश्यक नहीं समझता। हां, मैं सदन को उसके बाद की स्थिति तथा बाढ़ संकट के निवारणार्थ वहां अब तक जो उपाय किये गये, उनका ब्योरा अवश्य देना चाहूंगा।

इस वर्ष १०, ११ अगस्त को हमीरपुर में बहुत भारी बाढ़ आयी। बाढ़ग्रस्त नदी के पानी की सतह सन् १९१६ की सतह तक पहुंच गयी जो अभी तक सबसे ऊंची थी। यह बाढ़ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में विशेषकर हमारे प्रदेश से लगे विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत के क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा के कारण आयी। इन क्षेत्रों की वर्षा से चंबल सिंघा, बेतवा, केन और टोंस में भारी बाढ़ें आयीं। ये सब नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। हमीरपुर नगर के अनेक स्थानों में पानी भर आया। ३० घंटे तक टेलीफोन और तार की लाइनें बेकार रहीं। लगभग १२८ गांवों को इस बाढ़ से क्षति पहुंची और ३२ हजार एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गया।

यमुना और गंगा की बाढ़ के पानी ने इलाहाबाद नगर तथा जिले के एक भारी भाग के लिये भारी संकट उपस्थित कर दिया। ४०९ गांवों का लगभग १,२०,००० एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गया। इलाहाबाद में बाढ़ की सतह १९४८ की सब से ऊंची सतह से केवल २ फुट नीचे रह गयी। यह बाढ़ चार दिन तक रही और इससे फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। इलाहाबाद नगर के कतिपय निचले भागों जैसे कीटगंज में ३–४ दिन तक पानी भरा रहा।

मिर्जापुर जिला भी ११ से १६ अगस्त तक बाढ़ग्रस्त रहा। इस जिले में २६३ गांवों का ३६,१५१ एकड़ क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया। मिर्जापुर नगर के लिए इस बाढ़ से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। जैसा कि आप सब को ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से यह नगर नदियों द्वारा कटता जा रहा है और हम न केवल वर्तमान नगर को सुरक्षित रखने, अपितु यदि आवश्यक हो तो एक नयी बस्ती बसाने के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, फिर चाहे इस कार्य पर कितनी ही लागत क्यों न आये।

वाराणसी में गंगा नदी के पानी की सतह १९४८ की बाढ़ की अधिकतम सतह से दो फुट नीचे रही। नगर में दशाश्वमेध घाट, बंगाली टोला तथा नगवा के कुछ अन्य भागों में बाढ़ का पानी घुस आया और लगभग २,००० मकान बाढ़-ग्रस्त हो गये। जिले में लगभग १५,६०० एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे १८६ गांव प्रभावित हुए।

गाजीपुर में १६ अगस्त, १९५६ को बाढ़ का स्तर सबसे अधिक अर्थात् १९४८ के बाढ़ के स्तर से लगभग एक फुट सात इंच कम था। नगर का एक चौथाई भाग, जिसमें लगभग एक हजार मकान थे, जलमग्न हो गया। इनमें से २०० मकान ध्वस्त हो गये। इस क्षेत्र में केवल नावों द्वारा ही आना-जाना संभव था। ग्राम्य क्षेत्रों में लगभग ५७१ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। मुहम्मदाबाद तहसील को सर्वाधिक क्षति पहुंची, जहां एक लाख एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई। जिले में ६ दिन तक बाढ़ का पानी रुका रहा जिससे जलमग्न क्षेत्रों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी। दुर्भाग्यवश गाजीपुर उन जिलों में एक है जहां बाढ़ के साथ-साथ भयंकर सूखे से भी क्षति पहुंची है।

बलिया में १४ अगस्त, १९५६ को गंगा का पानी खतरे के विन्दु तक पहुंचा। बाढ़ के पानी का यह स्तर १९४८ के स्तर से एक फुट नीचे था। बाढ़ से लगभग २५० गांव तथा ८०,००० एकड़ क्षेत्र जलमग्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल स्प्रायः पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से लगभग २०,००० लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया। पुराना रिंग बांध एक बार काफी खतरे में पड़ गया था। अतः इस भीषण बाढ़ से बांध को सुरक्षित रखने के लिए ५०० से अधिक व्यक्तियों को दिन-रात काम पर लगाये रखना पड़ा। धारा की विपरीत दिशा में नगर का तीव्र गति से कटाव होने लगा। ऐसा महसूस होने लगा है कि यदि बलिया नगर को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए बहाव के विपरीत तथा बहाव की ओर कुछ और ठोकरों का निर्माण करना पड़ेगा। बलिया जिले की स्थिति वस्तुतः विशेष चिन्ता का विषय है, क्योंकि दक्षिण की ओर गंगा तथा उत्तर की ओर घाघरा की बाढ़ का प्रकोप

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इस पर सदैव बना रहता है। भाग्यवश इस मौसम में अभी तक घाघरा में भारी बाढ़ नहीं आई है। घाघरा से पर्याप्त भू-क्षरण हो रहा है और कई गांव बह भी गये हैं। यहां तक कि सुरेमनपुर के समीप रेलवे लाइन भी खतरे में रही। गंगा में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतर रहा है।

भरतपुर तथा राजस्थान के समीपवर्ती अन्य क्षेत्रों में भीषण वर्षा के कारण १३ अगस्त, १९५६ को उस क्षेत्र के दो जलाशय टूट गये, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में पानी बाहर निकल गया जो अनायास आगरा जिले के पश्चिमी भाग में घुस आया। जिले के ८५ गांव जलमग्न हो गये हैं और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चार से छः फुट गहरे पानी में हैं। फसल तथा सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची है। १७ अगस्त, १९५६ को फतेहपुर सीकरी में बाढ़ की स्थिति गंभीर थी। फतेहपुर सीकरी से किरावली तक लगभग छः मील का क्षेत्र जलमग्न था और आगरा-फतेहपुर सीकरी सड़क को यातायात के लिए बन्द करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी से बयाना तक की रेलवे लाइन दो स्थानों पर टूट गयी थी। भरतपुर-आगरा की सीमा पर स्थित ५२ गांवों का सम्बन्ध बाहरी दुनिया से भंग हो गया था। जिले में ५३,००० एकड़ से अधिक भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है।

जहां तक अब हमको सूचना प्राप्त है ४४ हजार व्यक्ति इस बाढ़ के प्रभाव में आये और ४,००० आदमी और ९,००० पशु हटाये गये, ९५० मकान गिर गये।

उपर्युक्त जिलों में हुई महान् क्षति के अतिरिक्त मैं उस न्यूनाधिक क्षति का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं जो कानपुर और बांदा जिलों को पहुंची। यमुना और केन की बाढ़ के कारण बांदा जिले के २४५ गांव जलमग्न हो गये और खरीफ की फसल बह गयी। प्राप्त सूचना के अनुसार अनेक व्यक्ति गृहहीन हो गये हैं और दो छोटी-छोटी बस्तियां ध्वस्त हो गयी हैं। भाग्यवश किसी व्यक्ति अथवा पशु की जान नहीं गयी। बांदा शहर भी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। कानपुर जिले के २१ गांव बाढ़ प्रभावित हुए। प्राप्त सूचना के अनुसार वहां ५५ मकान या तो ध्वस्त हो गये या उन्हें आंशिक रूप से हानि पहुंची। ३,१६० एकड़ भूमि को भी क्षति पहुंची। राज्य के लगभग २,१६८ गांव बाढ़ग्रस्त हुए, जिससे ५,४५,३७५ एकड़ भूमि तथा ८ लाख जनता प्रभावित हुई।

बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बनारस, जौनपुर और गाजीपुर जिले सूखा प्रभावित हैं। वर्षा की कमी के कारण इन जिलों की भदई की अधिकांश फसल नष्ट हो गयी है। गोरखपुर, जौनपुर, बहराइच और बनारस जिलों में ३१ जुलाई, १९५६ के बाद वर्षा हो जाने के फलस्वरूप यहां की कुछ भदई फसल फिर से जीवित हो उठी और अगहनी की फिर से रोपाई सम्भव हो सकी है। बलिया जिले में वर्षा बहुत कम होने के कारण केवल दोआब क्षेत्र मात्र की फसल की स्थिति संतोषजनक है। जिले के अधिकांश अर्थात् रसड़ा, बांसडीह और बलिया तहसील के एक भाग में खरीफ की फसल सूख गयी है और धान की फसल वर्षा की कमी के कारण बोई ही नहीं गयी। भय है कि कहीं पीने के पानी के कुएं भी सूख न जाय। देवरिया में भदई को काफी क्षति पहुंची है और अगहनी धान का बिया खेत में सूखता जा रहा है। ईख की फसल को भी हानि पहुंची है किन्तु १२ व १३ अगस्त को वर्षा के फलस्वरूप स्थिति में सुधार की सम्भावनाएं हो गयी हैं। अगहनी की रोपाई शुरू हो गयी है और अनेक स्थानों पर उसके फिर से जी उठने की आशा है। गाजीपुर में सूखे की दशा के कारण धान के बिये की रोपाई न हो सकी। खरीफ की चारे की फसल को कीड़े के कारण क्षति पहुंची है। कीड़े ने चारे की हरी पत्तियां खा लीं, जिससे यह फसल पशुओं के खाने योग्य शेष नहीं रही है।

बनारस जिले के नौगढ़ परगने में सूखे का जोर रहा किन्तु इस मास के मध्य में वर्षा हो जाने से अब स्थिति में कुछ सुधार हो गया है।

सीतापुर, फैजाबाद और सुल्तानपुर से भी सूखे के समाचार प्राप्त हुए, किन्तु हाल ही में वर्षा के फलस्वरूप वहां की स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

पिछले कुछ दिनों में राज्य के विस्तृत क्षेत्र में जो वर्षा हुई है उसके परिणाम-स्वरूप हमें सूखे की स्थिति का पुनरीक्षण करना होगा। आशा यह की जाती है कि इस वर्षा से स्थिति में काफी सुधार हो गया है। वर्षा बड़ी शुभ हुई है और मुझे आशा है कि भाग्य हमारे विपरीत न जायगा और हमें बाढ़ का सामना न करना पड़ेगा।

बाढ़ और सूखे की इन दशाओं में राज्य सरकार आरम्भ से ही बाढ़ एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की जनता का दुःख दर्द दूर करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय करती रही है। लोग गफलत में न रहें, इसलिए ९ अगस्त, १९५६ को ही एक परिपत्र जारी करके सभी जिला अधिकारियों को सावधान कर दिया गया था कि वे अपने जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा करके वहां की स्थिति का पूरा विवरण तैयार करें और साथ ही क्षेत्र विशेष में गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए वे अपने सुझावों और प्रस्तावों का भी विवरण प्रस्तुत करें। कमिश्नरों को भी सूचित कर दिया गया था कि वे जिलाधीशों के साथ तत्संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करके प्रत्येक डिवीजन के लिए सुसंबद्ध योजना तैयार करें।

साथ ही जैसे ही विभिन्न जिलों से बाढ़ संकट की सूचनायें आने लगीं वैसे ही उन जिला अधिकारियों के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाने लगी जिससे कि वे अपने क्षेत्र की पीड़ित जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिए सम्भव उपाय कर सकें। जहां कहीं भी नावें उपलब्ध हो सकीं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त भेजी गयीं। हम विशेष रूप से कृतज्ञ हैं सेना के, जिसने सहायता कार्य के लिए आगरा के जिलाधीश को अपनी डकें और मोटर नावें दीं।

समस्त बाढ़ग्रस्त जिलों में जनता तथा पशुओं की चिकित्सा के लिए दवा दारू की व्यवस्था की गयी और साथ ही उन क्षेत्रों में चारे की तथा सस्ते गल्ले की दूकानों का प्रबन्ध किया गया। मुजफ्फरनगर में २० हजार मन गेहूं उचित मूल्य पर बेंचने के लिए दिया गया। वहां से गुड़ तथा क्षतिग्रस्त चीनी हटाने के लिए व्यापारियों को २०० वैगन दिये गये। मेरठ के लिए २७ हजार मन और आगरा के लिए २७ हजार मन गेहूं भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार २७ हजार मन गेहूं पूर्वी जिलों के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त २१ हजार मन गेहूं वाराणसी में स्टाक किया गया है जो आवश्यकतानुसार संकटग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में भी २ लाख मन गेहूं जमा किया गया है जो आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों को भेजा जायगा। १० हजार मन मोटा अनाज जैसे चना, जौ इत्यादि खरीद कर पूर्वी जिलों में जमा कर लिया गया है। यह अनाज बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जिलाधीशों की मांग पर भेजा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त जहां भी आवश्यकता है वहां सस्ते तथा उचित मूल्य पर गल्ला बेचनेवाली दूकानों की व्यवस्था की जा रही है। देवरिया में एक सस्ते गल्ले की दूकान चालू भी कर दी गयी है। एक ऐसी ही दूकान मुजफ्फरनगर में भी पिछले कुछ दिनों से चालू है। एक दो दिन के भीतर और दूकानें खोली जायंगी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से और अधिक गेहूं देने का अनुरोध किया था और मुझे सदन को यह सूचना देते हर्ष होता है कि हमें छः लाख मन अतिरिक्त गेहूं जुलाई में प्राप्त हुआ है और अगस्त तथा सितम्बर के लिये ८ लाख मन और मिलने वाला है।

यह विशेष सन्तोष की बात है कि बाढ़ से काफी क्षति होने के बावजूद केवल इलाहाबाद में अकस्मात डूबने के फलस्वरूप एक व्यक्ति की जान गयी। आशा है कि

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

किसी जिले में पशु-जीवन की क्षति भी अधिक नहीं हुई है। यद्यपि मनुष्यों और पशुओं को हटाने में बहुत से पशुओं के इधर-उधर मिल जाने से अब तक वहां की खबर पूरी तौर से नहीं मिल सकी है, यह सन्तोष की बात है कि पानी में जो पशु बह गये, अब सब पकड़ कर निकाल लिये गये हैं और उनकी जान बचा ली गयी है।

सभी जिलों में जहां आवश्यक समझा गया बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य हुआ है। इलाहाबाद में ३० हजार व्यक्तियों और १० हजार पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आगरा के आंकड़े मैं अभी दे चुका हूं। बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों में मोटर बोट और नावों की आवश्यक व्यवस्था की गयी। अल्प सूचना पर कानपुर से हमीरपुर में चार मोटरबोट और ३० नावें भेजी गयीं। आगरा में १४ मोटरबोट और लगभग ४० नावों को सहायतार्थ कार्य में लगाया गया। इस सम्बन्ध में सेना की मदद, विशेषकर आगरा में प्रशंसात्मक है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि बाढ़ से ग्रस्त होने वाले विभिन्न जिलों के लिये सरकार की ओर से २०० नावों की व्यवस्था कर दी गयी है। मुझे यह सूचित करते हुये संतोष होता है कि ६० प्रतिशत अर्थात् लगभग सवा सौ नावें बन कर तैयार हो चुकी हैं और जिला अधिकारियों के पास भेज दी गयी हैं। शेष नावें भी शीघ्र पहुंचा दी जायंगी और अधिक नावों की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। इलाहाबाद, बनारस और कानपुर के जिला अधिकारियों ने आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति के कार्यों में काफी सहायता की। सूखा और बाढ़ ने चारे की समस्या उत्पन्न कर दी है। जिन जिलों को बाढ़ से क्षति पहुंचने की आशंका थी वहां परिस्थिति का सामना करने के लिये चारा पहले ही से एकत्र कर लिया गया था जो अब काम में लाया जा रहा है और नया स्टाक भेजा जा रहा है।

अब तक विभिन्न जिलों के लिये निम्नलिखित धनराशियां अहेतुक सहायता के लिये, ग्रेचुइ्स रिलीफ के लिये स्वीकृत की गयी हैं और मांग आने पर और अधिक रकम जिलाधीशों को दी जा रही है :—

		रु०
गाजीपुर	.. ..	२०,०००
बांदा	.. ..	१०,०००
बनारस	.. ..	३०,०००
हमीरपुर	.. ..	३५,०००
आगरा	.. ..	१५,०००
बलिया	.. ..	२०,०००
मिर्जापुर	.. ..	१०,०००
इलाहाबाद	.. ..	२०,०००
फर्रुखाबाद	.. ..	१२,०००
कानपुर	.. ..	२०,०००
योग	..	१,९२,०००

इलाहाबाद, गाजीपुर और बांदा को तकावी बांटने के लिये क्रमशः २०,००० रुपया, २०,००० रुपया और १०,००० रुपया की स्वीकृति दी गयी है। दूसरे जिलों से मांग आने पर और तकावी स्वीकृत की जायगी। यदि आवश्यकता समझी गयी तो तकावी की वसूली स्थगित कर दी जायगी। मालगुजारी और अन्य बकाया सम्बन्धी स्थिति की बराबर जांच की जा रही है और आवश्यकतानुसार उनमें छूट दी जायगी।

बाढ़ की स्थिति पर विचार करते समय बाढ़ नियंत्रण के लिये किये जाने वाले कार्यों का जिक्र करना मेरे लिए शायद उपयुक्त होगा। इस समय १४ करोड़ ३० लाख रुपये की योजनायें विचाराधीन हैं। उनसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच के जिलों को लाभ होगा। इन जिलों का लगभग २० लाख एकड़ क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हो जाया करता है। आशा है कि इन योजनाओं के फलस्वरूप इन जिलों की लगभग ९ लाख एकड़ भूमि की रक्षा की जा सकेगी। सदन को विदित है कि राज्य के पूर्वी जिलों में लगभग ३,५०० जलमग्न गांवों की सतह कों ऊंचा करने की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिन पर ४ करोड़ रुपया व्यय होगा।

सदन को सूचित करते हुये मुझे हर्ष होता है कि जून, १९५६ तक जलमग्न क्षेत्रों के गांवों की सतह को ऊंचा करने पर १ करोड़ २० लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। १,४१३ गांवों की सतह ऊंची की जा चुकी है और ९०० गांवों को ऊंचा करने का काम जारी है। इस मामले में कई जिलों में हमें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में ग्रामीणों का यथेष्ट सहयोग नहीं मिल सका, किन्तु मुझे विश्वास है कि अनुभव और उदाहरण के आधार पर अब हमें भविष्य में उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

प्रत्येक बाढ़ ग्रस्त जिले में हम सामुदायिक विश्राम स्थलों और बाढ़-रक्षा गृहों की व्यवस्था कर रहे हैं। इस कार्य के लिये १७,३५,००० रुपया फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास की धनराशि से और मुख्य मंत्री के फंड से २,५६,००० रुपये की धनराशि बहुधन्धी बाढ़ रक्षा केन्द्रों को सौंपने के लिये दिया जा चुका है। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और बरसात के बाद भी काम जारी किया जायगा।

मुझे आशा है कि आगामी वर्षा ऋतु तक सभी सामुदायिक विश्राम स्थल तथा बहुद्देशीय बाढ़-रक्षा गृह समय पर पूर्ण हो जायंगे।

हमने ४६० लाख २९ हजार रुपये की लागत के १३ बाढ़ निरोधक जलाशयों की योजनाएं भारत सरकार के पास भेजी हैं जिन पर इस समय विचार हो रहा है। नेपाल क्षेत्र में जलकुंडी में राप्ती नदी पर एक बहुधन्धी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में एक योजना भारत सरकार के विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिये भेजी गयी है। सई, गौती, टोंस, बेसड़ा आदि नदियों तथा पश्चिमी जिलों के जलमग्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ताकि नदी को गहरा करने, नालियां निकाल कर नदी के ढलानों में सुधार करने तथा आवश्यकतानुसार किनारों पर पुश्तें बनाना जैसे बाढ़ निरोधक उपाय किये जा सकें। वाराणसी के घाटों का पुनर्निर्माण तथा सड़कों की तंग पुलियों को चौड़ा करने का कार्य भी किया जा रहा है। जून, १९५६ तक सुरक्षा योजनाओं पर कुल मिला कर अनुमानतः ३ करोड़ ३० लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्त तक १३ लाख ५० हजार एकड़ क्षेत्र जलमग्न होने से बचा लिया जायगा तथा ३,५०० गांवों की सतह ऊंची कर दी जायगी।

हमने पश्चिमी जिलों के लिये एक नये बाढ़ सुरक्षा डिवीजन की भी व्यवस्था की है, जिसका प्रधान कार्यालय मुजफ्फरनगर में है? यह डिवीजन विभिन्न बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके बाढ़ सुरक्षा योजनायें तैयार कर रहा है। इस डिवीजन के अधिकारियों से अविलम्ब अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ संकट के निवारणार्थ सरकार सभी जिलों को न केवल आवश्यक सहायता ही प्रदान कर रही है, अपितु वह इस बात के प्रति भी सतर्क है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

मैं इस अवसर पर सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने १४ अगस्त, १९५६ को गाजीपुर, बलिया और बनारस जिलों की बाढ़ स्थिति का विमान द्वारा सर्वेक्षण किया और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वाराणसी में बरनारस डिवीजन के कमिश्नर तथा जिलाधीश और गाजीपुर तथा बलिया के जिलाधीशों के प्रतिनिधियों से बाढ़ के सम्बन्ध में बातचीत की। मेरे माननीय सहयोगी सूचना मंत्री तथा खाद्य, रसद एवं स्वास्थ्य मंत्री बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर रहे हैं। मेरे माननीय सहयोगी माल मंत्री पर स्वभावतः दायित्व का सबसे बड़ा बोझ पड़ता है। एक साथ ही सभी आपन्न जिलों से हर प्रकार की व्यापक मांगें आती हैं और उनको तत्काल सहायता की व्यापक योजनाओं को संघठित रूप से चलाना पड़ता है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे अधिकारीगण तत्परतापूर्वक, साहसपूर्वक और समस्त साधनों सहित इस काम पर काबू पाने के कार्यों पर लगे हैं और सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। जागृत जनमत ने उनका जो सहयोग और समर्थन किया है उसके प्रति वे आभारी हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः यह कठिनाई उपस्थित होती है कि जनता अपने मकान छोड़ने को तैयार नहीं होती। इस मामले में गैरसरकारी व्यक्ति और खासतौर पर विधान मंडल के सदस्य जनता को समझा-बुझा कर मकान छोड़ने के लिये तथा अन्य बातों में अधिकारियों की बात मानने के लिये राजी करके अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

प्रकृति के वैचित्र्य का पहले से ही आभास मिलना सम्भव नहीं किन्तु यह संतोष का विषय है कि इस सम्बन्ध में जितना भी अनुमान लगाया जा सकता था उसके अनुसार स्थिति का सामना करने के लिये राज्य के उपलब्ध साधनों के अनुसार प्रत्येक सम्भव कार्य किया गया। यदि ऐसा न किया गया होता तो कहीं अधिक व्यक्तियों एवं पशुओं तथा धन की भी क्षति हुई होती।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिन्ता की कोई स्थिति नहीं। इससे पहले हमने इससे भी कहीं अधिक गम्भीर स्थितियों का सामना किया है। हम अभी खतरे के बाहर नहीं हैं। अभी तो अगस्त का तीसरा ही सप्ताह है, किन्तु भाग्य-वश अभी तक बाढ़ ने इतनी भारी क्षति नहीं पहुंचाई है जितनी गत वर्ष की बाढ़ में हुई थी। बाढ़ और सूखा तथा कुछ क्षेत्रों में फसल की क्षति के बावजूद भी खरीफ की सामान्य स्थिति अच्छी है और राज्य में अन्नाभाव का कोई खतरा नहीं है। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात का अनुमोदन करेंगे कि इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में तथा भाषणों में कहीं-कहीं स्थिति को संकटपूर्ण बताने का जो प्रयास किया गया है, जैसा कि, मेरा मतलब पार्लियामेंट से है, के एक सदस्य ने बड़े पैमाने पर भुखमरी (मास स्टार्वेशन डैथ्स) की बात कही थी, वह या तो निराधार है या राजनीतिक प्रचार के हेतु है या ऐसी बातों के कहने वालों को स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता। हममें आत्मविश्वास और साहस है तथा जनता का मनोबल काफी ऊंचा है। यही हमें प्रत्येक खतरे से बचाने वाला महान् अस्त्र है।

श्री अध्यक्ष--समय के निर्धारण करने के लिये सुझाव था, तो उसके बारे में क्या किसी माननीय सदस्य का कोई सुझाव है ?

श्री देवनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)--जो विषय सदन के सामने उपस्थित है वह गम्भीर है। मैं चाहूंगा कि लीडर आफ अपोजिशन को आधा घंटा से ज्यादा समय न दिया जाय। आधे घंटे का समय काफी होगा। बाकी सदस्यों के लिये १० मिनट का समय दिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य को इससे अधिक समय न दिया जाय।

श्री राजनारायण--मेरा निवेदन यह है कि सरकार के पक्ष को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छी तरह रख दिया है। तो अब इस विवाद का जितना समय बाकी है उसका अधिकांश समय विरोधी दल के सदस्यों को मिलना चाहिये। इसमें जैसा कि माननीय सदस्य

ने रखा है विरोधी दल के नेता के लिये अगर वह चाहते हैं तो उनको और भी कुछ समय दिया जाय मगर बाकी सदस्य जो विरोधी दल के हैं उनको काफी समय मिलना चाहिये ताकि वह अच्छी तरह से बाढ़ की परिस्थिति को रख सकें। और श्रीमन्, यह आपके ऊपर रहे कि कोई तथ्य रूप में अपने विचार यहां पर प्रकट कर रहा है तो उसके लिये कुछ समय अधिक दे दें और उस के लिये कुछ सीमा बांध दें कि वह २० या ३० मिनट में अपने विचार सदन में रख दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मेरा सुझाव यह है कि विरोधी दल के नेता को १५ मिनट से ज्यादा समय न दिया जाय और अन्य लोगों को १० मिनट दिया जाय। जिन जिलों में सूखा पड़ा है उन जिलों के सदस्यों को भी समय दिया जाय। यही नहीं कि विरोधी दल को ही समय दिया जाय और हम लोग रह जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब राय ले लूं। करीब-करीब यह राय है कि आधे घंटे का समय विरोधी दल के नेता को दिया जाय और बाकी लोगों के लिये साधारणतः १० मिनट का समय निश्चित करता हूं, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य विशेष जानकारी दे रहे हों तो उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझे अधिकार देना चाहते हैं कि म उनको थोड़ा ज्यादा समय दे दूं।

(कोई विरोध नहीं हुआ।)

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां बाढ़ और सूखा के प्रश्न पर बड़ी चिन्ता है वहां यह बात भी मुझे बड़ी पसन्द आयी कि आज स्वतः माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ और सूखे पर वक्तव्य दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता को चाहे वह वक्तव्य में न माने लेकिन भीतर से वह इसको समझने लगी है कि यह प्रश्न कितना गम्भीर है। इस समय जब कभी बाढ़ और सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा पर हमें चर्चा करने का अवसर मिलता है तो मुझे एक बात जरूर याद आती है और वह बात याद आती है आज से सबसे बड़े प्रोफेट की कि नेचुरल केलमिटी कोई हिन्दुस्तान की सरकार की या हिन्दुस्तान की जनता की मोनोपोली नहीं है। यह सारे संसार में प्राकृतिक आपदा आया करती हैं और इस प्राकृतिक आपदा पर काबू पाने का जो प्रयत्न करे और उससे देश की जनता को बचाये, जो उस संकट में फंसने से रोके, उसी का नाम सरकार है। अपने नाम को वही सरकार चरितार्थ कर सकती है जो इस सारी मुसीबत से जनता को बचा सके। अगर वह बचाने में असमर्थ है, तो अपने नाम को चरितार्थ नहीं करती ह।

सरकार के सामने ऐसे वक्त भी आते हैं जब केवल सरकार ही सारी जिम्मेदारी को निबाह नहीं सकती। उस समय सरकार सारे देश का आह्वान कर सकती है कि वह इस मुसीबत में हाथ बटाये। यह भी सरकार का कहना किसी समय पर गैरवाजिब नहीं मालूम होता है कि यह काम अकेले सरकार के बस का नहीं है। मैं भी कुछ हद तक इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि कुछ लोग जब यह कहते हैं कि सरकार तो कुछ हद तक सेवा करती ही है लेकिन हिन्दोस्तान के लोग, जिस वक्त पहले यहां अंग्रेजी हुकूमत थी, उस वक्त जो सेवा करते थे उस तरह से इस वक्त वे सामने क्यों नहीं आते हैं। यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात नहीं कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके कुछ सहयोगी इस बात को दुहरायें और फिर मुझे कुछ कहने का मौका न मिल सके, इस लिये मैं पहले से ही इस बात को साफ किये देता हूं कि जिस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस जमाने में उसको ज्ञान भी नहीं होता था कि देश में क्या हो रहा है। उसको तो केवल हुकूमत करना था। लेकिन इस देश में आज जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है उन्हें केवल हुकूमत ही नहीं करना है बल्कि वे देश भक्त भी हैं इसलिये उनको अंग्रेजों के स्थान पर बिठाना उचित नहीं है। जहां वे सरकार के रेस्पोंसिबिल मिनिस्टर हैं वहां वे देश के नेता भी हैं। तो देश के नेता की हैसियत से मैं यह कहूंगा कि क्या उनका यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि सरकारी मशीनरी को छोड़ कर बाकी देश से वे अपील करें मदद करने की ?

[श्री गेंदासिंह]

इस तरह गैर-सरकारी तौर पर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया ? मैं केवल इस तरफ इशारा ही करूंगा कि जो भी माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें वह कम से कम इस बात को भी ध्यान में रखें ।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बाढ़ और सूखा साथ-साथ आये । उत्तर प्रदेश की यह बद-किस्मती है और इतना बड़ा सूबा हमारा है कि किसी कोने में कोई न कोई मुसीबत हर साल आती ही रहती है । मुजफ्फरनगर में भी बाढ़ आयी, उस पर हम विचार कर चुके हैं । वहां बड़ी भीषण वर्षा हुई और जितने इलाके में यह वर्षा हुई उतने इलाके को उसने तबाह कर दिया । उनकी सहायता का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन वहां के लोगों को भी शिकायत है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि हम लोग उस प्रश्न को इस वक्त न लें लेकिन मुजफ्फरनगर का मामला हमें इस दृष्टि से देखना है कि प्रान्त में पहले ही ऐसे जिले हैं अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि उनकी सहायता न करें तो वे भूखों मर जायं । जब हमारी ग्रेनरी में ही विपत्ति आती है तो सममुच हम कांप उठते हैं । मुजफ्फरनगर में विपत्ति आयी और देवरिया के लोग इस लिये कांप उठे कि उनकी ग्रनरी में ही आग लग गयी । इसलिये मैं समझता हूं कि उनको अधिक सहायता की आवश्यकता है । और कारणों में ड्रेनेज सिस्टम भी एक कारण बताया जाता है । अगर वह दोष न होता तो इतना पानी बरसने पर भी इतनी क्षति न हुई होती और उससे कहीं कम क्षति होती ।

केवल बनारस और गोरखपुर इन दो डिवीजनों में ही ५३–५४ में करीब ५६ लाख एकड़ खरीफ की फसल बोयी गयी और इतनी ही करीब ५४–५५ और ५५–५६ में बोयी गयी होगी और करीब ३५ लाख एकड़ फैजाबाद डिवीजन में बोयी गयी । यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को नहीं बताया फिर भी यह स्वीकार किया कि काफी क्षति हुई है । मैं यह मानने के लिये भी तैयार हूं कि सभी जिलों में बड़ी भारी क्षति नहीं हुई लेकिन ८ जिलों में जो क्षति हुई है वह करीब-करीब बराबर है, चाहे उन जिलों में वह क्षति बाढ़ से हो या सूखा से । मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो सरकार का अन्दाजा इस विषय में है वह उसको रिवाइज करने की कृपा करें । ३१ जुलाई के बाद तक पानी नहीं बरसा, ३० जून के बाद तक पानी नहीं बरसा ।

श्री अध्यक्ष––फीगर्स में कुछ गड़बड़ मालूम होता है । क्या ५६ लाख एकड़ आपने एक जिले में कहा ?

श्री गेंदासिंह––बनारस और गोरखपुर डिवीजन की बात मैंने कही । फैजाबाद डिवीजन में ३५ लाख एकड़ खरीफ की फसल का रकबा मैंने बतलाया ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––क्या इतनी फसल खराब हो गयी ?

श्री गेंदासिंह––श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी एक खेती-बारी करने वाले घर से ही आये हैं और खुशकिस्मती से मैं भी एक खेती-बारी करने वाले घर से आया हूं । मैंने तीन-चार दिन तक बड़ी कोशिश की कि सही नतीजे पर पहुंच सकूं जिससे कोई गलत बात न हो । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा अनुमान है और अनुमान ही नहीं है बल्कि मैं कुछ तथ्य भी अध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं । जुलाई का पूरा महीना बिना पानी के निकल गया । अगर पानी बरसा भी तो नाममात्र को बरसा । उनकी क्राप्स ऐंड सीजन रिपोर्ट जो जुलाई महीने की है उसमें बतलाया गया है कि ११, १२ इंच पानी बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन में एक महीने के भीतर बरसता है । मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी रिपोर्ट क्या है, कितना पानी इस डिवीजन में जुलाई के महीने में बरसा ? अध्यक्ष महोदय, अब की साल इस बीच में ३–४ इंच पानी बरसा है । परन्तु मैं इसके लिये

पानी नापने वालों को कोई दोष नहीं देता लेकिन संभव है जहां पर जिले का हेडक्वार्टर हो, जहां पानी नापने का यंत्र लगा हो वहां पर पानी बरसा लेकिन इन हिस्सों में नहीं बरसा। तो वह हिस्सा तो रह गया, छूट गया। वहां के पानी के संबंध में कोई इत्तिला नहीं है। यह संभव नहीं है कि हम गांव-गांव में पानी नापने वाला यंत्र लगायें। संभव है आगे चल कर हमारी हालत ऐसी बदले कि हम वहां की गांव सभाओं को भी पानी नापने का यंत्र दें और उसका ढंग बता सकें तो फिर सही रिपोर्ट हमको मिल सकती है। लेकिन अभी तक पानी नापने के यंत्र जिले में कितने हैं? जिलों के हेडक्वार्टर में हैं, तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में हैं। एक-एक तहसील में पांच-पांच सौ गांव होते हैं। मेरी तहसील में ९०४ हैं, देवरिया तहसील में हजारों गांव हैं। तो हजारों गांवों के लिये पानी नापने के यंत्र नहीं मिल सकते हैं लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि सरकार इस बात पर जरा गौर करे और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि अगर तहसीलों में पानी नापने के यंत्र लगे हैं तो उनका ठीक से प्रबन्ध होना चाहिये ताकि कितना पानी बरसा, उसकी ठीक से नाप-जोख हो सके।

जैसा पानी इस वर्ष बरसा, यह केवल मेरे ही तजुरबे की बात ही नहीं है बल्कि इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं सबको इस बात की पर्याप्त जानकारी है कि किस तरह से पानी बरसा है। अगर हजरतगंज में पानी बरसा है तो चारबाग में नहीं बरसा है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में कहीं पर पानी बरसा है तो ८ मील के बाद सूखा है। इस वर्ष यही पानी का लक्षण रहा है। इसके साथ-साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जून के महीने में एक फसल बोते हैं, वह फसल छोटी जरूर रहती है लेकिन उसको हर दूसरे तीसरे दिन पानी चाहिये। दो दिन के बाद जमीन सूख जाती है। तीसरे दिन पानी अगर नहीं मिले तो चौथे दिन वह सूखने लगेगी। इसी हिसाब से, अध्यक्ष महोदय, मैं क्राप्स एन्ड सीजन रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि आप इसको देखें कि जहां पिछले वर्षों में ११–१२ इंच पानी बरसा वहां इस वर्ष इतना कम पानी बरसा। कहीं-कहीं व्यतिक्रम भी हुआ है लेकिन फिर भी कहां पर कितना पानी बरसा इस संबंध में उसका कोई खास जिक्र नहीं किया गया है। मैं कहता हूं कि जुलाई में पानी नाममात्र को बरसा। ३–४ इंच पानी बरसा। तो ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, फसल की हालत क्या होगी? केवल ३१ जुलाई तक तो बिल्कुल पानी नहीं पड़ा और उसके बाद १० अगस्त तक बहुत मामूली पानी पड़ा। १० अगस्त के बाद पानी बरसना शुरू जरूर हुआ। इस तरह से साढ़े पांच हफ्ते में, जो नीचे की फसल की जो जड़ है, उसके सूखने की वजह से वह कैसे पनप सकती है? दस फसलें पैदा हो सकती थीं, वह नहीं पैदा हुईं और जो तना २ फुट ऊंचा हो सकता था वह सिर्फ जमीन ही में रह गया, तो जो तना साढ़े ५ सप्ताह में २ फूट ऊंचा हो सकता था यानी दस अगस्त के बाद वह समय आ जाता है कि उसमें जीव पड़ने लगता है। अब १० अगस्त को पानी बरसता है तो अब क्या तो वह फसल तना बढ़ायेगी या क्या लाग देगी या क्या बीज उसमें आयेगा। तो अध्यक्ष महोदय, फसल की एक उम्र होती है, उसके उगने की, उसकी वृद्धि की, उसके फूलने की और बीज देने की एक अवधि होती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बारिश नहीं हुई तो भदई की फसल बजाय क्वार के अहगन में कटे, फसल पानी का इन्तजार नहीं कर सकती, वह तो वक्त पर ही बरसने से बढ़ेगी और वक्त पर ही कटेगी। डेढ़ मास में धान नहीं बढ़ा। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के मत के जानने से सरकार को सहायता ही मिलेगी और उसको मालूम हो जायगा कि इस डेढ़ मास में पानी न गिरने से क्या नतीजा हुआ है। मैंने स्वयं वहां की फसलों को देखा है, हमने देखा कि मकई आदि के तने जरूर बढ़ गए हैं लेकिन जिस वक्त उसने भोचा या धनखर लेना शुरू किया तो उसकी हालत यह है कि न तो उसमें दाने पड़ सकते हैं और न वह वक्त पर तैयार हो सकती है, उसमें बाल लगेगी लेकिन दाना नहीं होगा। वैसी ही धान की बात है, हमारे यहां जो २ तरह का धान है, उसमें एक अर्ली पेडी है, यानी साठी जो साठ दिन में तैयार होती है।

[श्री गेंदासिंह]

आप खयाल करें कि जब ६० दिन में से ४५ दिन तक पानी नहीं पड़ा तो उस फसल की क्या हालत होगी जो ६० दिनमें कट जाती है ? जो फसल डेढ़ मास में कट जाती है, सावनी उसकी क्या हालत हुई ह गी ? वह बरबाद हो गई, मक्का, सांवा, टंगुनी और मड़ुआ आदि सब बरबाद हो गया और काफी बड़े पैमाने पर उसकी बरबादी हुई, मैं नहीं कहता कि १६ आने बरबादी हुई, इस वक्त पानी बरस जाने से जरूर फसल में जान आई और अब इतना जरूर हो जायगा कि जिन्होंने यह समझकर खोद दिया कि अब कुछ नहीं होगा, उनमें तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन जो फसल अभी खड़ी है उसको लोग अब रोप रहे हैं । हमारे यहां एक कहावत है कि "मघा रोपे असवे घोघा न भसके ।" यानी मघा नक्षत्र में धान इस प्रकार रोपना चाहिए कि उसमें घोघा किसी प्रकार घूम न सके । धान के रोपने की विधि है कि अगर आरम्भ में ही रोपा जाय तो २ पौधों को इस तरह से रोपा जा सकता है कि इतना फासला रहे कि वह आगे जाकर मिल सकें लेकिन यह इतने पास-पास रोपे जाते हैं कि बावजूद इतने घने रोपने के वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते । इस दृष्टि से हम देखने के लिए कहते हैं ।

मैं इन्कार नहीं करता कि वहां पानी नहीं बरसा और अगर वह अब भी नहीं बरसता तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती कि जैसी परिस्थिति पिछले दस बीस साल में नहीं आई थी । अब पानी पड़ना शुरू हुआ और उसके साथ-साथ लोगों में कुछ जान आई और लोग आगे की ओर देखने लगे और देहातों के मजदूर वगैरा जो एक तरह से फाकाकशी कर रहे थे उनको कुछ काम मिलने लगा । वह किसान ऐसे है कि जो ज्यादा शिकायत नहीं करते और जो कुछ भी हो सकता है उसको पैदा करने की भरसक कोशिश वह फिर कर रहे हैं । फिर वह सोचता है कि अच्छा चलो जुए का खेल है । घर में बीज पड़ा हुआ है । इसको यहां रख कर क्या करोगे । किसी तरह खेत में गाड़ दो । जो कुछ होगा वह हो जायगा । मजदूरी भी इस तरह लग गई ।

मैं तो माननीय मंत्रियों से कहूंगा कि वह गांव में गये होंगे, उन्होंने पता चलाया होगा कि क्राइम सिचुएशन क्या थी । मेरे गांव में तीन सेंध पड़ीं । तीनों सेंधों में अभाग्यवश रिपोर्ट करने नहीं आये । इसलिये वह रेकार्ड पर नहीं है । मुझे मालूम है कि रायजनी शुरू हो गई । जिम्मेदार लोगों ने बताया कि अगर यह पानी का बरसना शुरू न हुआ होता तो रास्ता चलना दूभर हो गया होता । इतने बड़े पैमाने पर इस सूखे से क्षति हुई । मैं यह जरूर कहता हूं ४ आने फसल जरूर होगी और अगर चार आने फसल हो तो जरा किसान की पिछली मालगुजारी का और उसके ऊपर जो और बोझ है इन सारे बोझों को सोचना चाहिये कि किसान आखिर कैसे अपना खर्चा चलावे ।

मेरी समझ में बात नहीं आती है कि मैं क्या सजेस्ट करूं इस वक्त गवर्नमेंट को । लेकिन एक बात जरूर सजेस्ट करता हूं कि पिछले वर्ष ३० करोड़ से कुछ ज्यादा खरीफ की फसल में बरबादी हुई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ६० करोड़ रुपये की क्षति हुई किसानों की । मैं ऐसा समझता हूं कि अबकी वर्ष जो सूखा और बाढ़ दोनों की क्षति को मिलावें तो करीब १ अरब रुपये की क्षति हमारे सूबे में हुई है । और मेरे पास वक्त नहीं है वर्ना मैं एक अरब के नुकसान की पूरी तस्वीर सदन के सामने पेश करने की कोशिश करता ।

श्री चरणसिंह—सारे सूबे की खरीफ की पैदावार कितनी है ?

श्री गेंदासिंह—इस वक्त, अध्यक्ष महोदय, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर उस विकास वाले हिस्से को छोड़ दें जिसमें कहीं ७५ मन फी एकड़ धान पैदा हुआ है और ५३ मन फी एकड़ मक्का पैदा हुई है और साधारण तौर पर जो सरकारी आंकड़े हैं ८ मन फी एकड़ को मान लेते हैं तो ३५ लाख एकड़ गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन और ३५ लाख एकड़ फैजाबाद डिवीजन में है तो कुछ केलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी । हम नहीं मानते कि १६ आने फसल बरबाद हो गई—१६ आने नहीं १२ आने बरबाद हुई तो फिर हिसाब

लगायें। मैंने तो हिसाब लगाया है। बाढ़ से और इस सूखे से क्षति का हिसाब लगायें तो करीब-करीब १ अरब रुपये का नुकसान होता है और तीस लाख का पिछले साल का अनुमान तो स्वयं माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया हुआ है। इस साल ६० करोड़ रुपये उनका था और एक अरब हम लोग कह रहे थे। माननीय शिवनारायण जी भी कह रहे थे एक अरब रुपया। अगर एक अरब की हमारी बात न मानी जाय तो सरकारी पक्ष की तरफ से बतलाया जाय कि सूखे से और इस बाढ़ से उत्तर प्रदेश की कितनी क्षति हुई। जो कुछ भी मानें, लेकिन यह तो मानेंगे ही कि क्षति हुई और यह क्षति ऐसे लोगों की हुई जो बर्दाश्त करने के लाय नहीं है। अगर बर्दाश्त करने के लायक नहीं हैं तो फिर सरकार को सोचना चाहिये और बराबर मैं कहा करता हूं कि भगवान का दर्जा सरकार नहीं ले सकती, भगवान नहीं बन सकती, खुदा मियां नहीं बन सकती लेकिन खुदा मियां का प्रतिनिधि बनने का तो दावा कर सकती है। प्रकृति हमको सताती है तो हम किसके यहां जायं? हम किस आदमी से कहने जायं? प्रकृति से बचने के लिये हमने एक सीधा सा संगठन किया है जिसे सरकार कहते हैं। सारे देश के लोगों ने हम पर भरोसा क्यों नहीं किया? हमने तो ५२ में कहा था कि हमारे हाथ में शासन दो। हम तमाम मुसीबतों से बचा देंगे लेकिन हम पर विश्वास नहीं हुआ। आपके ऊपर यकीन हुआ और यकीन करके समझा कि हम मुसीबत से बच जायेंगे। मैं ताना नहीं देता, उलहना नहीं देता लेकिन कर्तव्य का ज्ञान कराना चाहता हूं। सिर्फ कर्तव्य का ज्ञान कराता हूं। आप हमारा हिसाब भी क्यों नहीं जोड़ लेते हैं, जैसे ९४ करोड़ का बजट सरकार का है उसी तरह हमारा फेमिली बजट भी सरकार अपना क्यों न समझें? हम फाकाकशी कर रहे हैं, हर वर्ष सूखा, बाढ़ आवे, इसका आखिर कोई इलाज है या नहीं? अभी कोई फौरी मदद मंत्री जी ने कहीं भेज दी है, लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि इस वक्तव्य से "पर्याप्त" शब्द को वह जरूर हटा दें और बाकी रखें। और अगर उसे रखना है तो उसके आगे 'अ' बढ़ा दें। मैं अपनी फीलिंग व्यक्त कर रहा हूं। अगर उससे किसी को ज्ञान प्राप्त हो जायगा तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मैं इस अवसर का लाभ उठा करके सरकार से फिर कहना चाहता हूं, सरकार की आंखें बराबर इस बात से ओझल होना चाहती हैं। जब मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं तो सरकार उस पर जल्दी से जल्दी मिट्टी डालना चाहती है।

आखिर इस बाढ़ और सूखे का प्रबन्ध है कोई? बाढ़ से भी और सूखे से भी बचना अगर कोई हो सकता है तो वह हो सकता है कि जो लाखों क्यूसेक्स पानी हमको बरबाद करता है और रास्ते में बरबाद करता हुआ समुद्र में गिर कर बरबाद हो जाता है, यह सम्पत्ति है इसका सरकार अगर उपयोग न कर पाये तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने बाढ़ नियन्त्रक योजनाओं का बड़ा काम किया। अभी यह विवाद खड़ा है केन्द्रीय सरकार में और प्रदेशीय सरकार में। केन्द्रीय सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने योजनायें पूरी करके नहीं दीं इसलिये हमने रुपया नहीं दिया और उत्तर प्रदेशीय सरकार कहती है कि केन्द्र ने रुपया नहीं दिया इसलिये हमको असुविधा हुई। जब हम इसकी कभी सदन में चर्चा करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, आप कह देते हैं कि यह आपस का पत्र-व्यवहार है इसको सदन में न कहें। तो आखिर हमें बताया जाय कि यह गड़बड़ घोटाला कहां है, उत्तर प्रदेशीय सरकार का कसूर है या केन्द्रीय सरकार का कसूर है? मैं तो उस बात को कहना चाहता हूं कि अगर श्री कृष्णसिंह जी कोसी प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और दामोदर योजना को विधान बाबू ले सकते हैं, अरबों रुपया खर्च हो सकता है, आन्ध्र और हैदराबाद के लोग कृष्णा को नियंत्रित करने के लिये अरबों रुपया ले सकते हैं तो यू० पी० की सरकार ने आज तक घाघरा, बड़ी गंडक, सरजू, राप्ती या गोमती, इन नदियों को नियंत्रण करने के लिये क्या किया? मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्पत्ति को सरकार क्यों पानी में फेंक रही है? हम कहते हैं कि इसमें अगर अरब, दो अरब रुपया लगे तो मोटे तौर पर अगर सरकार का ही हिसाब मान लिया जाय, ६० करोड़ पिछले साल का नुकसान और इस वर्ष का नुकसान लगा लें तो एक अरब के ऊपर तो यही हो जाता है

[श्री गेंदासिंह]

और एक, दो वर्ष की तो बात है नहीं यह। यह तो हम पिछले १०, १५ सालों से नुकसान भोग रहे हैं। अरबों रुपया हमारा नुकसान हुआ तो इसको बचाया जा सकता है। इसी बुनियाद को ले करके, एक-दो अरब रुपया कर्ज नहीं ले सकते हैं क्या? आप कहें कि साख बिगड़ेगी। तो साख बिगड़ेगी जब देश की गरीबी बढ़ेगी, देश की जनता की हालत बिगड़ेगी। अगर हमारी हालत एक अरब, दो अरब रुपया खर्च करने के बाद भी सुधर जाती है, सूखा, बाढ़ से बच जाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, काटन पैदा करते हैं तो हमारी हालत बिगड़ने वाली नहीं है।

यह मैं बहुत ही जोर दे कर कहना चाहता हूं कि जब कोई संकट आवे, जैसे बंगाल में विभीषिका आई, विपत्ति आई और हमारे ३० लाख भाई मर गये, लेकिन उनके मरने के साथ अंग्रेजी सरकार की बुनियाद हिल गयी और इस हिन्दुस्तान से उसको जाना पड़ गया। क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब जनता के इस संकट से यह लाभ नहीं उठा सकती कि वह इस विपत्ति के लिये कोई स्थायी हल ढूंढ निकाले? क्या यह नहीं समझा जा सकता कि इस सूखा और बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिये हम अपनी सरकार की सारी शक्ति को लगायें और उसे बचाएं? बचाया जा सकता है और मैं फिर महात्मा गांधी के शब्दों को दुहराना चाहता हूं—उन्होंने तो हिन्दुस्तान की सरकार के लिये कहा था, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये कहता हूं कि यह कोई मोनोपोली नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा बाढ़ और सूखा की मुसीबत आया करे और उसके लिये यह कह दिया करे कि खुदा मियां ने यह कर दिया, हम क्या करें!

अन्त में मैं फौरी कार्रवाई जो हो सकती है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि टेस्ट-वर्क जरूरी है। अगर टेस्ट-वर्क नहीं होता है तो भूखा आदमी सब कुछ कर सकता है, इसलिये रोजगार दिया जाय। मैं ग्रेटुइट्स रिलीफ देने के हक में नहीं हूं। किसी आदमी की आदत बनाना कि वह मुफ्त खा सके यह कोई अच्छी चीज नहीं है। हां, यह बड़े पैमाने पर होना चाहिये। जिन लोगों को खास जरूरत है उन्हीं को रिलीफ दिया जाना चाहिये। मालगुजारी के सिलसिले में मैंने अखबारों में पढ़ा था कि लाख रुपया टेस्ट-वर्क खोलने के लिये दिया गया। लेकिन वह मिस्प्रिट है। तो देवरिया में जहां-जहां भी ऐसी आवश्यकता हो उसमें लोगों को लगाया जाय।

हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वह बड़े संकट में हैं। जहां पर उनकी कुछ महीनों की फीस की माफी की आवश्यकता है, दूसरी फसल के आने तक उसमें भी सहायता करना आवश्यक है। ग्रेटुइट्स रिलीफ की आवश्यकता उन लोगों के लिये आवश्यक पड़ेगी जो भीख मांग कर खाते हैं। क्योंकि अन्न नहीं है तो भीख नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार भूखे मरने वालों को एक कठिनाई अवश्य हो गई है जो कोई काम-धंधा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की लिस्ट बना ली जाय और आवश्यकतानुसार महीने दो महीने उनको कुछ दिया जाय। हमको ऐसे जंजाल में नहीं फंसना चाहिये कि जो पाने के हकदार नहीं हैं उन्हीं को रिलीफ देते रहें और हकदारों को कुछ न मिले।

इन दो तीन बातों की ओर खास तौर से ध्यान आकर्षित करते हुये अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि आज कल की मालगुजारी और तकावी की वसूली कहीं-कहीं पर जारी है। मैं पिछले वर्ष की तकावी और मालगुजारी की माफी की बात नहीं करता, लेकिन इस महीने में, जब कि किसान मर रहा है उस समय उसको मुल्तवी जरूर कर देना चाहिये ताकि और कामों से अपने को बचा सके और अपनी रक्षा कर सके और फिर जब वक्त आवे तो वसूल कर लिया जाय। तो माल मंत्री जो हमारी बात मान लें कि जो किस्त गड़बड़ हो गयी हैं, पिछले जमाने की किस्त ज्यादा वैज्ञानिक थीं, इस जमाने की ज्यादा गड़बड़ हो गयी हैं, तो उनकी वसूली दिसम्बर से जून तक अगर सख्ती से कर ली जाय तो कोई बात नहीं है, लेकिन जून के बाद वसूली करना दुगनी तकलीफ की बात हो जाती है। इसलिये उनसे आग्रह करूंगा कि इस मालगुजारी की वसूली को मुल्तवी करने के तुरन्त आदेश निकालें।

*श्री राधामोहनसिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखा की समस्या के सम्बन्ध में जो भाषण माननीय मुख्य मंत्री ने दिया और जो नेता विरोधी दल ने अभी भाषण दिया, उसको भी मैंने गौर से सुना ।

श्री अध्यक्ष--अब भाषण बाद में जारी रखने का आपको हक है ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राधामोहनसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, दोनों भाषणों के सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार और विरोधी पक्ष के मत में बहुत कम विभिन्नता है । यह पहला ही अवसर है कि इस प्रश्न पर काफी समानता और निकटता दिखाई पड़ती है । मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि फर्क केवल कुछ डिग्रियों का है, कुछ अंशों का है । कारण यह है कि सरकार की तरफ से बाढ़ और सूखा क्षेत्रों के जानने का प्रयत्न किया गया है और प्रसन्नता की बात है कि कई मंत्रियों ने, मुख्य मंत्री जी ने, माल मंत्री जी ने, सूचना मन्त्री जी तथा नियोजन मंत्री जी ने दौरा करके इस बात का पता लगाया गया ह कि किस क्षत्र म किस कदर बाढ़ से क्षति हुई है और किस प्रकार सूखा का असर हुआ है ।

सूखा के असर के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । मैं समझता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि खरीफ की फसल पर काफी असर पड़ा है । लेकिन जहां तक धान का संबंध है और जो काफी विस्तृत क्षेत्र में बोया जाता है अगस्त के पहले हफ्ते के बाद और गत दो तीन दिनों में जो पानी पड़ा है उससे मेरा अनुमान है कि असर अच्छा पड़ा है और सम्भव है कि जो क्षति का हम अनुमान लगा रहे थे, उसमें काफी कमी हो जायगी । लेकिन मैं आप का ध्यान विशेष तौर से इलाहाबाद से लेकर बलिया तक गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, खींचना चाहता हूं ।

जहां तक मुख्य मंत्री जी के बयान का संबंध है और जो बयान दिया गया है वह काफी विस्तृत है और इससे अधिक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें यह कहना है कि बयान से एसा मालूम होता है कि इलाहाबाद में १९४८ में जो पानी का स्तर था उससे दो फिट कम पानी का स्तर रहा । आगे बढ़ते जाइये, गाजीपुर में १ फुट ७ इंच रहा और बलिया में एक ही फुट रह गया । १९४८ की बाढ़ की भयंकरता हमको याद है और जो दृष्य बलिया में रहा वह भुलाया नहीं जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस समय सोन नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और सोन नदी में बाढ़ आने से गंगा के पानी में बाधा पड़ती है जिससे नीचे के क्षेत्रों में सतह ऊंची हो जाती है ।

पिछले सालों में देखने में आया है कि जब-जब बाढ़ की भयंकरता हुई है तो उसमें सोन नदी का काफी हाथ रहा है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पानी का स्तर ऊंचा रहा वहां हमने दौरा किया तो यह देखने में आया कि आज जो क्षति हुई है वह १९४८ के समक्ष नगण्य है । इसका कारण यह है कि इन दो तीन वर्षों में सरकार के प्रयत्न से जो बाढ़ के नियंत्रण में प्रयास किये गये हैं, वह काफ़ी सफल हुये हैं ।

मुझे खुशी मालूम होती है कि बलिया में जो बेरिया बांध बनाया गया है, उसके कारण ६ लाख एकड़ जमीन बच गई है और मैं अपने जीवन में क्या बल्कि बड़े-बूढ़े कहते हैं कि खरीफ की फसल देखने को नहीं मिलती थी लेकिन आज मुझे यह कहते हुये हर्ष और गर्व मालूम होता है कि इस महान् बांध के कारण आज करोड़ों रुपये का हमें लाभ हुआ है । लेकिन जहां मैं यह बयान करता हूं वहां मुझे यह कहते हुये दुःख मालूम होता है कि बेरिया से संसारटोला बांध अभी भी रुका हुआ है और उसके पास के करीब १०० गांव आज त्रस्त हैं और दूसरे गांवों में खेती लहलहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधामोहन सिंह]

रही है। उन गांवों की जनता आज त्रस्त है। अगर वह बांध पूरा हो गया होता तो बलिया का बहुत बड़ा भू-भाग सरकार के प्रयास के कारण फला फूला दिखायी पड़ता। मुझे मालूम हुआ हैं कि हमारी सरकार ने उसको बनाने की योजना पूरी कर ली थी लेकिन बिहार सरकार के कारण भारतीय सरकार ने उसका कार्य रुकवा दिया है। मैं इस सदन के द्वारा निवेदन करूंगा कि डेढ़ लाख की जनता और करीब ६० हजार एकड़ जमीन इस बांध के अभाव से आज त्रस्त है। मैंने अपने जिलाधिकारी को इस बात की सूचना दे दी है कि ७०–७५ गांव ऐसे हैं जहां के लोग बेघर-बार हो गये हैं। मैं अपनी सरकार से बहुत जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि बेरिया से संसारटोला तक बांध जल्द से जल्द बनाने का कार्य सम्पन्न किया जाय अन्यथा उस भू-भाग को और वहां की जनता को बहुत हानि होगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि दो मिनट का समय और दे दें क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अभी दो मिनट और हैं।

श्री राधामोहन सिंह—तो बलिया से बेरिया तक बांध बना हुआ है। उसका कोई बुरा प्रभाव बिहार के ऊपर नहीं पड़ा है। बिहार के क्षेत्र को मैं देख चुका हूं। बिहार के क्षेत्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हमारी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि यह बांध जल्द से जल्द पूरा किया जाय।

दूसरी बात मैं बलिया शहर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो बेरिया बांध बना हुआ है उस के कारण आज बलिया के लोग बाढ़ से बचे हुये हैं। जहां गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद शहरों के अन्दर पानी घुस गया है वहां आज इसी बांध के कारण बलिया के लोग बचे हुये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि गत ७, ८ दिनों के अन्दर हजारों मजदूर और वहां के अधिकारी रात दिन चौकसी में हैं जिससे बांध बचा हुआ है। बलिया और बेरिया का बांध इतना बड़ा है और उसके ऊपर पानी का इतना दबाव है लेकिन मैं अपने अधिकारियों की कार्य-क्षमता और उनकी कार्य-शैली की प्रशंसा करता हूं जिसके कारण वहां के लोग आज बाढ़ से बचे हुये हैं। घाघरा के किनारे जो बांध बना हुआ है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बांध को देख कर मुझे हर्ष होता है और अगर वह बांध भी पूरा कर दिया जाय तो बलिया का पूरा क्षेत्र बच जाता। आज इतनी बड़ी बाढ़ के होते हुये भी हम इस अवस्था में हैं कि आप के सामने यह कहने के लिये तैयार हैं कि जो कुछ रुपया खर्च हुआ है वह बहुत अच्छे कार्य में लगा है और उससे लोगों का बहुत हित हुआ है।

एक और बात बलिया के सम्बन्ध में कटाव की मैं कहना चाहता हूं। कटाव गंगा और घाघरा दोनों नदियों के किनारों पर है। घाघरा का कटाव बहुत ही भयंकर सुरेमनपुर स्टेशन के पास है जिसके सम्बन्ध में हमारे माननीय मित्र पांडेय जी ने कामरोको प्रस्ताव दिया था। जो प्रयास हमारी सरकार ने किया और हमारे सूचना मंत्री ने जो कदम उठाये उसके कारण अधिकारी बहुत सचेष्ट हो गये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष जहां डेढ़ मील का कटाव हुआ था वहां इस साल आज तक केवल २०० फीट नदी आगे बढ़ पायी है। मैं अधिकारियों से मिला और यह मालूम होता है कि बाकी का हिस्सा बच जायगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय केवल इसलिये मिला है कि हम ऐसा प्रयत्न करें कि यह कटाव स्थायी तौर पर रोका जा सके। यह जो मेरा सुझाव है वह केवल इसलिये नहीं है कि वह भू-भाग बच जाय बल्कि अगर वहां आगे कटाव होता है और दरिया दो फर्लांग आगे बढ़ जाता है तथा उसके दक्षिण में ऐसा एक पुराना नाला है जो पहले से गंगा और घाघरा के बीच में पड़ता है तथा बलिया और बेरिया का वह सारा भू-भाग जो इसके बीच में पड़ता है वह उसके कारण सबका सब कट जायगा। और उसकी वजह से डेढ़ लाख जनता बरबाद हो जायगी और हजारों एकड़ क्षेत्र नष्ट हो जायगा। इन हजारों एकड़ जमीन, डेढ़ लाख जनता और रेलवे लाइन सब को सामने रखते हुये इसकी

गम्भीरता पर सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा प्रयत्न किया जावे कि वहां पर कटाव को स्थायी तौर पर रोका जावे। यह गंगा और घाघरा के बीच बहुत थोड़ा सा अन्तर है और अगर रेलवे लाइन कट जाती है और दूसरी रेलवे लाइन बनानी पड़े तो आप सोच सकते हैं क्या हानि धन जन की होगी जबकि उत्तर की ओर गंगा और दक्षिण की ओर घाघरा काटता चली जाती है और अगर हम इस कटाव को रोकने का प्रयत्न नहीं करते और कटाव को रोकते नहीं हैं तो यह तमाम भू-भाग जलमग्न हो जायगा और इससे असंख्य धन जन की हानि होगी।

अब जहां तक बाढ़ की स्थिति का सम्बन्ध था, मैं यह सब निवेदन कर चुका। अब जो कार्य रिलीफ के सम्बन्ध में हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे जिले में करीब पन्द्रह बीस हजार आदमी हटाये जा चुके हैं। जो सड़क बलिया से बेरिया तक है और जिस पर बांध बना हुआ है इसी सड़क से तमाम यातायात का साधन सुलभ होता है। अगर इस पर एक पक्की सड़क नहीं बनी तो बड़ी परेशानी लोगों को हो जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वक्तव्य आज बाढ़ और सूखा की स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने दिया है उससे यह मालूम होता है कि इस समय इस सम्बन्ध में सरकार जो कार्य कर रही है वह पूर्ण, पर्याप्त और सर्वथा संतोषजनक न हो तब भी सराहनीय है और प्रशंसा का पात्र है और इसलिये मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मेरा मत है कि यह काम सरकार को कम से कम आज से दस वर्ष पहले शुरू कर देना चाहिये था। चूंकि हमारे प्रदेश में बाढ़ और सूखा की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है और जहां तक मुझे याद है सन् १९३७ में यहां विधान सभा में हमारे प्रदेश में विचार करके इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनी जो जांच कर के रिपोर्ट देने के लिये कायम की गई थी। उसके बाद सन् १९४६ में शासन हाथ में आने पर पुनः उसके लिये तुरन्त प्रयत्न चाहिये थे और अगर ऐसा किया जाता और ये योजनायें उसी समय बनायी जाती और पांच साल में पूरी हो जाती तो सन् १९५१ से लेकर अब तक जितनी धन जन की हानि हुई है जनता को जितना कष्ट हुआ है, जितनी परेशानी हुई है, वह सब बच जाती है और हर हालत में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी तब वह कार्य क्यों नहीं लिया गया और उस को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ? अगर प्राथमिकता दी जाती तो जैसा इस वक्तव्य में मुख्य मंत्री जी ने लिखा है कि वे आशा करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद साढ़े तीन हजार से अधिक गांवों की सतह ऊंची कर दी जायगी और समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जायगा, वह काम अब तक समाप्त हो गया होता और अगली पंचवर्षीय योजना के लिये हमें प्रतीक्षा नहीं करनी होती। जहां पर योजनाओं की चर्चा इस वक्तव्य में है, बाढ़ निरोधक योजनाओं की, और जिसके बारे में यह कहा गया है कि ये योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी गयी हैं मुझे नहीं मालूम कि उस योजना में ड्रेनेज की समस्या शामिल की गयी है या नहीं। लेकिन अगर नहीं की गई है तो मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बाढ़ रोकने के लिये यह भी आवश्यक है कि पानी के निकास का प्रबन्ध किया जाय और ड्रेनेज का प्रबन्ध हो, अगर उस योजना में यह बात शामिल है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर नहीं शामिल है तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये।

आगरा के सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि वहां पर जो काम हो रहा है उससे भी मुझे सन्तोष है। मुझे वहां के अधिकारियों की शिकायत का मौका नहीं है। विशेषकर मुझे खुशी है कि वहां की जनता किरावली में तहसीलदार की मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि स्वयं जनता किसी अधिकारी के कार्य की प्रशंसा करे। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार को यह भी देख लेना चाहिये कि जब एक अधिकारी की प्रशंसा होती है तो क्या कारण है दूसरे अधिकारी को वह प्रशंसा नहीं मिलती। इसकी ओर सरकार को इसलिये ध्यान देना चाहिये कि सरकार यह नहीं कह सकती है और कम से कम इस मामले में कि जनता तो शिकायत ही करती है और जो अच्छा काम भी करे उसकी भी वह प्रशंसा

[श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल]

नहीं करती । यहां पर ऐसा नहीं है । जनता ने इस बात का प्रमाण दिया है कि सचमुच सच्चाई क साथ उसकी जो सेवा करता है चाहे वह कोई भी हो, अधिकारी हो या दूसरा हो वह उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करती है । तो यह देखने की बात है कि दूसरे अधिकारी की प्रशंसा क्यों नहीं हो रही है । इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । और मैं यह भी आशा करता हूं कि इस समय आगरा में जो समस्या है, मुझे वहां की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, मैंने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है तो मेरी राय में अन्न, वस्त्र और चारे की समस्या के अलावा वहां की इस समय तात्कालिक समस्या यह है कि उनकी रक्षा के लिये जो घरबारहीन हो गये हैं तुरन्त प्रबंध किया जाय । चाहे टैम्पोरेरी टैन्टों का प्रबंध, शिविरों का किया जाय, चाहे शीघ्रता से हटों झोपड़ियों का प्रबंध किया जाय या चाहे जो भी किया जाय लेकिन सब से पहले वह होना चाहिये । उनकी दुर्दशा को मैंने अपने आंखों देखा है । उनकी हालत यह है कि पानी पड़ रहा है, लोग पड़े हुये हैं, पानी से भीग रहे हैं । ऐसी दशा में वह कैसे सो सकते हैं और कैसे बैठ सकते हैं और कहां पर खाना बना सकते हैं जबकि खुले मैदान में वे बरसते पानी में पड़े हुये हैं ? इसलिये इसका प्रबंध विशेष रूप से किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि सरकार अपना ध्यान इस ओर देगी और सरकार उनके लिये समुचित प्रबंध शीघ्र ही करेगी ।

इसके अलावा मुझे एक बात यह कहनी है कि इस तरह का काम जैसे बाढ़ और सूखे का है, यह सेवा का कार्य है । यह पार्टी से परे के काम है । इसमें दलबन्दी का कोई विचार नहीं होना चाहिये, न कोई प्रश्न इस तरह से दलगत उठाना चाहिये । इस दशा में सरकार का सत्ताधारी पार्टी की हैसियत से, बड़ी पार्टी की हैसियत से यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनता की दूसरी पार्टीज का भी सहयोग प्राप्त करे । उदाहरण के लिये मुझे हर्ष है कि समाचार-पत्रों में मैंने यह पढ़ा था कि १५ अगस्त के दिन राष्ट्रीय दिवस जो लखनऊ में मनाया गया उसमें विरोधी पार्टियों के लोग भी शामिल हुये । लेकिन प्रदेश में ऐसा सभी जगह नहीं हुआ । मैं इसमें किसी स्थान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी की आलोचना करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि यह दृष्टिकोण सभी जगह के लिये होना चाहिये । तो सा मैंने कहा कि सरकार का कार्य है कि वह दूसरी पार्टी के लोगों को भी जो राजनीति को छोड़ कर ऐसे पवित्र काम में सहयोग देने के लिये तैयार हों उनका सहयोग सरकार की ओर से आमंत्रित किया जाना चाहिये । तभी सरकार यह कह सकती है कि हम तो जन-सहयोग चाहते हैं लेकिन जन ा सहयोग देने के लिये तैयार नहीं है । मेरा विश्वास है और आशा है कि सरकार यदि इस तरह से करे तो ऐसे सभी कामों में सभी पार्टीज का सहयोग प्राप्त होगा और काम सहयोग से होने पर अच्छी तरह से हो सकेगा ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दूसरे पृष्ठ में यह कहा है कि वाराणसी में लगभग २ हजार मकान बाढ़ग्रस्त हुये और जिले में लगभग १५,६०० एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गया जिससे १८६ गांव प्रभावित हुये इसके विपरीत ३ व ४ पृष्ठ पर उनका बयान है कि आगरे में ८५ गांव जलमग्न हो गये और फसल को भारी क्षति पहुंची है । जिले में ५३ हजार एकड़ से अधिक भूमि बाढ़ से प्रभावित हुयी है । तो १५ हजार और ५३ हजार में तिगुने से ज्यादा का अन्तर है लेकिन उनकी सहायता के आंकड़े देखने से मालूम होता है कि यहां वाराणसी नहीं है, बनारस है, नहीं मालूम क्यों वाराणसी में ३० हजार और आगरे में १५ हजार, यानी केवल आधी रक़म है । आगरे में बाढ़ शायद देर से आयी या सहायता की आवश्यकता देर में पड़ी परन्तु मैं आशा करता हूं कि और ज्यादा सहायता दी जायगी । यह सहायता केवल अन्न, चारा, वस्त्र और शैल्टर के रूप में ही नहीं होनी चाहिये बल्कि सहायता तकावी और छूट भी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिये ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इलाहाबाद जिला भी उन बदकिस्मत जिलों में से है जहां पिछले ७,८ वर्षों से लगातार बाढ़

आती है। सन् ४७ में एक छोटी सी बाढ़, जैसी इस वर्ष आयी है, आयी और फिर सन् ४८ में बड़ी बाढ़ आयी। फिर ५३ में अति वर्षा से इलाहाबाद शहर और सोरांव और फूलपुर तहसीलों में बड़ी क्षति पहुंची और फिर ५५ में सोरांव, फूलपुर और हंडिया में बड़ी क्षति हुयी। इलाहाबाद एक बड़ा जिला है। इसमें गंगा ८० मील की लम्बाई में और जमुना करीब ४० मील की लम्बाई में बहती हैं। जब प्रदेश की इन दो बड़ी नदियों में वहां बाढ़ आ जाती है तो क्षति छोटे-मोटे पूरे जिलों के बराबर ही हो जाती है। सभी बाढ़ों में हमारी सरकार ने जनता की सराहनीय सेवा की है और जैसे-जैसे हम देखते चले जा रहे हैं वैसे-वैसे हमारे सरकारी कर्मचारी भी जनता की सहायता के लिये दौड़ने में अभ्यासी होते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि यह हमारे कल्याणकारी राज्य का शुभलक्षण है कि हमारे सरकारी लोग परस्पर इस बात की होड़ लगाते हैं कि कौन कर्मचारी जनता की सेवा में पहिले पहुंचता है। सूने भी जब हम गये हैं तो वहां की जनता ने इस बात की सराहना की कि वहां पर नावें यदि समय से नहीं पहुंचतीं तो लाखों प्राणी काल के शिकार हो जाते। विशेषकर गंगा में जरात लवायन कछार है २२ हजार बीघे का जिसमें क़रीब १० हजार मवेशी सदैव रहा करते हैं और वह चारों तरफ से आये दिन बाढ़ से घिर जाता है। इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों के वहां अच्छे ढंग से कार्य करने से क्षति होने से बच गयी।

जहां तक सरकार की ओर से सहायता के कार्य की बात है, इसमें संदेह नहीं कि वह जनता के लिये काफी प्रेरणा और उत्साहदायक रही है और इस बात की आशा की जाती है कि सरकार अधिक सहायता करेगी। मैं केवल इसलिये प्रस्तुत हुआ हूं कि इलाहाबाद का जिला बाढ़ की योजनाओं में बहुत पीछे रह गया है। जहां दूसरे जिलों में बहुत से बाढ़ के कार्य हुये इलाहाबाद में गंगा व जमुना के किनारे जिन कारणों से बाढ़ आती है उनको दूर करने में कोई भी विशेष उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया है। हमें आशा है कि आगे सरकार इस बात का ध्यान रक्खेगी कि इलाहाबाद के उन क्षेत्रों में जो नीचे हैं और जिनमें प्रायः बाढ़ आ जाया करती है, धन-जन को अतीव क्षति होती है, उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है, इस ओर आशा है सरकार ध्यान देगी।

मैं स्वयं जिस गांव से आता हूं और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं तथा और भी जो निकट का क्षेत्र है, वह गंगा और काशी के बीच में पड़ता है। उनमें बाढ़ आने के कुछ विशेष कारण हैं और उनमें सबसे बड़ा कारण गंगा में बहने वाले बड़े-बड़े नाले हैं। ५२-५३ के अपने बजट भाषण में मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि यदि बाढ़ को रोकने की व्यवस्था में सरकार इन नालों की ओर ध्यान दे तो उनके नियंत्रण से बहुत हद तक बाढ़ रोकी जा सकती है। यदि इन नालों का नियंत्रण किया जाय तो ३ लाभ हो सकते हैं। एक तो जमीन का कटाव रुकेगा, संचित पानी से सिंचाई हो सकेगी, तीसरे गंगा के बढ़ते हुये पानी से फसल को जो हानि होती है, उससे भी बचाया जा सकेगा और गांवों की जो बस्ती है उसको नुकसान न पहुंच सकेगा। इन क्षेत्रों में माननीय सिंचाई मंत्री जी कल पधारे थे, मैं भी वहां था, उन्होंने वहीं की जानकारी ही प्राप्त नहीं की बल्कि दूसरे स्थानों की भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि वह शीघ्र ही वहां का सर्वे करा कर इन नालों को जो गांवों के पास से गुजरते हैं, जो गांवों को डुबाने के कारण हैं, उनको नियंत्रण करने की योजना को अपनी विशाल योजना में सम्मिलित कर लेंगे। मेरा अनुरोध है कि विशेषरूप से सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जिले की तरफ से मैं इस बात का सुझाव दूंगा कि वहां के चारे और तकावी का प्रबंध सरकार करे। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रक्खे कि वहां से जिला मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आयी है उसमें बहुत ही कम अनुमान नुकसान का लगाया गया है। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात से अवगत हो गये हैं कि वहां पर कहीं ज्यादा क्षति हुयी है। साधारण तकावी वहां पर ५ लाख से कम नहीं होनी चाहिये, डिस्ट्रेस तकावी २ लाख और सब्सिडी कम से कम दो लाख सरकार देने की कृपा करे। क्योंकि उन गरीब मजदूरों को ३-४ महीने तक कोई काम नहीं मिलने वाला है तथा किसानों के पास भी ८ महीने तक कोई अन्न आने का साधन नहीं है, उनके अन्न और दूसरी व्यवस्था करने के लिये सरकार कोई कदम उठाये तो मैं समझता हूं वह नामुमकिन और अपर्याप्त ही होगा। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देता

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

हूं कि उन स्थानों में सरकार कुछ काम चलाये जिससे वह मजदूर भरपेट भोजन पा सकें। मैं समझता हूं इसके लिये सरकार ऐसे काम करे जो वहां के लिये लाभदायक सिद्ध हों। उस जिले में यातायात के साधन बहुत ही कम हैं और ऐसे समय पर जबकि सहायता पहुंचाने की अत्यन्त आवश्यकता होती है वहां पर सहायता पहुंचाने का केवल एक ही मार्ग रह जाता है और वह नदी है। खुश्की के मार्ग से सहायता पहुंचाना असंभव हो जाता है। हमारा सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों में आने-जाने के मार्ग बनाये जायं। आज वहां जो जिला बोर्ड की सड़कें हैं उनको ऊंचा करने की व्यवस्था सरकार करे। उनके ऊंचे होने से दो लाभ होंगे। एक तो यह कि सड़कों के ऊंचे होने से पानी आगे न बढ़ सकेगा, दूसरे गांवों के डूबने के समय वहां पर सहायता पहुंचायी जा सकेगी, तीसरे वहां के पशुओं और किसानों को बचाया जा सकेगा। इसलिये आवश्यकता है कि इन क्षेत्रों को अधिक से अधिक सहायता दी जाय। करछना तहसील में एक क्षेत्र है जो जिले का सबसे नीचा स्थान है। उसको ऊंचा करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

तीसरे करछना तहसील में अपने दाहिने किनारे को गंगा जी काटती जा रही हैं। सन् ४८ की बाढ़ के बाद से कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी जमीन भी कुल कट कर पानी में चली गयी है। इन गांवों के करीब ५०० घरों में से अब केवल ५० घर बाकी रह गये हैं। एक गांव की तीन साढ़े तीन हजार बीघे जमीन और दूसरे गांव की १८०० बीघे जमीन पानी में चली गयी है। इस तरह से वे गांव न केवल अपने घरों को खो चुके बल्कि अपनी आमदनी और जिन्दगी बसर करने का जरिया जो खेती है उसको भी खो चुके। एक और भी कठिनाई वहां पर है जिसकी ओर मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अक्सर कानून यह है कि गंगा के कटाव में जो जमीन चली जाती है उस जमीन के मालिक दूसरी तरफ के लोग हो जाते हैं और जिस गांव की जमीन कटती है, चूंकि वह आइडेंटिफिएबिल नहीं होती इसलिये यह जमीन उसे नहीं मिल पाती है। यह एक बड़ी कठिनाई की बात हो जाती है कि एक गांव की पूरी जमीन खो जाय, उसके घर खो जायं, वे आदमी विस्थापित हो जायं, जबकि पाकिस्तान से आये हुये इंसानों को जिनके पास घर नहीं थे उनको घर दिया, नयी जमीन दी, नयी व्यवस्था की और उसी जिले में रहने वाले जो बेघरबार होते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है और अपनी जमीन भी इसलिये नहीं मिल पाती क्योंकि कानूनन उनको वह नहीं मिल सकती है। कानून तो जनता की सहायता के लिये होता है। माननीय माल मंत्री जी इस सम्बन्ध में बराबर सजग रहते ह; और जहां भी उनको ऐसी कठिनाई मालूम होती है उसको दूर करते हैं। मैं उनका ध्यान उन सब गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि गंगा आदि नदियों के किनारे बसे हुये हैं और जहां अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है। हमारे प्रदेश के हर गांव में कितनी जमीन है यह निश्चित है, उसके नक्शे भी निश्चित हैं, तो फिर एक गांव की जमीन कट कर जब दूसरे गांव की तरफ चली जाती है और कानूनन वह जमीन उनको नहीं मिल सकती है, इसके लिये मैं माननीय माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ही वहां की जनता के नाम पर, वहां के हर एक इंसान के नाम पर उस कानून में ऐसा संशोधन करें और उसमें ऐसा परिवर्तन करें जिससे ऐसी जमीन उन लोगों को मिले जिनकी जमीन कुल की कुल कट चुकी हो।

श्री अधिष्ठाता---श्री पद्मनाथ सिंह।

श्री राजनारायण---जरा कांग्रेस वालों को कम बुलाया जाय, यह पहले ही तय हो चुका है।

***श्री पद्मनार्थसिंह** (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के पूर्वी भागों के अन्दर बाढ़ की और अकाल की एक कहानी हो गयी है। वर्षों से यहां तो हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाढ़ की तकलीफ लेकर उपस्थित होते हैं या अकाल की तकलीफ लेकर उपस्थित होते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ भी आ गयी और बाढ़ के पश्चात् अकाल भी आ गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन कुछ जिलों में भूमि की स्थिति ऐसी हो गयी है, टोपोग्राफी आफ लैन्ड ऐसा बन गया है, कि जब भी कहीं पानी बरसता है तो वहां के गांवों में एक कठिनाई हो जाती है और सरकार तथा वहां की जनता वहां से पानी को निकाल देने के लिये प्रयत्नशील हो जाती है। फिर तमाम पानी निकाला जाता है और उसके पश्चात वर्षा नहीं होती है तो अकाल आ जाता है। यह कहानी वहां के जीवन की है और फिर पूर्वी जिलों में हमारे रोने और कलपने की यह एक दैनिक चर्चा बन गयी है।

मैं इस बात को महसूस करता हूं और हमारी यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उससे पूर्वी जिलों को बाढ़ से रक्षा करने के लिये बहुत कुछ किया है। विशेष रूप से मैं सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी को भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं जिन्होंने पूर्वी जिलों में जहां कुछ भी पहले नहीं हुआ करता था वहां इतना कर दिया है कि हम महसूस करने लगे हैं कि बहुत कुछ हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक गांव जो बाढ़ से और सूखे से पीड़ित है वह यह अनुभव करने लगा है कि यदि यही स्थिति रहती है तो कुछ ही दिनों में हम बहुत कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन दो तीन विशेष बातें हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि यह बात सच है कि प्रदेश का पूर्वी भाग बाढ़ और अकाल का क्षेत्र बन गया तो क्या सरकार कोई ऐसा सर्वे व्यापक रूप से कराने के लिये प्रयत्नशील ह, कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे अन्दाजा हो सके और स्थिति का पता लग सके कि यह बाढ़ और अकाल क्यों आया करता है? सड़कों की स्थिति, रेलवे की स्थिति और नदियों की स्थिति क्या है जिससे पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है, और फिर पानी निकालने के बाद उसकी कमी हो जाती है? तो क्या सरकार व्यापक रूप से ऐसा सर्वे कराने के लिये क्या कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है जिससे ठीक-ठीक उसका अन्दाजा हो सके। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार के पास जो रिपोर्ट हैं उन पर विचार करने के बाद पूर्वी जिलों में लगातार बाढ़ और अकाल आने के कारण का सरकार अभी तक पता लगा सकी है या नहीं। मैं चाहता हूं कि वहां पर कोई ऐसा रिसर्च इन्स्टीट्यूशन हो जो वहां की बाढ़ आने की स्थिति का अध्ययन करे और इस समस्या के हल के रूप में सरकार और जनता के सामने कोई चीज उपस्थित करे।

मैं समझता हूं हमारे पूर्वी जिलों की स्थिति ऐसी है कि जो इंजीनियर्स आदि वहां ट्यूबवेल बनवाने के लिये, केनाल्स के लिये या बाढ़ रोकने के लिये या विकास के कार्यों के लिये जाते रहे हैं वह बाहर के या पश्चिमी जिलों के हुआ करते थे, उनमें से अधिकतर को, किसी को वहां की क्लाइमेट माफिक नहीं आती थी, किसी को रहन सहन वहां का पसन्द नहीं आता था और वे वहां से जी चुरा कर भागते थे और नतीजा यह हुआ कि जो भी रिपोर्ट वहां के बारे में आयी वह प्रतिकूल ही आयी, परन्तु इधर विशेष रूप से माननीय सिंचाई मंत्री जी की कृपा से जो लोग उधर इन कामों के लिये भेजे गये हैं उन्होंने मन लगाकर काम किया है और वहां बहुत कुछ काम हुआ भी है लेकिन फिर भी यह बहुत आवश्यक है कि पूर्वी जिलों में कोई ऐसा रिसर्च का इन्स्टीट्यूट हो और वहां की हालत की ठीक स्टडी की कोई व्यवस्था हो, ताकि वहीं के लोगों में से ऐसे लोग उत्पन्न हो सकें ताकि वे उसी क्लाइमेट में, वहीं के जैसे रहन सहन के साथ वहां की परिस्थितियों में सफलता से काम कर सकें और इसीलिये बहुत दिनों से पूर्वी जिलों के माननीय सदस्यों ने और भी सभी लोगों ने सरकार से बार-बार प्रार्थना की है कि वहां पर जरूर इस प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने की की जाय जिससे पूर्वी जिलों की यह समस्या जो सरकार के लिये एक लगातार हैडेक का कारण बन गयी है, बार-बार कहते हुये हम को भी शर्म आती है और सरकार को भी पीड़ा होती ही होगी कि उधर के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और अकाल की समस्या लेकर खड़े हो जाते हैं।

मैं मंत्री जी के सामने तीन परमानेंट चीजें इस समस्या को हल करने के लिये रखना चाहता हूं। अव्वल तो यह कि उन जिलों का जहां पर लगातार बाढ़ और अकाल की परिस्थिति होती है

[श्री पद्मनार्यसिंह]

एक व्यापक सर्वे कराया जाय ताकि वहां की टोपोग्राफी और बाढ़ आदि की स्थिति का सही पता लग सके और उस को देखकर सरकार कोई निश्चित और स्थायी कदम उठा सके। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि खास-खास जगह पर ऐसे इंस्टीट्यूशन्स जैसे कि गोरखपुर विश्व-विद्यालय खोला जा रहा है,खोले जायं जहां पर बाढ़ की स्थिति की उसके कारणों की, अकाल की, इरोजन की और एफारेस्टेशन आदि की स्टडी की जा सके और रिसर्च वर्क हो सके,और उसके परिणाम स्वरूप सरकार अपने अगले कदम उठावे। लगातार देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में सरकार ने इस साल और पारसाल बराबर, और सरकारी कर्मचारियों ने जनता के सहयोग से काम किया और जनता को जो रिलीफ दी गयी वह भी काफी अच्छी तरह से पहुंचाई गयी और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि . . .

श्री अधिष्ठाता--सदस्यगण बातें ज्यादा न करें, सदन में शांति रखें।

श्री पद्मनार्थसिंह--मैं इस बात को महसूस करता हूं और कहना भी चाहता हूं कि हमारी यह समस्या इतनी विशाल है और उससे संबंधित इतनी मांगें हैं, और जब बाढ़ आती है तो वह एक दो अंजुली जौ या चना जो बटता है उससे क्या हो सकता है, लेकिन उससे एक भीषण परिस्थिति पैदा होती जाती है कि हम वहां एक भिखमंगी की आदत पैदा करते जाते हैं। मैं सरकार से निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा कि इस एक दो अंजुली जौ या चना देने से या उन को एक-दो या दस रुपया देने से हम उन लोगों में एक बड़ा भारी दोष उत्पन्न करते हैं और अच्छा हो कि इस तरह जो रुपया हम खर्च करते हैं वह किसी परमानेन्ट प्रोजेक्ट में लगाया जाय जिससे बाढ़ का कारण ही खत्म हो जाय और हम जिससे बाढ़ के पानी को कन्जर्व कर सकें और अकाल के समय उस को यूटिलाइज भी कर सकें। मैं कहना चाहता हू कि जब तक हम परमानेन्ट हल नहीं निकालते हमारा काम पूरा नहीं होगा। प्रतिवर्ष सरकार लाखों रुपया खर्च करती है वह सब का सब वेस्टमनी हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि परमानेन्ट व्यवस्था सोचें। रिलीफ की बात अवश्य मौके की है, जितनी रिलीफ दे सकें उस रिलीफ से ज्यादा से ज्यादा स्थायी प्रोजेक्ट में लगाने की कोशिश करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह बाढ़-जन्य परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन में समय निश्चित हुआ था। हम समझते थे कि जब बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार होगा तो सदन में सही-सही वस्तुस्थिति को रखने की कोशिश होगी, मगर मैं देख रहा हूं कि वस्तुस्थिति जहां प्रकट होनी चाहिये वहां स्तुत्यवाद का बड़ा भारी प्रकोप हो गया है। उधर बाढ़ का प्रकोप और इधर सदन में सम्मानित सदस्यों द्वारा स्तुत्यवाद का प्रकोप। मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य जो सूचना विभाग द्वारा तैयार की गयी रपट माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यहां प्रस्तुत की गयी उसका अच्छी तरह से विवेचन करें और अध्ययन करें तो मालूम हो जायगा कि यह सरकार बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने में कितनी सफल हुयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि १९४८ से ले कर बराबर बाढ़ रोकने की योजना हर साल सरकार बना रही है।

एक सदस्य--तबर्रा हो रहा है।

श्री राजनारायण--१९५३ के इस सदन के वाद-विवाद का देखा जाय और माननीय माल मंत्री के उस समय के भाषण को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि जो फ्लड (बाढ़) रोकने के लिये समिति बनी थी उसकी ओर से माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि इन समितियों द्वारा क्या कार्य हुए। हरसाल बाढ़ रोकने के जो प्रयत्न होते रहे हैं प्रत्येक जिले में जो कमेटियां बनी हैं उनके द्वारा क्या कार्य होते रहे हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी की रपट पढ़ने से प्रकट हो जाता है।

अब मैं आपको जरा थोड़े में यह बतला देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी रपट में इस बात को स्वीकार किया है कि बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बनारस, गाजीपुर इत्यादि जिलों में सूखे का प्रभाव है,वर्षों की कमी के कारण इन जिलों की भदई की अधिकांश

फसल नष्ट हो गयी है। श्रीमन्, इस सदन में बार-बार हम लोगों की तरफ से कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत हुये कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सूखा पड़ा हुआ है मगर माल मंत्री महोदय ने बारबार इंकार किया उसको, और बार-बार माल मंत्री जी की तरफ से यह कहा गया कि सूखा कहां है। बार-बार एक दो वर्ष के आंकड़े देकर माल मंत्री ने बतलाया कि पारसाल इतनी वर्षा हुयी थी और इस साल इतनी वर्षा हुयी है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस बात को कबूल करते हैं कि इन दस जिलों में अधिकांश फसल नष्ट हुयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इन जिलों में सरकारी देय की वसूली का स्थगन करने का आदेश दिया गया और अगर नहीं तो क्यों नहीं दिया गया और उसके लिये यह सरकार आदेश देगी या नहीं। जब मुख्य मंत्री जी और सरकार को इस सदन में अवगत कराया गया कि किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, अनुचित तरीके से, बहुत ही जबरदस्ती व जोर जुल्म के साथ उनसे पुरानी तकावी की रकमें वसूल की जा रही हैं और वर्तमान सरकार के देय वसूल किये जा रहे हैं तो उस जोर जुल्म को छिपाने के लिये बराबर सदन में कहा गया कि सूखे की परिस्थिति नहीं है मगर सूखे की परिस्थिति को आज स्वीकार किया जा रहा है। अधिकांश फसल नष्ट हुयी, इसको स्वीकार किया जा रहा है।

श्रीमन्, आगे देखा जाय। माननीय कमलापति जी त्रिपाठी ने बहुत से जिलों का भ्रमण किया और निरीक्षण करके समाचार पत्रों में बयान दिया और बयान में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ६ लाख एकड़ क्राप्स हैव बीन टोटली डेस्ट्रायड (पूर्ण रूप से बरबाद हो गयी हैं।) "टोटली" शब्द लिखा हुआ है अखबारों में। माननीय कमलापति जी यहां बैठे हुये हैं वह बतायें। अगर "टोटली" फसल ६ लाख एकड़ जमीन की नुकसान हुई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक वहां के बारे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं। जब टोटली फ़सल डैस्ट्राय हो जाय तब भी कोई शक और गुंजायश की बात कही जाती है कि वहां के सरकारी अफसरों की रपट आये तब वहां पर मालगुजारी स्थगित की जाय, वहां के विद्यार्थियों की फ़ीस की माफ़ी का ऐलान किया जाय, तो इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती है कि सरकार की ओर से कोई समुचित कदम नहीं उठाया गया है? श्रीमन्, कमलापति जी का आज जो समाचार-पत्रों में बयान निकला हुआ है यदि उसको देखा जाय तो उसमें स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि;

"Mr. Tripathi said that about two thousand heads of cattle were missing in the flood-affected areas and five hundred heads of cattle have been washed away in the flood."

अब इसका अर्थ माननीय कमलापति जी और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी स्वतः समझते होंगे। जब यह रपट पढ़ी जाती है तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी वस्तुस्थिति को कहां तक छिपाने में सफल होते हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, इस रपट के छठे पेज को आप देखेंगे: "आशा है कि किसी जिले में पशु जीवन की क्षति नहीं हुई है।" माननीय कमलापति जी तो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि "दो हजार हेड्स आफ कैटिलवेयर मिसिंग।" अब वे मिसिंग हैं, उसमें मरे भी होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा और ५०० वाइड अवे इन दी फ्लड। ५०० तो वेगवती प्रवाहित धारा में बह गये। मगर माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें आशा है कि एक भी पशु जीवन की क्षति नहीं हुई है। आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करें और जब इसको कहा जाय कि क्या इस तरह की रपट सदन में देने से वस्तुस्थिति का सच्चा ज्ञान हो सकता है तो हमारे ही ऊपर उल्टा दोष मढ़ा जाता है: माननीय कमलापति जी और सम्पूर्णानन्द जी इसको बतलायेंगे।

श्रीमन्, मैं और भी जानना चाहता हूं, छठें पेज पर आप देखेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि २०,००० मन गेहूं उचित मूल्य पर बेचने के लिये दिया गया। आज तक सरकार के दिमाग में सफ़ाई इस बात की नहीं है कि क्या उचित मूल्य है। सफ़ाई के साथ लिखना चाहिये मुख्य मंत्री जी को कि १० रु०, १२ रु०, ८ रु० मन पर गेहूं बेचने को दिया गया।

[श्री राजनारायण]

उचित मूल्य कह कर एक वातावरण पैदा किया जाय समाचार-पत्रों द्वारा कि गल्ला सस्ता सरकार दे रही है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। एक बात अवश्य मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से बताई है कि देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की दूकान खोली गयी है। इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं खोली गयी है और यह नहीं बताया गया है कि वह सस्ता गल्ला किस भाव से बेचा जा रहा है और जनता के पास उसको क्रय-शक्ति रह गई है या नहीं।

श्रीमन्, मुझे अभी विशेष कार्यवश करीब एक हफ्ते के ऊपर बिहार प्रान्त के दौरे पर जाने को मिला था, क्योंकि ३१ अगस्त से प्रान्त व्यापी सत्याग्रह हो रहा है तमाम बातों को लेकर। कल मैं बनारस गया और जांच की कि क्या हो रहा है। हमारे माननीय सदस्य माननीय प्रभु-नारायण जी का बयान समाचार-पत्रों में आया है। बनारस में सरकार की ओर से केवल चना बांटा जा रहा है और वह भी अपर्याप्त मात्रा में। पूरे तरीके से भी बांटा गया या नहीं, इसके बारे में मैं क्या कहूं! जो लोग चाहते थे कि उनका गल्ले का वितरण किया जाना चाहिये उन सब को आज तक गल्ला नहीं मिल पा रहा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था हमारा समय आप कृपा करके बढ़ा दें। आज जनता इस तरीके से परेशान है और सारी फसल टोटली डैमेज्ड है तो वहां के विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ करने के लिये सरकार की ओर से आदेश दिया गया क्या? जो काम सरकार की ओर से ऐसी अवस्था में होना चाहिये था वहां की मालगुजारी स्थगित करने के आदेश जारी होने चाहिये थे, विद्यार्थियों की फीस-माफ़ी का ऐलान होना चाहिये था, वह नहीं हुआ, जहां तक मैं जानता हूं।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं बोट्स के बारे में। आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से यह कहने की परिस्थिति में नहीं हैं कि सरकार की तरफ से कितनी बोट्स तैयार करके दी गयीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "२०० नावों की व्यवस्था की गयी है, मुझे सूचित करते हुये हर्ष होता है कि ७ प्रतिशत से अधिक नावें बनकर तैयार हो चुकी हैं"। ये नावें अपने लक्ष्य-स्थान तक पहुंची हैं या नहीं? माननीय मुख्य मंत्री आज यह कहने में असमर्थ हैं कि जब २०० नावों के बनाने की व्यवस्था की जा रही है तो केवल ७ प्रतिशत नावें क्यों बनायी गयीं? ५ वर्षों से बार-बार सरकार के सामने रखा जा रहा है, क्यों नहीं समुचित समय पर नावों को तैयार कराया जाता? मुझे याद है, गत वर्ष माल मंत्री जी ने कहा था कि हमने गांव पंचायतों से भी कुछ रकम मांगी थी कि नाव बनाने में उसे लगाया जाय। मैंने उस समय कहा था कि जहां इस तरह से जन-धन की हानि होती हो तो अगर गांव पंचायतें रुपया न दें तो सरकार स्वयं क्यों नहीं नावें बनाती? यह सरकार का कर्त्तव्य है। आज तो माननीय मुख्य मन्त्री यह कहने की हिम्मत करते हैं कि मिर्जापुर को बचाने के लिये जितने धन की आवश्यकता होगी हम खर्च करेंगे, मुझे धन की परवाह नहीं है, तो ये दो सौ नावें क्यों नहीं तैयार हुईं?

(इस समय ३ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह बात साफ़ है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार के पास वह योजनायें भी पहले से पूरा हो चुकी थीं, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिये यह परिस्थिति है। मैं फिर यह जानना चाहता हूं कि चारे की क्या व्यवस्था हुई है। बराबर यह कहा जाता है कि चारे की व्यवस्था हो। चारे की व्यवस्था हो रही है, मगर जहां तक मेरी जानकारी है आज तक चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पशु परेशान हैं। उधर सूखे से परेशान थे। और, श्रीमन्, आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा कि जब इस रपट के पहले सरकार के दिमाग में सूखा था ही नहीं तो यह चारे की व्यवस्था करने में कहां तक समर्थ हो सकती थी? कितनी गलत रपट और कितने अन्धकार में इस रपट के पेश होने से पहले

सरकार थी ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी रपट में इस बात को माना है कि ६ अगस्त को जिला अधिकारियों के पास यह आदेश दिया गया कि वह बाढ़ से क्षति बचाने के लिये तैयारी करें। यह ६ अगस्त को आदेश क्यों दिया गया ? क्या सरकार के पास इसकी सूचना आ गयी थी कि १० अगस्त को बाढ़ आयेगी, इसलिये ६ अगस्त को आदेश भेजा गया ? इन तथ्यों को सामने रखते हुये मैं आज यह दावे से कहना चाहता हूं कि बाढ़-जन्य परिस्थिति का सामना करने में यह सरकार पूर्णरूपेण असफल रही है, और इसका कारण यह है कि वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से सरकार जनता के सामने आने देना नहीं चाहती।

आज जैसा कि इस सदन में हमने कई बार कहा कि यह गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल्स को एक्सप्लायट कर रही है और इंटेलेक्चुअल्स भी विलिंग हैं, वह चाहते हैं कि सरकार उनको एक्सप्लायट करे। श्रीमन्, एक दिन जब माननीय गेंदा सिंह यहां पर बोल रहे थे और उन्होंने एक अरब रुपये की बात कह दी तो चारों तरफ से बड़ा हल्ला हो गया। मैं आज माननीय गेंदा सिंह जी के समर्थन में खड़ा होना चाहता हूं क्योंकि उन्ह ने एक बात बाढ़ के सम्बन्ध में कही और अच्छा कही। श्रीमन्, बनारस कमिश्नरी, गोरखपुर कमिश्नरी और फैजाबाद की कमिश्नरी ले ली जाय। हमने सारे सरकारी आंकड़े से जोड़ा है। खरीफ की फसल ६१,३०,६२० एकड़ होगी। बाजरा, उर्द, धान, मक्का इन तमाम फसलों की पैदावार प्रति एकड़ अगर निकाली जाय तो वह किसी माने में १०–१२ मन प्रति एकड़ से कम नहीं होती है। तो करीब एक करोड़ एकड़ जमीन और एक करोड़ एकड़ में १० मन प्रति एकड़ के हिसाब से १० करोड़ मन गल्ला हुआ और एक मन गल्ले की कीमत आप समझ सकते हैं कि १० रुपये से कम नहीं होगी, तो औसत अनुपात क्या एक अरब नहीं हो गया ? सीधा-सीधा साधारण हिसाब और उसके ऊपर माननीय कमलापति ने अपनी रपट में इस बात को माना है कि जो मकान गिरे हैं उनकी क्षति का ५ करोड़ रुपये का अन्दाज है। जब ये बातें एक तरफ से कही जाती हैं और दूसरी तरफ से इनकार किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है।

श्रीमन्, मैं एक बात आपके द्वारा इस सदन को और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का सूबा हर साल बाढ़-ग्रस्त होता है। केन्द्रीय सरकार बाढ़ रोकने के लिये सहायता देती है और इस वर्ष जो सहायता दी गयी है वह इस तरह से है कि बंगाल को एक करोड़ ४२ लाख और कुछ हजार, बिहार को २ करोड़ ४६ लाख और हमारे इस उत्तर प्रदेश को केवल ७३ लाख रुपया मिला है। इतना कम रुपया हमारे प्रदेश को क्यों मिला है ? क्या यह सरकार की कमी नहीं है ? क्या यह इस बात की द्योतक नहीं है कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने वस्तुस्थिति नहीं रखती है ? जब बातें छिपाई जायंगी तो नतीजा यही होगा। इस सरकार की ओर से ठीक-ठीक बातें नहीं रखी जाती हैं, इसीलिये केन्द्र से समुचित सहायता नहीं मिल पा रही है।

अन्त में मैं अपने सुझावों को रखना चाहता हूं, क्योंकि लाल बत्ती पहले भी जल गई थी और अब भी जल गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह कार्य होने चाहिये। बाढ़ से जितने मकान बरबाद हुये हैं उनके बनाने की जल्द से जल्द व्यवस्था होनी चाहिये। असहाय तथा निराधार अवस्था में जो लोग पड़े हुए हैं और उनके ऊपर गौर नहीं किया गया है, उनकी सहायतार्थ काफी धन उनको दिया जाय और, श्रीमन्, तकावी के वितरण के.....

श्री चरणसिंह---आबपाशी माफ कर दी जाय, मालगुजारी भी माफ कर दी जाय।

श्री राजनारायण---वह तो आप स्वयं करेंगे, जरा इलेक्शन्स आने दीजिये। तकावी बिना सूद बांटी जानी चाहिये। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से इस ऐक्ट में अमेंडमेंट करने की घोषणा हुई है, लेकिन आज तक नहीं वह हो पाया है, जिससे गरीब जो शिकमी जोतने वाले काश्तकार हैं उनको तकावी नहीं मिल पाती है। सरकार के आदेश जाते हैं लेकिन फिर भी उनको सहायता नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि उनको भी तकावी का रुपया मिलना चाहिये। इसके साथ-साथ टेस्ट वर्क्स भी खुलने चाहिये और सरकार की ओर से योजना बनी हुई है। इसके अलावा सस्ते गल्ले की दुकान खोली जानी चाहिये और उनका भाव

[श्री राजनारायण]

यहीं से तय किया जाना चाहिये, सरकारी अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये। सरकारी लगान पूर्णरूपेण, जहां कि कमलापति त्रिपाठी जी हो आये हैं और उन्होंने अपनी रपट अखबारों में दी है कि जहां पर टोटल डैमेज हुआ है, उसको स्वीकार करके, माफ होना चाहिये। इसके साथ-साथ दवा, चारा, कपड़ा तथा बच्चों की फीस का प्रबन्ध जल्द से जल्द होना चाहिये।

श्री वशिष्ठनारायण शर्मा (जिला गाजीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों में जो सूखा और बाढ़ के रूप में संकट आया है उसमें हमारा जिला गाजीपुर जो सब से छोटा जिला है, माननीय मुख्य मंत्री जी की रिपोर्ट के अनुसार ५७८ गांव इस जिले के बाढ़ग्रस्त हुए हैं और बाढ़ में पड़े हुए इन गांवों में ऐसे भी गांव हैं जो मेरे जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े गांवों में से है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाजीपुर जिला कितना बरबाद हुआ है। इसके साथ ही साथ जो हिस्सा इसका बाढ़ से अलग है, वह सूखे से बहुत अंशों में बरबाद हो चुका है। अगहनी और भदई की फसलें बरबाद हो चुकी हैं। इधर जो, अभी बरसात हुई है, हो सकता है कि उससे कुछ राहत मिले। ऐसी हालत में जब कि बाढ़ गाजीपुर में आयी हुई थी हमारे सिंचाई मंत्री माननीय पंडित कमलापति जी ने अपना दो दिन का समय दिया। उससे हमारे जिले को बड़ा बल तथा साहस मिला और उन्होंने हमारे जिले में स्वयं जाकर जो कुछ वहां की परिस्थिति देखी, वहां की दुर्दशा का अनुभव किया और यह देख कर कि एक-चौथाई हिस्सा गाजीपुर शहर का पानी में डूबा हुआ है, वह स्वयं नाव द्वारा एक सड़क से दूसरी पर गुजरे और उन्होंने वहां की समस्या को समझ कर इस चीज को महसूस किया कि इस शहर में अगर तीन चार रेगूलेटर्स लगा दिये जायं तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। बड़ी खुशी की बात है और जिला उनका कृतज्ञ है कि उन्होंने उसी समय अपने विभाग के इंजीनियर्स को आदेश दिया कि यहां रेगूलेटर्स लगा दिये जायं।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ नाले, जो गंगा के किनारे बारा, गहमर, जनानियां और सैदपुर आदि गांव बसे हुये हैं, उनमें है वहां पर रेगूलेटर्स लगा दिये जायं तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा अमोरा जो कर्मनाशा नदी पर बसा हुआ है, वहां भी रेगूलेटर बनाया जाय तो जो यह गांव बाढ़ से बरबाद हुआ करते हैं, उनकी बरबादी रुक जायगी और जनता को काफी राहत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इन नालों पर भी रेगूलेटर की व्यवस्था जितनी जल्दी सम्भव होगी कराने की कृपा की जायगी।

इसके साथ ही हमारे जिले में गंगा की बाढ़ से जमनिया तहसील का एक बहुत बड़ा भाग बहुत नीचे स्तर पर बसे होने के कारण हर साल बर्बाद होता रहता है। उसके लिये एक बांध का प्रस्ताव सरकार के सामने है और सरकार ने उसका सर्वे भी करा लिया है और उसका एक नक्शा भी बन चुका है। वह बांध करीब-करीब पथरा से लेकर जमनियां तक बनने वाला है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस पर जल्द से जल्द काम लगाया जाय जिससे उस क्षेत्र की गरीब जनता को जो इस बाढ़ से पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है कुछ काम मिले और जब ८ महीने तक कोई दूसरी फसल उस क्षेत्र में होने वाली नहीं है तो अपनी जीविका के साधन को प्राप्त कर सके।

इसके बाद जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में भी बतलाया कि गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद तहसील का सबसे बड़ा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है, यह चीज सही है और इसको क्षति से बचाने के लिये एक मगई बांध की योजना सरकार के सामने है। मैं जहां तक समझता हूं अगर उस बांध को भी बनवा दिया जाता तो उस क्षेत्र की भी बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाता। इस प्रकार हमारे जिले की मोहम्मदाबाद और जमनियां तहसीलें जो खास तौर से बाढ़ से परेशान हुआ करती हैं वे राहत पा जातीं। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि इन दोनों स्कीमों को जितनी जल्द हो सके वह पूरा कराने की कोशिश करे।

इसके अलावा बाढ़ क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं जिससे कि लोगों को अपने जीवन के लिये सस्ता गल्ला मिल सके। इसके साथ ही साथ बाढ़ एरिया में पड़ने वाले जो गांव हैं उनके गरीब विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय और लगान में छूट दी जाय। इसके अलावा उस एरिया में कुछ और ऐसे कार्य किये जायं जो कि वहां की जनता को राहत देने वाले हो सकें।

बाढ़ में यह भी देखने में आया कि जिन गांवों का स्तर ऊंचा किया गया है वे काफी सुरक्षित रहे। कम से कम उन गांवों के लोगों और पशुओं की जिन्दगी के लिये कोई खतरा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव का स्तर ऊंचा करने के लिये लोग जमीन से मिट्टी नहीं लेने देना चाहते हैं। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह हर गांव को जिसको वह समझती है कि इसका स्तर ऊंचा होना चाहिये उसके चारों तरफ की जमीन का कुछ हिस्सा पट्टे के रूप में ले ले और उससे मिट्टी ले कर गांव को ऊंचा करा दे जिससे यह समस्या खत्म हो जाय। नहीं तो यह समस्या हमेशा के लिये उन गांवों के लिये बनी रहेगी। खासतौर से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वे इससे काफी परेशान रहते हैं और देखने में आता है कि उन गरीबों के मकान ऊंचे नहीं किये जा सकते, क्योंकि उनके पास कोई खेत नहीं है जिनसे मिट्टी निकाली जा सके। जिनके पास खेत हैं वे तो कुछ काम करा भी लेते हैं, लेकिन खास तौर से गरीब लोग जो कि काफी दुखी रहते हैं और उनके मकान भी नीचे हैं और इस बाढ़ में भी देखने में आया कि चाहे गांव को क्षति न पहुंची हो लेकिन हर गांव में २, ३, ४ मकान ऐसे गिरे हैं जो उन गरीबों के थे और जो नीचे के स्तर पर बसे हुये थे। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह गांवों को ऊंचा कराने के लिये कोई निश्चित व्यवस्था करे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब यहां बाढ़ के सम्बन्ध में पहले विवाद सुना करता था तो सोचता था कि यह विवाद केवल पूर्व और पश्चिम या पहाड़ के इलाके का ही एक विषय रह गया है। लेकिन इस बाढ़ में प्रकृति ने एक ऐसा अनोखा खेल खेला कि जिसके कारण बुंदेलखंड के चार जिले जो कभी भी इस प्रकार से बाढ़ से तबाह नहीं हुये हमीरपुर, जालौन, झांसी और बांदा, उन पर इस बाढ़ का बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसा कि राजनारायण जी ने कहा कि सरकार ने पहले ही से यह खबर कैसे भेज दी; अगर उनकी बात में कुछ सत्यता है तो उन्हें सोच लेना चाहिये था कि जब बतवा में बाढ़ आयी और उसके ऊपरी भाग में कई दिनों तक वर्षा हुई थी तो उसके कारण बेतवा में बाढ़ आयी और बेतवा जो जमुना में हमीरपुर में संगम करती है उसके कारण पानी बहकर यमुना में आया और इस कारण बाढ़ का एक विस्तृत रूप हो गया। तो यह तो एक अखबार की बात थी और उससे यह सोच लेना चाहिये था कि इतनी भयंकर वर्षा ऊपर हुई है तो इन नदियों में बाढ़ आना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहना शुरू किया कि इस सरकार ने और इसके अधिकारियों ने इस बाढ़ में कोई भी सहायता उचित रूप से प्रदान नहीं की। उसके लिये तो अब मैं क्या कहूं! उनकी बुद्धि में यह बात कहां से आई? आप किसी भी बाढ़ पीड़ित जिले में चले जाइये। मेरा तो यह विश्वास है कि वहां के अधिकारियों की वहां के लोग इस बाढ़ के सम्बन्ध में तारीफ ही करते मिलेंगे।

जहां तक मेरे जिले हमीरपुर की बात है, मैंने स्वयं जाकर उन बाढ़ पीड़ित इलाकों को देखा है और उनके मुंह से यह कहते हुये सुना है कि सन् १६ में भी जो बाढ़ आयी थी उसमें भी उस समय की अंग्रेज सरकार ने कोई मदद नहीं की थी और आज की सरकार ने हम लोगों को जो भी मदद पहुंचाई और जितने भी आफिसर जो भी हो सके हैं कई-कई बार वहां पहुंचे हैं। इस से तो यह मालूम होता है कि सरकार ने गरीब जनता की परवाह करना शुरू कर दिया है। फिर कैसे मैं राजनारायण जी की बात मान लूं? मुझे तो यहां तक मालूम है कि मेरे यहां वर्तमान जिलाधीश महोदय डेढ़ दिन तक बराबर भूखे ही मोटरबोट पर चलते रहे और उन बाढ़ पीड़ित इलाकों में गरीबों के पास चना, नमक, तेल और दियासलाई के बक्स और गुड़ पहुंचाते रहे जो वहां पर आसानी से नहीं पहुंच सकता था। तो मैं कैसे राजनारायण जी या दूसरे आदमियों की बात मान लूं कि अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी में कोई कोताही की है? यहां तक कि राठ

[श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी]

इलाके में, जिस इलाके से पुख्ता सड़क और दूसरे रास्ते दूरी पर हैं, वहां के एस० डी० एम० साहब जहीं पर पहुंचे तो बीस मील घोड़े पर चलने के बाद वे एक खड्ड में गिर गये और उनको रस्सियों में बांध कर लोगों ने ऊपर खींचा। तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार के अधिकारियों ने या जिले के दूसरे अधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया? मैं तो जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने बतलाया कि सभी अधिकारियों को और भी अच्छे ढंग से काम करना चाहिये था वह मान सकता हूं।

मेरा हमीरपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां सन् १९१६ में भी बाढ़ आयी थी। यह जिला एक ऐसा अभागा जिला है जिसमें सड़कों का कोई इंतिजाम नहीं है, पुलों का कोई इंतिजाम नहीं है, नदियों, नालों के कटावों को रोकने का भी कोई इंतजाम नहीं। तो यह अभागा जिला जो एक पिछड़ा भू-भाग कहलाता है और इतना ही नहीं बुन्देलखंड के सभी जिले पिछड़े इलाके कहाते हैं उनकी ओर हमारी वर्तमान सरकार ने कुछ ध्यान देना तो शुरू किया, लेकिन मैं यह तो नहीं कह सकता कि पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। और अगर दिया गया होता तो जो आज हमीरपुर जिले में भयंकर बाढ़ आयी है उसके कारण इतनी परेशानी नहीं होती जितनी आज हुई है, क्योंकि अगर हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक पक्का पुल बना हुआ होता तो उससे जिले के तथा अन्य जिला कानपुर आदि के लोग भी बड़ी आसानी से निकल सकते थे और ऐसी जगह पहुंच सकते थे जहां पर सुरक्षा मिल सकती। मैं यह सुझाव देता हूं कि हमीरपुर में बेतवा नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाय। सरकार ने भी सोचा है। यों तो जिला हेडक्वार्टर का विरोध यहां तक हुआ कि हमीरपुर का हेडक्वार्टर हमीरपुर से हटा दिया जाय और दूसरे स्थान पर रख दिया जाय। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी की है कि हमीरपुर जिले के हेडक्वार्टर को हमीरपुर में ही रखा और उस प्रश्न को स्थगित कर दिया और उसे खत्म कर दिया, अन्यथा आज यह हमीरपुर जिला हमीरपुर में नहीं होता। तो लगभग ५० हजार मनुष्य जो खतरे से बाहर नहीं थे उनको जितनी आसानी से हमने बचा लिया है उतनी आसानी से नहीं बचा सकते थे। यह सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता का काम किया है। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह एक दूसरी बात यह भी कर दे कि हमीरपुर में बेतवा का पुल बना दे। आप यह समझ लें कि फतेहपुर, कानपुर और हमीरपुर जिलों के आदमी ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर सुरक्षा के स्थान पर पहुंच सकते हैं।

अब मैं सरकार का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन बातों से हमीरपुर की सुरक्षा की जा सकती है। एक तरफ तो उस के बेतवा नदी है और दूसरी तरफ यमुना है और तीसरी बरमा नदी इस वक्त बढ़ आयी थी। वहां की काली मिट्टी होती है जो मिट्टी जल्दी कटाव में आ जाती है। जो नाले वहां पर बने हुये हैं उनके जरिये से वहां पानी पहुंच जाता है। पूर्वी जिलों की स्थिति दूसरी हो सकती है और वहां के गांव हमेशा नीचे में बसते हैं। लेकिन हमारे यहां के जो कस्बे, गांव और पुरवे हैं वह ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर बसे हुये हैं। लेकिन फिर भी इस भयंकर बाढ़ में उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकी। यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने हमीरपुर जिले के लिये ३५ हजार रुपया सहायता के रूप में भेजने की कृपा की, जिससे हमने उन लोगों की जो इससे तबाह हो रहे थे उनकी रक्षा, भोजन करने का प्रबन्ध किया और प्रबन्ध के साथ-साथ हम उन स्थानों तक पहुंच सके जहां पर पहुंचना कठिन था और हम लोगों ने उनको मोटरबोट पर बचाया। यह भी खुशी की बात है कि पशुधन की हानि हमारे यहां नहीं हुई है। २, ४ पशुओं की हानि हो सकती है। इसके साथ-साथ हमारे यहां सब से बड़ी खामी यह है कि जो गांव ऊंचे पर बसे हुये हैं वहां से निकलने का साधन नहीं होता है। जब बाढ़ आती है तो वहां से निकास नहीं मिलता है, क्योंकि रास्ते नहीं हैं। इसके कारण वह वहीं पर रह जाते हैं।

जैसा कि लोगों ने भी बतलाया, हमीरपुर तहसील खासतौर से इस बात के लिये बहुत पिछड़ी हुई है कि अगर वहां पर बाढ़ आ जाय तो बहुत से गांवों से निकलने का रास्ता नहीं है।

अब जिन लोगों ने नीचे पर मकान बनाये हुये हैं उनके मकान बनाने की समस्या है इसलिए कि जिनकी जमीन है वह जमीन नहीं देना चाहते हैं। इसलिय वहां के जिलाधीश महोदय ने दूसरे लोगों से इस बात का प्रयत्न किया है कि लोगों के लिये वहां पर मकान बनाने के लिये जमीन मिल सके और वे ऊंचे स्थान पर बसाये जायं। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसी भी परेशानी है कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम ऊंचे पर जाकर क्यों नहीं बसते तो वह अपने स्थानों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते हैं। अब सरकार या दूसरे लोग जो उनकी सहायता करना चाहते हैं उससे वह वंचित रह जाते हैं। इसके लिये क्या बतलाया जाय यह बड़े अभाग्य की बात है। इसका कारण यही हो सकता है कि अभी तक बुन्देलखंड का इलाका बहुत अशिक्षित है। वे लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। आप लोग यह सुन कर हंसेंगे कि जिस वक्त वहां पर बाढ़ आ रही थी तो ४, ५ घंटे पहले वहां पर यह घोषणा करा दी गयी कि अब बाढ़ आने वाली है ताकि उन लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा सके। उन लोगों से कहा गया कि गांव छोड़ कर फलां जगह चलो यहां पर बाढ़ आने वाली है लेकिन उन लोगों ने जाने से इन्कार कर दिया। इसलिये हमारे यहां ज्यादा हानि हुई। इसलिये मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं कि इस सरकार ने यह बात साफ कर दी कि कांग्रेस और अंग्रेजी राज्य में कितना अन्तर है। यह उसूलन सिद्ध कर दिया है कि गरीबों की मदद करना उसका परम कर्त्तव्य है और गरीबों की सेवा करने का सवाल भी हमारे सामने है।

तो इन बातों को देखते हुये यह मालूम पड़ता है कि जो बाढ़ पीड़ित मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनका भी आप इन्तजाम करेंगे ही और उनको आप तकावी देंगे ही, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिनको तकावी नहीं दी गयी है उनको ऐसा काम दिया जाय जिससे वे तबाही के आलम से बच सकें। मैं समझता हूं कि मेरे जिले में जिसमें ४० हजार एकड़ के करीब बाढ़ से बरबादी हुई है फसल बिलकुल नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार जो लोग पीड़ित हैं उनको तकावी कर्जा और बीज देने की सरकार कृपा करे और तकावी के साथ यह भी प्रबन्ध करने की कृपा करे जिससे लोगों को रोजी मिल सके, क्योंकि खरीफ बिलकुल नष्ट हो चुकी है। भूमिहीन मजदूर अगली फसल बोने तक बेकार हैं। हमारे जंगल बहुत कम रह गये हैं। हमीरपुर जिले में जिस इलाके में बाढ़ आयी है उसके लिये अगर कोई नजदीक का जंगल हो तो घास और लकड़ी का प्रबन्ध करा दिया जाय। जिला अधिकारी इसे कर सकेंगे और उनके मन में यह विचार भी होगा। नियोजन विभाग और दूसरे विभागों के द्वारा भी वहां ग्रामों को ऊंचा किया जाय जिससे पानी न रुक सके जैसा पूर्वी क्षेत्र में किया जा रहा है। यह स्कीम केवल पूरब की ओर ही न रखी जाय बल्कि बुन्देलखंड में भी यह काम किया जाय, इससे हम लोगों को लाभ हो सकेगा।

*चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आमतौर पर माननीय मित्रों ने राज्य कर्मचारियों के तत्परता और लगन से सेवाभाव से काम करने की सराहना की है। जब अच्छा कार्य राज्य कर्मचारी करें तो सराहना होनी ही चाहिये चाहे कोई भी हो। लेकिन यह बात हमारे लिये सबसे बड़ी इसमें है कि यह हमारे लिये शुभ लक्षण है कि राज्य कर्मचारियों में और जनता में खाई पटती जा रही है। हमारे सरकारी कर्मचारियों में इस बात का अहसास होता जा रहा है कि वे शुरू से आखिर तक सर्वेंट्स जनता के हैं और अब वे रूलर्स नहीं हैं। उनकी आत्मसंतुष्टि अब अपनी तनख्वाह बढ़ाने से या और किसी तरह की प्रिविलेजेज पाने से नहीं होती जितनी कि गरीब जनता की सेवा करने से होती है। यह हमारे सूबे के लिये बड़ा शुभ लक्षण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने फरमाया कि बाढ़ें या और कोई दैवी आपत्ति हमारे सूबे में आवे तो वह किसी राजनैतिक दल का प्रश्न न हो कर हम सब को एक दलसमूह में उठ कर कुल राज्य का या राष्ट्रीय प्रश्न जिस प्रकार से देखा जाता है वैसे देखना चाहिये। बाढ़ हो या भूचाल हो या अनावृष्टि हो, ये सब नेशनल कैलेमिटी हैं। और जिस तरह से कोई देश जब युद्ध में लगा हुआ होता है तो वहां पार्टियां मिट जाती हैं, क्योंकि नेशनल कैलेमिटी तो दलगत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

प्रश्न के ऊपर की चीज है, उसी प्रकार से हमें काम करना चाहिये। उसमें हम सब को यह भूल जाना चाहिये कि कौन गवर्नमेंट पावर में है या कौन पार्टी अपोजीशन में है, इससे किसी को राजनैतिक लाभ होगा या नहीं। लेकिन जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने संकेत किया, और ग़ालिबन माननीय पालीवाल जी ने भी इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब से अंग्रेज यहां से गया और देश आजाद हुआ वे पुराने जनसेवक, जिनमें हम सब जो यहां बैठे हुये हैं शामिल हैं, सब में इस प्रकार की भावना अब हो गई है कि स्वराज्य हो गया है, देश अब आजाद हो गया है जिस तरह से पहले हम सेवा किया करते थे उसकी आवश्यकता भी अब हम कम समझते हैं। राज्य कर्मचारियों को ही सेवा करना चाहिये ऐसा समझते हैं और समझते हैं कि यह सब शासनतंत्र का काम है। ऐसी भावना, अध्यक्ष महोदय, अब फैलती जा रही है। केवल फ्लड रिलीफ़ के सम्बन्ध में ही यह बात नहीं है बल्कि जो संस्थाएं शिक्षा के सम्बन्ध में चलती थीं, सांस्कृतिक संबंध में जो संस्थाएं चलती थीं उन सब में भी आर्थिक सहायता उनके संचालकों को नहीं मिल पाती है और उनको कदम-कदम पर यही जवाब मिलता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट के पास जाओ, सरकार के पास जाओ। रुपया वहां से लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये से माननीय मित्रों से, जो अपने-अपने इलाकों में वहां के लोगों के प्रतिनिधि हैं, वहां उनकी आवाज में बल है, सिर्फ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस भावना के फैलने देने से उनको रोकना चाहिये कि सेवा का कर्त्तव्य केवल राज्य कर्मचारियों का है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बुनियादी हालत के सम्बन्ध में सुझाव देने का प्रश्न है, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया और न कोई सुझाव दिया ही जा सकता था। ५-६ वर्ष से ही क्या, ८ वर्ष से हमारे सूबे में कुछ न कुछ दैवी मुसीबत आती ही रहती है--अधिकतर बाढ़ और १९५१-५२ में तथा कुछ जिलों के हिस्सों में इस वर्ष भी अनावृष्टि की वजह से तकलीफ़ हुई। बाढ़ का यह प्रश्न कई बार यहां डिबेट भी किया जा चुका है कि आखिर इस बाढ़ को रोका कैसे जाय। एक कमेटी भी विशेषज्ञों की बैठायी गयी। जितना वह जानते थे और दुनिया के तजुरबे से लाभ उठा सकते थे उतना विचार करके उन्होंने रिपोर्ट दी। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब बातों को दुहराना नहीं चाहता, लेकिन आपकी इजाजत से मुख्तसरन यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि सिवाय दो तीन इलाजों के इसका कोई इलाज भी नहीं है। जिस वक्त बाढ़ आती है तो उसके बाद केवल यही कहा जाता है कि यह गवर्नमेन्ट निकम्मी है और वह यह कर सकती थी। अगर किसी का ऐसा ख़याल होता है तो वह गवर्नमेंट के साथ ही नहीं अपने साथ भी अन्याय करते हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पूर्णतया बाढ़ को रोक नहीं सकती आज तक तो रोक नहीं सकी है, मुमकिन है आगे ऐसा हो सकता हो, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। हां, बाढ़ के इफेक्ट्स को मिटीगेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मिटाया जाना मनुष्य की शक्ति के ऊपर की बात है क्योंकि इसका जो प्रधान कारण है वह भी मनुष्य की शक्ति के बाहर है। आगे भले ही मनुष्य ऐसा हो जाय कि वह बरसात को ही कन्ट्रोल कर सके, जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि कस्बे-कस्बे और गांव-गांव में उसको कन्ट्रोल कर सकें तब तो बाढ़ को रोकना भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल यही उपाय है कि उस को कम किया जा सके और उस को कम करने का सब से बड़ा उपाय जो विशेषज्ञों ने बताया है वह यह है कि दरख्त लगाये जायं। हमारे यहां लड़ाई के जमाने में इनडिसक्रिमिनेटली जंगलों को काटा गया तथा जमींदारी ऐक्ट की कुछ धाराओं का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने प्राइवेट फोरेस्ट्स के पट्टे दे दिये और कानूनन वे भूमिधर या सीरदार हो गये। उन्होंने इस बीच में कानून का दूसरी तरह इंटरप्रिटेशन किया। कानून के सिलसिले में तो दो रायें हो ही सकती हैं। अब एक अधिनियम उस के विषय में हम पास कर चुके। हमारे विधान मण्डल के सभी माननीय सदस्यों को वह मालूम है। नुक्सान जो होना था वह बहुत ज्यादा हो चुका, बहुत दरख्त कट चुके। मैं अपने माननीय मित्रों को केवल यह जेहन नशीन कराने की कोशिश करता हूं कि हमको चाहिये कि जितने भी पेड़ हैं उनकी हम अधिक से अधिक सेवा करें। यह देश की लांग टर्म सर्विस होगी। पुराने जमाने में एक कहावत थी "बाग लगाये पुण्य का काम, और बाग कटाये पाप का काम"। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता रहा कि इसके माने क्या है।

लेकिन हमारे बुजुर्गों के बहुत अनुभव के ऊपर आधारित यह पाप और पुण्यवाली कहावत थी और बिलकुल सही थी, बिलकुल साइंटिफिक तौर पर थी। दरख्त लगाने से पुण्य का काम इस तरह से होता है कि उससे सारे देश का और सारी कौम का फायदा होता है। उससे फ्लड का भी कंट्रोल होता है, क्योंकि जहां जंगलात होते हैं वे एक तरह से स्पंज की तरह से हो जाते हैं और पानी जो नदी के भंडार में आ जाते हैं वे उसको बर्दास्त नहीं कर पाते और उबल कर निकल जाते हैं तो वे सब जंगलात ही स्पंज की तरह से उनको जज्ब कर लेते हैं और जितना पानी पड़ता है उससे कई गुना वे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यह उपाय है फ्लड रोकने के लिये। जितने दरख्त लगेंगे उसकी वजह से बाढ़ में भी कमी आयेगी। आज हमारे यहां तेरह लाख एकड़ जमीन में ग्रोब्ज हैं लेकिन अगर ४५, ५० लाख एकड़ जमीन में बाग-बगीचे हो जाय तो आप देखेंगे कि हमारे यहां बहुत कम बाढ़ आयेगी। कम से कम १० परसेंट ग्रोब्ज के नीचे जमीन होनी चाहिये। यह बड़ी भारी प्रोबलम जो स्टेट के लिये है उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा और फ्लड कंट्रोल की दिशा में एक बड़ा ही ठोस काम हो जायगा।

दूसरा उपाय मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सदस्य हैं वे सभी जानते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में दिया और जिसको माननीय राजनारायण जी ने अपनी भाषा में रपट कहा है, उन्होंने बतलाया कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में इस तरह से काम किया है, और जैसा कि मेरे मित्र पद्मनाथ सिंह और एकाध और मित्रों ने भी इस बात का एहसास किया कि फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में हम बहुत जल्दी-जल्दी स्टेप ले रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने काफी काम किया है लेकिन उस सिलसिले में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और सब से बड़ी कठिनाई है रुपये की। रुपया हमारे स्टेट के पास इतना हो कि वह खासतौर से बजट में इसके लिये दे सके, लेकिन वह असम्भव है, वह नहीं हो सकता है। हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर रुपये के लिये निर्भर रहना पड़ता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी अपनी बहुत सी समस्यायें हैं जिनको हम एहसास करते हैं। उनको देश भर का प्रोबलम देखना पड़ता है फिर भी हमने उनसे रुपया मांगा है और जितनी सहायता उनसे मिलती है हम जल्दी ही उस पर अमल करते हैं और बांध वगैरह बंधवाने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा, माननीय शिब्बन लाल सक्सेना ने एक बयान निकाला है कि गंडक स्कीम के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया रुपया देना चाहती थी लेकिन इस स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस स्टेट गवर्नमेंट को जितना चाहिये वह हर तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोशिश करती रही है कि गंडक स्कीम के लिये उसे रुपया मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, उनका बयान बिल्कुल गलत है कि हमने उसके लिये कुछ नहीं किया है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस स्कीम को गवर्नमेंट के सामने रखा है लेकिन उनको यह भी तय करना है कि नैपाल से कितना रुपया मिलेगा, उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट कितना रुपया दे सकेगी। यह मामूली सवाल नहीं है तय करना, क्योंकि नैपाल एक फारेन कंट्री है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करके रुपया देगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वह काम हो जायगा और देवरिया जिले में हजारों एकड़ जमीन उस के लिये एक्वायर की जायगी तो उस वक्त माननीय गेंदासिंह यह आवाज नहीं उठायेंगे कि यह जमीनें न ली जायं। यह योजना है ४५ करोड़ रुपये की, हमारी योजना वह नहीं है।

इसके अलावा जब मैं बांधों का जिक्र कर रहा हूं तो यह भी बता दूं कि श्री राधामोहन सिंह जी ने कहा कि एक बांध बलिया से बेरिया तक ३५–४० मील बन चुका है वह चाहते हैं उसको आगे संसारकोला तक और बना दिया जाय, लेकिन मैं बता दूं कि उसमें कुछ ऐसी कठिनाइयां आ गई हैं जिनको यहां बयान करने से कोई हल नहीं निकलेगा, उस सम्बन्ध में भी हमें कुछ दूसरे लोगों से बात करनी होगी। यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी ओर से बेफिक्र है और इस बांध को बनाने से और गंगा की बाढ़ को रोकने से जो बलिया के लोगों का लाभ होगा और सहायता मिलेगी उसकी ओर से हमारी तरफ से कोई लापरवाही है वह चीज हमारे ऐक्टिव कनसिडरेशन में है और फ्लड कंट्रोल सेक्शन जो सिंचाई विभाग का है वह इस पर गौर कर रहा है।

[श्री चरण सिंह]

राप्ती के लिये भी हमारी मल्टीपरपज स्कीम है जिससे केवल उसकी बाढ़ को ही रोकने का काम नहीं होगा बल्कि उससे बिजली भी पैदा होगी और खेतों की आबपाशी भी उस पानी से हो सकेगी। राप्ती पर यह लालकुंडी रिजरवायर की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी उसके लिये हो चुकी है और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये गई हुई है। इसी तरह की कई और प्रोजेक्ट्स हैं और यह तो आपको मालूम ही है कि माताटीला रिजरवायर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और वह जेर तामीर है और जल्द ही वहां काम मुकम्मिल हो जायगा। इसी तरह से रामगंगा प्रोजेक्ट, यमुना और हिनडन प्रोजेक्ट हैं और शारदा नदी पर शारदा सागर और नानक सागर पर काम चल रहा है। उनसे बरसात की बाढ़ों के पानी को रोकने में भी सहायता मिलेगी और उस पानी से आबपाशी भी हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ तफसील की बातें कही गईं लेकिन उससे पहले मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा नहीं हुई। श्री गेंदासिंह जी ने अपने भाषण का दो तिहाई भाग केवल जुलाई में वर्षा न होने से जो नुक्सान होता है उसी तक सीमित रखा। अध्यक्ष महोदय, जुलाई एक ऐसा महीना है जिसमें वर्षा बहुत आवश्यक है चाहे जून में वर्षा में देर हो जाय और बजाय १५ जून के ७ जुलाई या १० जुलाई को बारिश हो जाय तो इतना नुक्सान नहीं होता जितना कि अगर जून में बारिश हो जाय और फिर जुलाई में न हो, यह बहुत खराब है। जून में बारिश होती है तो बीज खेत में डाला जाता है और फसल उग आती है लेकिन अगर बारिश उसके बाद नहीं होती तो वह सूख जाता है लेकिन यह ख्याल कि सूखा या अनावृष्टि हमारे प्रदेश में एक बड़ा फीचर है, गलत है, मेरे पास जो बरसात के आंकड़े तफसील के साथ हैं उनसे यह जाहिर होता है कि केवल इलाहाबाद, हमीरपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया और बस्ती यह ६ जिले ऐसे हैं कि जिनमें बरसात जितनी आम तौर से जुलाई में होती है उससे आधी या निस्फ से कम हुई और उनके अलावा जो बाक़ी जिले हैं उन में से आधे से ज्यादा में जितनी नार्मल बारिश होती है जुलाई में उतनी रेनफाल हुई लेकिन उससे इस तरह से नतीजा निकालना कि क्राप एन्ड सीजन रिपोर्ट देख लिया और यह कि इतना रकबा है तो कितनी तादाद हुई और दूसरे पर इतना कम करके २१ लाख हुआ और ३५ लाख यह और ३५ लाख वह कुल ७० लाख का हिसाब हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें श्री गेंदासिंह का ज्यादा कसूर नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य के लिमिटेशन्स होते हैं, वह जहां रहता है उससे नहीं उठ पाता है और वाकई को भूल कर जैसे चाहे सोचने लगता है। मैं यह मानता हूं कि देवरिया में बारिश कम है लेकिन एक कहावत है कि सावन में बीनाई में कमी आ जाय तो चारों तरफ हरा ही हरा दीखता है। इसी तरह से किसी इलाके में रहते रहते सूखा हो जाय तो सारे सूबे में सूखा दिखने लगेगा। लिमिटेशन्स हैं अपने। वैसे अगर माननीय मित्र देखें तो हर जिले में वर्षा ऐसी नहीं हुई है जिसे अनावृष्टि कह सकें। मसलन आगरे में ८ इंच वर्षा जुलाई में होती है लेकिन १५ इंच हुई। फर्रुखाबाद में ९ इंच होती है लेकिन ७ इंच हुई। झांसी में ११ इंच होती है लेकिन १९ इंच हुई। पहली जुलाई से ३१ जुलाई तक के ये फीगर्स हैं। बांदा १२ इंच होता है ९ इंच हुई। कानपुर पौने दस इंच होती है लेकिन ७ इंच हुई। फतेहपुर साढ़े ११ इंच होती है लेकिन १२ इंच हुई। वाराणसी में सब से कम हुई है। १२ इंच का औसत है लेकिन १ इंच हुई। मिर्जापुर में १३ इंच होती है, लेकिन ९.८७ हुई है यानी दस इंच। कोई इससे अनावृष्टि नहीं होती है। गाजीपुर में ११.५४ इंच का एवरेज है लेकिन ९.८ इंच हुई है। इसी प्रकार आजमगढ़ में १२ इंच होती है लेकिन अब की बार १४.२० हुई और गोरखपुर में १४.१७ होती है और ८.११ हुई। जौनपुर में ११.८९ होती है १२ इंच से कम, लेकिन ८.११ हुई। बहराइच में १२.६८ होती है और ९.८१ हुई है। बस्ती में १४.३३ होती है लेकिन निस्फ के करीब अब की बार हुई—७.७४ हुई। देवरिया में १२.८९ होती है और ५.२४ हुई यानी ४० परसेंट और बलिया में ११.९१ होती है और ५.५८ हुई। वाराणसी में अर्ज ही कर चुका हूं कि बहुत कम हुई। हमीरपुर में सवा ११ होती है और ६ इंच हुई। इलाहाबाद में ११.८३ होती है और ५.९९ हुई। केवल ६ जिलों को छोड़ कर बाक़ी जितने जिले हैं उनमें यह बात नहीं है कि वर्षा ऐसी कम हुई हो कि जिसको यह कहा जा सके कि अनावृष्टि हुई। यह मैंने एवरेज बतलाया

लेकिन हर साल इतनी बारिश होती नहीं है। बारिश जिसको आप आर्डर कहते हैं वैसे नहीं हो सकती कि हर जिले के हर गांव में और हर तहसील में वैसी हो जाय---वह नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका ताल्लुक है देवरिया का उसमें पडरौना को लिया जाय तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये और तहसीलों को छोड़ कर पडरौना में ज्यादा हुई। तहसील वाइज फीगर्स मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि पडरौना के साथ अल्लाह मियां ने कितनी रियायत की और इस गवर्नमेंट को भी कभी-कभी करना ही पड़ जाता है माननीय गेंदा सिंह जी की वजह से। देवरिया तहसील में ३·८२, हाटा में ४.८६, सलीमपुर में ४.७७ और पडरौना में ७.४ इंच हुई। अध्यक्ष महोदय, ६ जिलों को छोड़ कर बाक़ी जिलों को यह नहीं कहा जा सकता कि अनावृष्टि हुई। इसके अलावा उससे कुछ फसल नष्ट हुई। भदई जो है वह ८ आने से ज्यादा नष्ट हुई और कहीं १२ आने भी नष्ट हुई लेट पेडी का जहां तक ताल्लुक है वारिश लेट हुई है लिहाजा लेट पैदी कुछ न कुछ पैदा करने वाले पैदा कर ही लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि मालगुजारी बन्द कर देना चाहिये। यह मेरी बड़ी अनप्लेजेन्ट ड्यूटी है। मालगुजारी के सिलसिले में जब मैं अपने इस खयाल का इजहार करता हूं कि मालगुजारी जो वसूल हो रही है उसका मौजूदा जो मुसीबत हम लोगों पर आयी है उससे कोई वास्ता नहीं है। मैंने जैसा कहा बहुत अनप्लेजेंट बात कह रहा हूं लेकिन जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है उनको अनप्लेजेन्ट भी कहना पड़ेगा। वैसे तो हमारा अहकाम यह है सन् १९५३ से जो फ्लड ससेप्टिबिल एरियाज हैं उनमें फ्लड आ जाय और मालगुजारी वसूल होने में देर हो जाय तो डिमांड यह होती है। और मनुष्य क्योंकि बिलकुल रेशनल नहीं है, बिल्कुल दिमाग़ से काम नहीं करता, जज्बात से करता है, तो डिमाण्ड होती है लोग मुसीबत में है और कुर्क असील जा रहा है। तो सन् १९५३ से यह अहकाम जारी किये कि ऐसे एरियाज में कोशिश की जाय कि जून तक मालगुजारी वसूल हो जाय, क्योंकि फ़सल तो उठा चुका होता है किसान, जो कुछ रेमीशन वगैरह होते हैं वह तो तय हो जाते हैं उस वक्त तक। तो जो मालगुजारी उनको देनी चाहिये तो वह १४ अप्रैल से मालगुजारी का वक्त शुरू हो जाता है और जुलाई तक वसूल कर ले। तो इसलिये मलगुजारी जो अभी भी बची होगी वह बहुत कम होगी। इसके अलावा अगर फिर भी जरूरत समझें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर हमसे कहे तो ऐसी सूरत में उसका रीयलाइजेशन बन्द कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जिम्मदारी केवल मरी नहीं है, मुख्य मंत्री जी की नहीं या मेरे और साथियों की नहीं, यह जिम्मेदारी जितने इस सदन में बैठे हैं उन सबकी है। आप कोई क़ानून बना दीजिये यह गवर्नमेंट मजबूर होगी उस तरह करने पर। लेकिन देखना यह है कि आया उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। पहली बात तो यह है रुपया हमको चाहिये अगर स्थगित करते हैं तो उन लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा जब दोनों फसलों की मालगुजारी एक साथ वसूल की जायगी। दूसरी सब से बड़ी बात यह है कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाय कि मालगुजारी वसूल नहीं की जायगी रबी की फसल की जो गुजिश्ता है अगर बाढ़ आ जाय, तो कोई अप्रैल में और जून में क्यों देगा लोग देखेंगे कि अगर बाढ़ आयी तो माफ़ी हो जायगी। इसलिये हम सबकी जिम्मेदारी है इस स्टेट को चलाने की। कोई भी गवर्नमेंट और खास कर यह गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अपने लोगों को तकलीफ़ दे, हरगिज, हरगिज नहीं। फिर अध्यक्ष महोदय, अगर हम इंधन दे दें अपोजीशन को भड़काने के लिये जानबूझ कर कोई गवर्नमेंट एसा नहीं करेगी। लेकिन मजबूरी सब कुछ करना पड़ जाता है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे १० मिनट और दे दीजिये।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, १० मिनट दे दिये जायं मंत्री जी को। आपने हम लोगों को नहीं दिया पर हम देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष---कुल मिला कर पौन घंटा दिया गया है आपको।

श्री चरणसिंह---एक बात माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत मुनासिब कही वह यह कि जो मालगुजारी वसूल करने की किस्तें हैं वह ८, ८ आने हैं दोनों फ़सलों में। यह बात ठीक नहीं।

[श्री चरणसिंह]

यह बात बिलकुल ठीक है उससे किसानों को भी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि फसल खरीफ़ चार आने है और आठ आने मालगुजारी वसूल की जाती है तो उसका ज्यादा बोझ पड़ता है किसानों पर। दूसरा नुक्सान यह होता था कि मान लो फ़सल तो ज्यादा हुई, १२ आने फसल हुई रबी की, और मालगुजारी आठ आने है और रबी की फसल में हमको रेमीशन देना है तो ८ आने ही देंगे जब कि वह डिजर्व करता था १२ आने। तो इसलिये हमने कलेक्टरों को आदेश दिया कि अपने इलाके का ख्याल रख कर रिपोर्ट देवें और वह गजट में प्रकाशित हो जावेगी। जितने माननीय मित्र बैठे है अपने, अपने इलाके का ख्याल रख कर जो विचार देंगे या सुझाव देंगे उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी। क्योंकि देना तो १६ आने ही है। इसलिये दोनो फसलों का लिहाज करके वह सुझाव दें उस पर हम विचार कर लेंगे।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि आगरे में कोई शेल्टर नहीं था, कमी थी शेल्टर की। एकदम बेचारे कहां से करें, उस रेगिस्तान में इस तरह से रिजरवायर टूट जायगा। इसका तो कयास नहीं था किसी को। अकबर को भी १५८५ में फतेहपुर सीकरी से पानी की कमी की वजह से आगरे में आना पड़ा था। तो अब वहां पानी आवे इसका तो कोई इंतजाम नहीं रहता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय पालीवाल जी ने कही, कोई सीरियसली नहीं कही, शायद उन्होंने चुटकी ली थी लेकिन ५३ हजार एकड़ तो रकबा खराब हुआ है आगरे में और १५,६०० बनारस में और रुपये में कुछ फर्क है, बनारस में कुछ ज्यादा है और आगरे में कम है। तो दरअसल यह बात तो मांगने वाले की सूरत और सीरत पर भी है कि कितना रुपया किसको उधार दिया जाता है। अगर आप का कलेक्टर वहां से ज्यादा मांगे ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा रखा जा सकता है माननीय पालीवाल जी अपने कलेक्टर को परसुएड करें और रुपया देने में कोई अन्तर नही आयेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय महावीरप्रसाद शुक्ल ने एक बात कही कि जब फलूएल ऐवशन से ऐवशन होता है तो कहीं की जमीन जुड़ जाती है और अगर सारी जमीन कटी तो उन लोगों को तकलीफ हो जाती है। जमीन कब्जे में चली जाती है उनके, जिनकी जमीन से वह जुड़ी, तो वह कहते हैं कि ला को बदल दिया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, यह ला तो बहुत पुराना है, आज का नहीं है। शायद दो सौ बरस का तो यहां है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब से आई तब से बराबर यह ला चला आ रहा है और यह केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी जिद्दत नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसा ही है। जहां नदियां जाती हैं तो जब नदी में बाढ़ आ जाती है और इरोजन की वजह से भी आर्डिनरी कोर्स में भी जमीन कटती है, तो ला यह है कि जमीन अगर धीरे-धीरे कटे और ऐक्केशन उसका दूसरी जमीन से होता जाय और इस तरह से होता जाय कि आइडेंटीफाई न हो सकता हो तो जमीन उसकी ओर होगी जिसकी जमीन में वह जुड़ गयी हो, और अगर दरिया ने एक दम टर्न ले लिया और दूसरी तरफ इस तरह से बहुत बड़ा एरिया कट जाय जो कि आइडेंटीफाई हो सकती हो तो जमीन उनकी जिनके पहले थी। बहुत तजुर्बे के बाद यह दुनियां भर में नियम माना जाता है। अब अगर जमीन आइडेंटीफाई हो सकती है और बहुत बड़ा एरिया निकल आया तो सिवाय इसके कि गांव वाले अगर झगड़ा करते हैं, फौजदारी पर आमादा है और गवर्नमेंट के समझाने पर नहीं मानते हैं तो सिवाय इसके कि अदालत में जायं, और कोई इलाज नहीं है। अगर जल्दबाजी में कोई दूसरा रूल बनाते हैं तो ज्यादा हानि हो सकती है। लेकिन फिर भी सब पहलुओं को सोच कर अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकें तो मुझे खुशी होगी, उस पर हम अपने रूल को बदल देंगे।

एक बात फाडर के सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी ने कही कि इन्तजाम चारे का कैसे कर लिया जब पता ही नही था कि बाढ़ आयेगी। क्या कहा जाय, अगर पहले कर लें तब उन्हें यकीन नहीं होता कि कैसे कर लिया, क्योंकि अपने गज से नापते हैं कि कैसे हुआ? जब कोई मुसीबत आ जाय तब वह शायद इन्तजाम करेंगे और अगर हम न करें तब मुसीबत। तो फाडर की बात यह थी कि दो महीने पहले, मई के महीने में जिन जिलों में पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो जो हमारे काम करने के ढंग थे बावजूद बहुत बड़ा नुक्सान हो जाने के भी कोई नयी बात हम नहीं कर सके सिवाय फाडर के इन्तजाम के और हमने पिछले साल यह जिलाधीशों से कहा कि आइंदा साल मई के महीने में वह फाडर इकट्ठा

कर ले, क्योंकि यहां से जो० ओ० ग.लिबन अप्रैल में चला गया था, और कुछ चारा जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं उनसे खरीदवाने के लिए कहा गया था कि वह उसका इंतजाम रखें, अगर हमें चारे की जरूरत हुई तो हम खरीदेंगे और तुम्हें पूरे दाम देंगे, और अगर जरूरत नहीं हुई, जैसा कि बहुत जगह जरूरत नहीं पड़ी है तो गवर्नमेंट, जो नुक्सान होगा उसको बर्दाश्त करेगी। तो इस तरह से चारा थोड़ा बहुत हर जगह मौजूद था जिससे कि हम फौरी इमदाद लोगों को दे सकें। इसके अलावा चारे का इन्तजाम तो पूर्णतया हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो इतना चारा मिल सकता है और न उसका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जिन भाइयों को जो सुझाव देने हों वह मेरे पास भिजवा दें—फ्लड कंट्रोल के सुझाव तो माननीय त्रिपाठी जी के पास भिजवा दें और रिलीफ के मुहकमा माल में भिजवा दें।

अन्त में माननीय गेंदासिंह जी को धन्यवाद दिये बिना न रहूंगा। वह यह कि अबकी यह डिबेट सूखी जा रही है फ्लड की यह रिपोर्ट है और सूखी इसलिये जा रही है कि किसी भी स्टारवेशन डैथ का जिक्र नहीं हुआ है। मुझे अंदेशा था और ऐसा इशारा था और कागजात में हमारे यहां यह चीज आ गयी थी, लेकिन फ्लोर आफ दी हाउस में यह चीज नहीं हुयी। इसके लिये मैं गेंदासिंह जी को धन्यवाद देता हूं और इस बात को यहीं पर छोड़े देता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुसीबत है और हमारी बदकिस्मती से ५–६ साल से बराबर यह चली आ रही है। लेकिन जिन पर यह मुसीबत पड़ती है उनको बरदाश्त करना है। गवर्नमेंट और उसके आदमियों में कोई फर्क नहीं है अगर पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव के कांटा चुभता है तो हमारे भी उसी तरह से कांटा चुभता है और हम चाहते हैं कि हम इम्दाद कर दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतने बड़े संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि हम सहायता इस प्रकार की पहुंचायें कि जिसमें लोगों में जो आत्म निर्भरता की भावना है, सेल्फ रिलायेंस की जो भावना है, वह किसी भी तरह से वीकेन न हो जाय। मुसीबत में वह अपने पैरों पर खड़े हों और वह अपनी मुसीबत को मिटायें, दूसरे लोग तो थोड़ी बहुत इम्दाद कर सकते हैं दरसल में मुसीबत तो उन्हीं लोगों को दूर करना है हमारे लोगों के दिलों में यह भावना नहीं आनी चाहिये कि असिस्टेंस के लिये वह गांव के बाहर देखें। इसके अलावा जो लोगों को तकलीफ हो उसको मिटाना है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उनमें सेल्फ रिलायेंस की कमी न हो। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य से माली नुक्सान इतना नहीं हुआ बजाय इसके कि हमारे करेक्टर को नुकसान हुआ है। मुसीबत हमारे ऊपर आये तो हमारी स्पिरिट बनी रहे कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने मसले का हल निकालेंगे। मैं यही चाहता हूं कि गांव वालों में से इनीशियेटिव की भावना न चली जाय। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद देता हूं और जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है लोगों ने उसकी आम तौर से सराहना की है।

*उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के विद्वानों और कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्था है। इसका सर्व प्रथम अधिवेशन महामना पंडित मदनमोहन जी मालवीय के सभापतित्व में १९१० में हुआ था सन् १९११ ई० में यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (१८६०

* ३ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सीतारमन]

का अधिनियम संख्या २१) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में निबिद्ध हुआ था। इस संस्था ने अपने ४५ वर्ष के कार्यकाल में हिन्दी की अभिवृद्धि के लिये उल्लेखनीय कार्य किया है। तत्पश्चात् इसका पिछला अधिवेशन जो इसका ३८ वां अधिवेशन था, १९५० में हुआ था। पश्चात् कुछ आपस की तथा वैधानिक आपत्तियां उठ खड़ी हुयी जिसके फलस्वरूप अभी तक इसका कार्य अच्छी तरह से नहीं हो सका। यही कारण रहा इसका कार्य अच्छी तरह से चलाने के लिये एक रिसीवर की नियुक्ति की गयी। यद्यपि इसकी नियुक्ति हो गयी है और ५ साल बीत गये हैं लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका कार्य सम्पादन होना चाहिये, नहीं हो रहा है। आज इस विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। इस विधेयक में एक ऐसा अंतरिम मंडल बनाने की व्यवस्था है, जो सम्मेलन की भावी नियमावली बनायेगा जिसके अनुसार स्थायी समिति का निर्माण किया जा सके। अंतरिम मंडल सम्मेलन के प्रशासन का भार तुरन्त ग्रहण कर लेगा। फिर जब स्थायी समिति बन जायगी तब सम्मेलन को चलाने का उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर ले लेगी और अंतरिम मंडल स्वतः विघटित हो जायगा। अतः इस सदन के समक्ष इस बिल को प्रस्तुत करने के पश्चात मैं आशा करता हूं कि सदन इसको पारित करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संशोधन का नोटिस दिया था वह तो मई में दिया गया था। लेकिन चूंकि विधेयक अब आया है तो मेरे पहले संशोधन में जहां "१ अगस्त" है वहां मैं चाहता हूं कि अब "१ नवम्बर, १९५६ तक प्रसारित किया जाय" यह कर दिया जाय। इसी तरह से दूसरे में "१ अगस्त" के बजाय "१ सितम्बर" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप संशोधन एक उपस्थित कर रहे हैं या दोनों ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं पहले एक करूंगा। अगर वह नहीं स्वीकार हुआ तो दूसरा करूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप दोनों उपस्थित कर दें तो एक ही दफा बोलना पड़ेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह तो मैं कर सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६, को जनता की राय प्राप्त करने के लिये १ नवम्बर, १९५६ तक प्रसारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १ सितम्बर, १९५६ तक दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जो उद्देश्य विधेयक के हेतु और प्रयोजन में बताये गये हैं और लगभग जिनको पढ़ कर माननीय शिक्षा उपमंत्री जी ने अपना भाषण इसके पक्ष में दिया है उस उद्देश्य से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्मेलन में जो गतिरोध पैदा हो गया है, वह दूर हो। मैं यह चाहता हूं कि सम्मेलन को दृढ़ आधार पर खड़ा किया जाय और उसे हिन्दी को समुन्नत करने का पूरा-पूरा अवसर और सुविधायें प्रदान की जाय। उसका कारण है जैसा कि इसमें कहा गया है, ४५ वर्ष हुये हिन्दी साहित्य सम्मेलन को कायम हुये। जहां तक मुझे याद है इन ४५ वर्ष में से कम से कम ४० वर्ष से हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा सम्बन्ध रहा है, मुझे उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरी श्रद्धा उसके प्रति रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो परीक्षायें हुयी उनमें श्रद्धा के कारण ही मैं बैठा और प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, तीनों परीक्षायें मैंने दीं और मुझे यह सौभाग्य भी प्राप्त है

कि हिन्दी के जो सबसे पहले साहित्य रत्न थे, उत्तमा की परीक्षा जिन्होंने पास की थी उनमें से एक मैं हूं। मेरा ख्याल तो यह है कि मेरे साथ एक सज्जन और थे लेकिन जो पुस्तकें वगैरह निकली हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि मैं अकेला ही था। लेकिन यह बात इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। केवल यह बताने के लिये कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा क्या सम्बन्ध रहा। मैंने इतना निवेदन कर दिया। और यह भी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो स्थायी समिति थी उसका मैं दशाब्दियों तक लगातार सदस्य होता रहा। इसके अलावा जब हमारे प्रदेश में ग्राम सुधार योजना स्थापित हुयी उस समय मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि उसके लिये जो नौकरियों की नियुक्तियां हों उनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को मान्यता दी जाय और मुझे उसमें सफलता मिली। ये बातें मैंने केवल यह निवेदन करने के लिये बतायी हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा क्या सम्बन्ध रहा है, क्यों मैं चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समुन्नति हो और उसके मार्ग में जो बाधायें हैं वे दूर हों। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस विधेयक में जो तरीका अख्तियार किया गया है कि और जिस तरह का प्रबन्ध किया गया है उस गतिरोध को दूर करने के लिये उसके विषय में मुझे कई आपत्तियां हैं और मैं चूंकि इसका विरोध नहीं करना चाहता केवल यह चाहता हूं कि इस विधेयक पर इस तरह से विचार हों कि जहां तक हो सके यह सर्वसम्मति से पास हो, इस सदन में इसका विरोध न हो इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और उसका कारण यह है कि अगर इस पर विवाद होता है तो उसके सम्बन्ध में जो बातें कही जायेगी वैधानिक झगड़ों के सम्बन्ध में और प्रतिगृहीता की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो बातें बतानी होंगी कि यह तरीका क्यों गलत है उसमें क्या आपत्ति है इस सम्मानित सदन में जो बातें कहनी होंगी वह सरकार के लिये भी और हमारे प्रदेश के एक ऐसे नेता के लिये भी जिसका लाख विरोधी होते हुये भी मैं आदर करता हूं उनके लिये भी शोभनीय न होगा। इसलिये मैं उन्हें बताना चाहता हूं और उन्हें बचाने के लिये ही मैंने दूसरा संशोधन पेश किया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वे उसको मान लें केवल सात-आठ दिनों की बात है अगर वह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और वहां उन बातों पर विचार हो जाय और वहां पर जो बातें कही जा सकती हैं वह यहां पर न कही जायं और समाचारपत्रों में भी वह बातें न आवें उन्हें बचाने के लिये वे इस बात को मान लें तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा। यदि वह यह स्वीकार करते हैं तो प्रवर समिति भी वह जैसी चाहें वैसी बनावें मुझे इस पर भी आपत्ति नहीं होगी। इस प्रार्थना के साथ में यह जानना चाहता हूं कि वह स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं तो मैं अपना पहला संशोधन वापस ले लूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा और अपना दूसरा संशोधन ही रख दूंगा। यह कहकर उनके उत्तर के लिये मैं बैठा जाता हूं। यदि उनका उत्तर हां, में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—मंजूर नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मुझे अब अपने कटु कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है। जैसा कि विधेयक के हेतु और प्रयोजनों में स्वयं सरकार ने कहा है "कि संचालन के विषय में कुछ ऐसे वैधानिक झगड़े उठ खड़े हुये जिनके कारण एक प्रतिगृहीता रिसीवर नियुक्त हो गया और वैधानिक विवाद चलते हुये अब लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं और पता नहीं कब इसका अन्त होगा" इत्यादि। तो इस सम्बन्ध में एक बात सदन के सामने यह निवेदन करना है कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है और हाईकोर्ट में जो मामला है उसको न्यायालय के दायरे से हटाकर इस सदन में इस विधेयक के जरिये एक पार्टी का पक्षपात करना और दूसरी पार्टी के साथ अन्याय करना इस प्रकार की चीज यहां नहीं आनी चाहिये थी जिसको कहने के लिये मुझे विवश किया गया है। वह वैधानिक संकट क्या है जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई और उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें पैदा हुई होंगी जिससे यह सदन यह जान सके कि

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

इस विधेयक को लाना क्यों गलत है और अजनतांत्रिक है और क्यों यह गलत परम्परा कायम करते हैं। वैधानिक संकट पैदा होने का कारण यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन में दो ग्रुप हैं, दो गुट हैं और इनमें से एक गुट को हमारे माननीय पुरुषोत्तमदास जी टंडन का विश्वास, समर्थन और सहयोग प्राप्त है और दूसरा गुट वह है जो कि पांच साल पहले चुनाव के द्वारा पदाधिकारी हुआ और जिसके हाथ में बहुमत था। बहुमत दूसरे ग्रुप के हाथ में आते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। (एक आवाज यह वैधानिक संकट है) यह गलत नहीं है यह वक्तव्य है। इसके सभापति हैं जयचन्द्र जी विद्यालंकार। उसके बाद वैधानिक संकट पैदा हुआ है लेकिन आजतक वह सभापति चले आ रहे हैं। इसमें एक बात भी गलत नहीं है और अगर गलत बताया जायगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। जयचन्द्र जी विद्यालंकार उसके सभापति हैं और पांच साल पहले वह चुने गये। और जो कुछ हुआ वह यह है कि जब यह चुनाव हो गया तो चुनाव में दो सेक्रेटरियों को नये पदाधिकारियों ने अलग कर दिया। उनको अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया। उसके पीछे झगड़ा पैदा हुआ और जो नये पदाधिकारी थे उनका कहना यह था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के प्रचार करने का अब पवित्र स्थान नहीं रहा है उस पर कुछ पूंजीपतियों का, कुछ पुस्तक प्रकाशकों का कब्जा हो गया है जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये पुस्तकें छाप और बेंच कर मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि उस पर उनका कब्जा है और इस पर वैधानिक संकट और झगड़ा पैदा हुआ। इसका पहला कारण यह हुआ कि उन मंत्रियों ने जिनको अलग किया गया था साढ़े सात हजार रुपया सम्मेलन के फंड में से बिदड़ा कर लिया और वह इस लिये कि वे उस रुपये से वर्तमान अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकें. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय सिद्धांतों का सवाल है और उसमें इतने ब्योरे में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ब्योरे में जाने की आवश्यकता इसलिये मुझे पड़ी कि वैधानिक संकट क्यों पैदा हुआ, रिसीवर कैसे नियुक्त हुआ और रिसीवर के नियुक्त होने के बाद यह बिल किस तरह से लाया जा रहा है, क्यों यह विधेयक अजनतांत्रिक है और गलत परम्परा कायम करता है, इन सब बातों को सदन के सामने लाने और रखने के लिये मुझे यह बात कहनी पड़ रही है, जिन्हें मैं स्वयं नहीं कहना चाहता था। मेरे पास इस समय इस सम्बन्ध में वर्तमान सभापति के और उसके प्रचार मंत्री के बयान और दूसरे कागजात मौजूद हैं, ये समाचार पत्रों में छप चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजे जा चुके हैं और वे लोग इस सम्बन्ध में उनसे मिल भी चुके हैं। मैं उन को पढ़ कर और सुना कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि मैं स्पष्टीकरण कर दूं। जहां तक आपको सदन को यह बताना है कि वैधानिक संकट किस तरह से उत्पन्न हुआ, वह तो ठीक है। उस में आप कहें कि दो पार्टियां हैं और उसके लिये थोड़ा सा वाकयात का आप इशारा कर सकते हैं। लेकिन उन पार्टियों के बीच जो झगड़ा है उसमें किसकी बात सत्य है और किसकी असत्य है, इस तरफ आप न जायं क्योंकि वह बातें इस विधेयक का विषय नहीं है। आप इतना कहें कि चूंकि इन दोनों पार्टियों में झगड़ा है इसलिये हमको इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहिये। यह कह सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि फलाने की बात सही और फलाने की बात गलत। इस तरह की चीज इस में नहीं आनी चाहिये। वह इसका विषय नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस का असर क्या पड़ेगा ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सीमा को मानता हूं और आप की सीमा को मानते हुये इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि यह

सत्य है और यह असत्य है। लेकिन केवल यह कहूंगा कि एक पक्ष का क्या कहना है और कुछ फैक्ट्स क्या हैं और इस में मैं समझता हूं कि असत्य और सत्य का प्रश्न नहीं पैदा होता।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उनके बीच झगड़ा चला। झगड़ा चलने पर जो पहला पक्ष था, जो हार गया था चुनाव में, उसके रिसीवर की नियुक्ति कराने के लिये अर्जी दी और उसके कहने पर रिसीवर नियुक्त हुआ। और रिसीवर नियुक्त होने पर कुछ पदाधिकारियों ने रिसीवर की नियुक्ति का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट तक वे इस बात के लिये लड़े कि रिसीवर की नियुक्त न हो। तो जो रिसीवर नियुक्त हुआ है और जिसके कारण कहा जाता है कि वहां वैधानिक संकट पैदा हो रहा है और वह रिसीवर उस पक्ष के कहने पर नियुक्त हुआ और दूसरे पक्ष के विरोध के बावजूद वह रिसीवर नियुक्त हुआ तो इस विधेयक को लाकर उस दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किया जा रहा है। वह विधान इस विधेयक के जरिये से बनाया जा रहा है तो एक पक्ष को बलान्वित करेगा और दूसरे बहुमत पक्ष को हटाकर एक पार्टी के पक्ष का समर्थन करेगा। जो बात न्यायालय में नहीं हो रही है वही बात इस विधेयक के द्वारा यहां की जा रही है। मैं यह नहीं बताना चाहता और वह बात समाचार पत्रों में छप चुकी है कि एक पक्ष के नेता यहां आये और उन्होंने यहां पर भाषण दिया और पार्टी के लोगों के सामने यह कहा कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लाया जाय और जल्दी से जल्दी इसको यहां पर पास कराया जाय। तो यह बात मैं कहना नहीं चाहता हूं मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इस वैधानिक संकट का क्या कारण है।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर पार्टी का जिकर किया जाय कि वहां पर किसने क्या कहा यह बिलकुल मैं अवैधानिक समझता हूं। मैं इसके ऊपर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह असंगत नहीं हो रहे हैं। मैंने वाकयात के कथन के लिये सीमा नियत कर दी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने यह रूलिंग दी कि मैं असंगत नहीं हूं। मैं फिर निवेदन करूं कि मैं किसी पर आक्षेप करने के लिये यह बात नहीं कहना चाहता हूं। केवल यह बताना चाहता हूं कि यह भी सही है कि जिस पार्टी की सरकार की तरफ से यह विधेयक लाया गया है उस पार्टी में यह बात हुयी। तो उस पार्टी की सरकार के सामने यह कह रहा हूं कि विधेयक की जो आवश्यकता बतलायी गयी है और जिसके कारण यह विधेयक यहां पर लाया गया है वह अजनतान्त्रिक है और गलत परम्परा को कायम करने वाली चीज है। इसी तरह से और पार्टी भी आयेगी वह भी गैरसरकारी संस्थाओं में अपनी पार्टी का कब्जा कराने के लिये जो हाईकोर्ट से हारे, चुनाव से हारे इस विधेयक को लाकर एक ऐसी चीज को पास करने की कोशिश करना और जहां पर एक पार्टी के हाथ में शक्ति हो वह इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार न हो, तो उसके लिये मैं यह कहूंगा कि उसके लिये एक गलत परम्परा को कायम करना है। मेरा निवेदन यह है कि आप संख्या की शक्ति के जरिये से जो चाहे यहां कर सकते हैं केवल सत्ता के मद में रहकर सत्ताधारी जो भी कर सकते हैं वह बहुमत के बल पर उन्होंने किया है। जब अपने हाथ में सत्ता होती है तो जो कुछ भी वह अपने ख्याल से सही समझते हैं, करते हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप गलत काम न करें। आप कोई काम करें तो सत्ता के मद से मदान्ध होकर न करें। बिना समझे जो काम सत्ताधारियों ने किये हैं उसके परिणाम भी संसार में उन सत्ताधारियों को भुगतने पड़े हैं। उसी तरह से आपको भी यह भुगतने पड़ेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इतनी बात मान लीजिये कि जो बातें आपको भी अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं भी जिनको कहना नहीं चाहता हूं और माननीय अध्यक्ष को भी सीमा रखनी पड़ रही है और जिसके लिये मैंने प्रार्थना की थी कि मैं कहने के लिये विवश न किया जाऊं उसको आप करने की कोशिश न करें।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर समझौते के लिये कोशिश की जाती है तो इस विधेयक के लाने की यहां पर आवश्यकता न होती। मैं यह बात साबित कर सकता हूं कि १९ फरवरी, सन् १९५६ को समझौता हो गया। उस समझौते ....

श्री अध्यक्ष--यहां पर अधिक्रमण हो रहा है। आप फिर निर्धारित सीमा के बाहर जा रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर यह समझौते का रास्ता अख्तियार किया गया होता तो इसकी आवश्यकता न होती। तो आपस में समझौता कराने के बजाय इस विधेयक के जरिये से झगड़ा बढ़ाना अच्छा नहीं है। अनुचित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा न किया जाता तो यह समझौता हो गया होता। अब भी ऐसा न किया जाय तो समझौता कराया जा सकता है

श्री अध्यक्ष--सदन का काम यह नहीं है कि समझौता करादे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--लेकिन सदन का यह काम भी नहीं होना चाहिये कि इस तरह से पार्टीगत मामले में किसी संस्था पर कब्जा करने के लिये इस प्रकार का विधेयक लाया जाय। इस बात पर मैं आपत्ति कर रहा हूं। इसे साबित करने के लिये मैं बता चुका हूं कि चुनाव या हाई कोर्ट के जरिये वह बात नहीं की जा सकी और जब मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है यह विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक के हेतु और प्रयोजन में कहा गया है कि इस विधेयक में एक ऐसा अन्तरिम मंडल बनाने की व्यवस्था है जो सम्मेलन की भावी नियमावली बनायेगा, जिसके अनुसार उसकी प्रबन्धकारिणी के रूप में स्थायी समिति का निर्माण हो सके। अन्तरिम मंडल सम्मेलन के प्रशासन का भार भी तुरन्त ग्रहण कर लेगा। फिर जब स्थायी समिति बन जायगी तब सम्मेलन को चलाने का उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर ले लेगी और अन्तरिम मंडल स्वतः विघटित हो जायगा।

यह अंतरिम मंडल क्यों कायम किया जा रहा है? सरकार को अगर इतनी जल्दी है तो वह अपनी शक्ति से इसे करा सकती है। फिर अन्तरित मंडल की क्या आवश्यकता है, यह विधान सरकार स्वयं क्यों नहीं बना देती है? आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधान स्वयं बना दिया तो इस विधेयक में ऐसी क्या बात है कि जो बात आपने दूसरे विश्वविद्यालयों के संबंध में की वह आप इसमें नहीं कर रहे हैं? अन्तरिम मंडल की नई सूझ, नया ब्रेनवेव इसके संबंध में क्यों है? इसलिये मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि यह जनमत के लिये प्रसारित किया जाय ताकि जनता को मालूम तो हो कि यह सरकार किस तरह से काम करती है।

श्री राजनारायण--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। इस विधेयक के हेतु और प्रयोजन में साफ लिखा है कि कुछ वैधानिक झगड़े उठ खड़े हुये हैं और वही कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करने का है। इन वैधानिक झगड़ों के संबंध में हमारे पास कोई कागजात नहीं है। यह विधेयक स्थगित किया जाय जब तक वे कागजात हमारे पास न आवजावें, मैंने यह लिखकर आपको दिया।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसे पढ़ लिया। आपका कहना है कि वैधानिक झगड़े के कागजात सदन के सामने मौजूद नहीं हैं। नियम यह है कि अगर किसी कागजात के ऊपर आधारित कोई विधेयक हो तो मंत्री जी को चाहिये कि वे कागजात सदन के सामने उपस्थित कर दें। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसे झगड़े के विषय में कागजात आपके पास मौजूद हैं जो इससे संबंधित हैं और जिनका जिक्र उद्देश्य और कारणों में है, जिनके ऊपर यह विधेयक आधारित है? मंत्री जी बतावें।

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, इसके निस्बत काफी कागजात हैं। दोनों पक्षों की ओर से इश्तहारबाजी हुई है, वह हमारे पास हैं। कुछ लोगों ने हमारे पास लिखकर भेजा भी है कि ऐसा एक विधान होना चाहिये वह भी हमारे पास है। एक सभा हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात के लिये कहा था कि कोई विधान प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था की जाय, वह भी हमारे पास है। जो साहब देखना चाहें अभी देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--उन्हें आप उनको बतला दें। आप मेरे पास भिजवा दें तो मैं उन्हें दे दूंगा लेकिन इसके लिये सदन का कार्य स्थगित नहीं हो सकेगा। क्योंकि इसमें यही नियम है कि जिन कागजात के आधार पर विधेयक लाया जाय उन कागजात को टेबिल पर रख दिया जाय और माननीय सदस्य उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसलिये उनको देखने के लिये मैं आपको दे दूंगा, जब तक दूसरे माननीय सदस्य भाषण देंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा था कि इसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि--

"Any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

इसी के अनुसार मैंने यह निवेदन किया था कि टेबिल आफ दि हाउस पर रख दिया जाना चाहिये। अगर वह मुझको मिल जायगा तो भी सदन के बहुत से माननीय सदस्य उससे वंचित रह जायेंगे। जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा कि इसमें बहुत सी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष--मैंने निर्णय दे दिया है। इसी लिये उसको मैंने अपने पास मंगवाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हां, एक समय में उसको एक ही साहब देख सकते हैं, यह नहीं हो सकता कि उसकी ५० कापीज करायी जायं। वह पत्रावली टेबिल पर रहेगी, जो साहब भी देखना चाहें उसे देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी उनको मेरे पास भेज दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बर साहब यह जानते हैं कि इस सदन की भाषा हिन्दी है लेकिन फिर भी वे अंग्रेजी में पढ़ रहे थे।

श्री अध्यक्ष--यह आपका कहना सही है। आगे अब वे हिन्दी में पढ़ा करेंगे।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आश्चर्य-चकित हूं। सुना यह था कि संसार में ७ ही आश्चर्य हैं लेकिन कभी-कभी आठवां आश्चर्य भी सामने आ जाता है। एक ऐसे विधेयक के लिये जिसमें स्पष्ट यह बता दिया गया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन में गत्यावरोध दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थायी सदस्य हूं और कई बार उसकी स्थायी समिति का सदस्य निर्वाचित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इस प्रकार उससे मेरा घनिष्ट संबंध है। मैंने उसको बहुत सी पुस्तकें भी दी हैं। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि इसके लिये रिसीवर नियुक्त है तो मुझे दुख होता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जब हमारे देश में हिन्दी को राजभाषा मान लिया गया है और जिस संस्था ने इस कार्य में सबसे अधिक प्रयत्न किया उसमें ही आज गत्यावरोध दिखायी पड़ रहा है। यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से यह जो विवाद छिड़ गया है। मैं समझता हूं कि जब यह स्पष्ट बता दिया गया कि यह अदालत में मामला है लेकिन अगर हम अदालत के ही भरोसे बैठे रहें तो सुप्रीम कोर्ट में जाने पर बरसों लग सकते हैं और यह गत्यावरोध दूर नहीं होगा।

[श्री रणंजय सिंह]

और न ऐसा ही किया जा सकता है कि सम्मेलन में चुनाव करा लिये जायं, इस प्रकार से सब काम ठप्प ही पड़ा रहेगा। और उसके काम में बाधा होगी। ऐसे वक्त में प्रवरसमिति या जनमत के लिये भी इस को प्रसारित करने में कोई लाभ नहीं मालूम होता। यहां पर और जो इस संबंध में बातें हुईं उनमें भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन राजर्षि टंडन जी के लिये यह कहना कि किसी पार्टी के नेता आये और उन्होंने ऐसी बातें कीं. . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।

श्री रणंजयसिंह--मैं आप को धन्यवाद देता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं लेकिन ऐसा अनुमान करना कि किसी पार्टी के नेता आये और उन्होंने यह किया यह ठीक नहीं है। राजर्षि टंडन जी सर्वोपरि हैं, ऋषिवर वह थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता आया हूं. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप को उनका नाम बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रणंजयसिंह--मैं आप से क्षमा चाहता हूं। मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वादविवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारे यहां हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक बहुत बड़ा सम्मेलन है और चूंकि उसने हिन्दी के लिये इतना काम किया है, हिन्दी विश्वविद्यालय बनाया है, इस प्रकार से हिन्दी प्रचार के लिये उसने कितने प्रचारकों को दक्षिण में भेजा है उसके काम में किसी तरह का गत्यावरोध इतना खटकता है कि इसमें कोई देर की जाय उसके ऊपर विचार ही नहीं हो सकता। जहां तक जनमत लेने की बात है इसका भी कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि जनमत हम अनुमान से समझ सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो गत्यावरोध है उसे दूर किया जाय। केवल गत्यावरोध दूर करने के लिये और उसे ठीक से चलाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। किसी का विरोध करने के लिये या किसी के अनुकूल या किसी के प्रतिकूल नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। किसी न किसी प्रकार से यह गत्यावरोध दूर हो क्योंकि इस प्रकार से आशंका हो रही है कि पता नहीं कितने वर्ष व्यतीत हो जायं। जब कोई निर्णय नहीं होता है तो उसके लिये उपाय है कि अदालतों में जायं और अपील करें। इसके लिये एक रिसीवर नियुक्त किया गया है जो वहां का प्रबन्ध करता है। इसमें काफी बिलम्ब हो रहा है और सिवा इसके और कोई उपाय नहीं है कि यह विधेयक शीघ्र से शीघ्र पारित किया जाय और उसका गत्यावरोध दूर किया जाय जिससे हिन्दी का जो सबसे बड़ा सम्मेलन है और जिसका राष्ट्र भाषा से बड़ा संबंध है उसका कार्य संचालन सुचारू रूप से हो सके। मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त और कोई कारण इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक को यहां लाने का नहीं था। इस प्रकार यह विधेयक बहुत ही नेकनियती के साथ और साफ विचार के साथ यहां प्रस्तुत किया गया है। चूंकि इसमें विलम्ब हो रहा है इसलिये गत्यावरोध को दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। इसमें कोई दलबन्दी की बात नहीं है। बहुत वर्षों से इसका चुनाव नहीं हुआ है। इसलिये सदन से मेरी प्रार्थना है कि वह इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक को इसी रूप में शीघ्र से शीघ्र स्वीकार कर ले ताकि यह गत्यावरोध दूर हो जाय।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के संबंध में जो प्रवर समिति को यह विधेयक दे देने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आपके सामने दो प्रस्ताव हैं एक दूसरे के आल्टरनेटिव में कि अगर एक स्वीकार न हो तो दूसरा हो। तो दोनों प्रस्तावों के बारे में आप कहें ।

श्री देवकीनन्दन विभव---श्रीमन्, मैं जनमत वाले प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं और उसके साथ ही साथ प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं। और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। यह कहना कि शासन या सरकार किसी पार्टी या पक्ष की प्रेरणा से इसके लिये प्रस्तुत हुई है, मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब सी बात होगी। इस बात को स्वीकार किया है और इसे कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता कि सन् १९५० में सम्मेलन का आखिरी चुनाव हुआ। उसके बाद सम्मेलन का कोई चुनाव नहीं हुआ। उसमें आपस में कितने झंझट हुये, कितने संघर्ष हुये, उससे हिन्दी जगत की कितनी हानि हुई, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगर संघर्ष दो पक्ष में होते हैं तो पहले यह विचार निर्णय करना कि कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष सही नहीं है यह बात बहुत कठिन हुआ करती है। वकील किसी भी कमजोर से कमजोर मामले को लेकर खड़ा कर सकता है और वह कमजोर से कमजोर केस को भी अच्छी तरह से प्रतिपादित करता है। यह हम अदालतों में आये दिन देखते रहते हैं। रिसीवर एक ऐसी महान संस्था में हो जिसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिये इतना काम किया, जिसने हिन्दी के प्रचार के लिये इतना काम किया और वह भी इस प्रदेश में जिसने कि हिन्दी का झंडा सबसे ऊंचा उठाने का दावा किया। वह संस्था ५-६ वर्ष तक बन्द पड़ी रहे, उस पर एक रिसीवर नियुक्त किया जाय, मैं समझता हूं यह हमारे प्रदेश के लिये एक लज्जा की बात है। उस परिस्थिति का निराकरण होना चाहिये, मैं समझता हूं हिन्दी का कौन सा प्रेमी होगा जो आज यह न चाहता हो? आज ऐसे समय में जब कि एक भाषा की एक प्रगति के साथ इस बात की आवश्यकता है कि अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी की स्थापना सारे देश में की जाय, तो वह प्रदेश जहां कि हिन्दी का इतना बाहुल्य है वहां की संस्था, वहां की ऐसी महान् संस्था जिस के प्रधान और अध्यक्ष कभी पंडित मदनमोहन मालवीय रहे हों और जिस के प्राण राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन जैसे व्यक्ति मौजूद है उस संस्था का ताला बन्द रहे यह बड़ी लज्जा की बात है। मैं हिन्दी जगत की बात कहता हूं, इससे दुख है हिन्दी साहित्य से प्रेम रखने वालों को कि उनकी संस्था की ऐसी दुर्दशा हो। यह विधेयक जिस लक्ष्य से लाया गया है उस का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि उस पर कोई मंत्रिमंडल जबरदस्ती लादा जाय बल्कि उसका एक लक्ष्य है और वह यह है कि इस संस्था का एक उचित संविधान तैयार हो और उसके अनुसार एक मंत्रिमंडल का निर्माण हो जिस में सभी पक्षों को उचित अवसर प्राप्त हो और उसका निर्माण निर्वाचन के द्वारा हो और इस संस्था का जो ऊंचा स्थान चला आया है उसके वह अनुरूप हो और इस काल के अनुरूप बने जिस में आज उस की आवश्यकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं किन्हीं सदस्यों के बारे में आप आक्षेप न करें, हर एक को अपनी राय देने की स्वतंत्रता है।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि पहले एक बात हुआ करती थी कि जिस विधेयक को टालना हुआ उसके लिये कमीशन बना दिया जाय, उसको जनमत के लिये या सरकुलेशन के लिये भेज दिया जाय, मैं समझता हूं यह अनावश्यक होगा। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि हमें इस संस्था को पुनर्जीवित करना है, उसको कार्य संचालन के योग्य बनाना है जिसकी कि हिन्दी जगत को बहुत आवश्यकता है और मेरा ख्याल है कि हम इस विधेयक को शीघ्र से शीघ्र यहां से पारित करें और शीघ्र से शीघ्र उसे कार्य रूप में लाकर हिन्दी का लाभ करें। हमारी यह अभिलाषा है कि इस सम्मेलन का

[श्री देवकीनन्दन विभव]

कार्य उचित रूप से प्रगति करे ऊंचे हाथों में---ऊंचे विद्वानों की राय से और जो आज भी हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहे हैं उन की राय से उन की सम्मति से और जनतांत्रिक भावना से उस की स्थापना हो। मैं समझता हूं उस में न तो किसी झगड़े की बात लाने की जरूरत है और न उस पर बड़ी-बड़ी पोथियां खोलने की जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा हो जाय, चाहे कोई किसी भी दल या विचार का हो इस संबंध में सबका एक ही ध्येय होना चाहिये और वह यह कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोई राजनैतिक संस्था न हो, उस में राजनीति खेल के लिये कोई स्थान न हो, सारे राजनैतिक विचारों के लोग, साहित्यकार लोग जिन्हें उसे ऊंचा उठाना है उस में सहयोग दें इसकी बड़ी आवश्यकता है। किसी भी हिन्दी प्रेमी की यह भावना न होगी कि ऐसी संस्था न फले फूले। मेरा ख्याल है कि सभी की यह भावना होगी कि हमारी इतनी बड़ी और पुरानी संस्था पुनर्जीवित हो और अपने अनुरूप कार्य करे और जिस क्षेत्र में उस की आवश्यकता है उस कार्य को वह सफलता पूर्वक करे। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साहित्य सम्मेलन का इतिहास देश की स्वतंत्रता का इतिहास है। इस सम्मेलन से प्रेरणा ले कर देश ने राष्ट्रभाषा के विकास के लिये कितना प्रयत्न किया है यह विद्वानों से छिपी हुई बात नहीं है। अपने प्रदेश और देश के अन्दर परीक्षाओं के द्वारा, हिन्दी विद्वानों का निर्माण कर तमाम देशी और विदेशी भाषाओं के पंडितों ने कितने ग्रंथों का निर्माण कराया है यह भी छिपी हुई बात नहीं है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपको, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे में ही नहीं देश की सभी जनता की राय है कि जल्दी से जल्दी हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वैधानीकरण हो जाय और हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह कम से कम समय के अन्तर्गत जितनी गति से हो सके वह उस विधेयक को पारित करा कर और जो गतिरोध है, हमारे सामने उसे दूर किया जाय। एक संकट है। उस संकट का इतिहास क्या है इस सदन में उसको मैं कहना नहीं चाहता और न कहने की आवश्यकता है। वह न्यायालय के सामने विचाराधीन है उसके ऊपर कोई अंगुली का निर्देश करना यह न्याय के विरुद्ध है। इस कारण उधर संकेत न करके इतना कहना कर्त्तव्य मानता हूं कि एक रिसीवर का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह राष्ट्रभाषा विकास के लिये जितना सम्मेलन कार्य कर रहा था वह रिसीवर काम कर सके। जितने भी हमारे देश के हिन्दी के विद्वान हैं, राष्ट्रभाषा के प्रेमी हैं, जिनके हृदय में और शरीर में हिन्दी की आग प्रज्वलित है वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सम्मेलन का वैधानीकरण हो जाय और उसकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार ने इस विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। हमारा, अध्यक्ष महोदय, सदन से यह आग्रह है कि बिना किसी विलम्बकारी नीति को अपनाये हुये या प्रवर समिति के सामने भेजे हुये इसको पारित किया जाना चाहिये। इसके पीछे कोई उपयुक्त विचार नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इस विचार के अन्दर केवल मूर्छावृत्ति है। यह बात दलगत बात से ऊपर है। मैं नहीं जानता कि माननीय पालीवाल जी किन भावों से प्रेरित हो कर या किस सूचना के आधार पर उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि यह जनमत को जाना चाहिये। मुझे भी यह गौरव प्राप्त है कि आज पच्चीसियों वर्ष से मैं सम्मेलन का कार्य कर रहा हूं। परीक्षा केंद्रों की स्थापना मैंने कई जिलों में कराई है और सम्मेलन का पूरा इतिहास जानता हूं। यह तो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं लेकिन सम्मेलन की परीक्षाओं को मैंने गतिविधि से संचालन किया है और बहुत अच्छी तरह से इसको देख चुका हूं, इसको जनमत जानने या प्रवर समिति को भेजने से हिन्दी के प्रति न्याय नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने या जनमत जानने का घोर विरोध करता हूं।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पालीवाल जी के इस संशोधन का कि यह जनमत के लिये भेजा जाय और प्रवर समिति को भेजा जाय इसका मैं घोर विरोध करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं और उनको तहेदिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अहम मौके पर जब कि एक झगड़ा चल रहा था उस समय इतना अच्छा बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इस सभी लोगों को विदित है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आफिशियल लैन्गुएज ही है।

श्री तुलाराम रावत---लेकिन हम इसको राष्ट्रभाषा भी बनाना चाहते हैं और सभी प्रांतों में इस चीज का प्रयत्न हो रहा है कि हमारी हिन्दी अपनाई जाय। ऐसी अवस्था में जब कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होने जा रही है और हो जायगी हमें विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जाय कि यह जनमत के लिये घुमाया जाय और इसमें इतना गतिरोध बना रहे यह ठीक बात नहीं होगी। मान्यवर, रिसीवर के बारे में सन् ५० में जो झगड़ा हुआ और उसके बाद रिसीवर नियुक्त हुआ। उसके बारे में मुझे याद है कि रिसीवर एक लीगल रिसीवर है, एक वैधानिक रिसीवर को किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है, वह हिन्दी की उन्नति कर सके; ऐसी अवस्था में हम हिन्दी का गतिरोध नहीं बरदाश्त कर सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हिन्दी की उन्नति का होना रहे जो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। इसके लिये एक ऐसी संस्था होनी चाहिये जो कि हिन्दी की भलाई के लिये, जो उसमें कमियां हैं, उसके लिये सोचे। मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने निवेदन करता हूं कि इसमें इतना गतिरोध रहा इसके प्रकाशन में छोटी सी मिसाल देता हूं, कि पृथ्वीराज रासो, जिसके लिये न मालूम कितनी आवश्यकता इस वक्त हरएक विश्वविद्यालय में है, हिन्दी प्रेमियों को है, लेकिन सिर्फ एक पहला संस्करण हुआ और उसके बाद कोई उसका संकरण न निकल सका। इसमें इतनी शिथिलता आ गई है कि इसका प्रचार अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो जो अन्तरिम बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई है उसके द्वारा यह सब चीजें दूर हो जायेंगी और जैसा पालीवाल जी ने कहा अन्तरिम बोर्ड और स्थायी समिति में क्या अन्तर है, वह अगर ध्यान से पढ़े तो मालूम हो जायगा कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम झगड़े को जल्द से जल्द निपटा सकते हैं।

मान्यवर, हिन्दी भाषा हमारे प्रांत ही की भाषा नहीं है, देश की ही नहीं भाषा हो रही है, बल्कि हिन्दी भाषा का सम्मान विदेशों में अधिक होता रहा है। मान्यवर, कल ही की बात है वाराणसी में एक रूसी प्राच्य विद्या के नेता जिनका नाम पी० ए० वारिनकोव है, वह बाराणसी में कल आये उन्होंने बताया कि हिन्दी का सम्मान उनके देश में कितना है, किस प्रकार से हिन्दी का वहां पर प्रचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में तो हिन्दी का प्रचार इतनी तेजी से हो रहा है जितना कि भारतवर्ष की किसी यूनिवर्सिटी में न होता होगा। उन्होंने बताया कि तुलसी कृत रामचरित मानस का अनुवाद हुआ उसकी ३ लाख प्रतियां पहले संस्करण में छापी गई वे सब बिक गईं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ अगस्त, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर)

जिला जालौन में प्रत्येक तहसील में जो गृह उद्योग चल रहे हैं एवं गत दो वर्षों से जो सहायता दी गई उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

तहसील कालपी—

इस तहसील में मुख्यतः चर्म शोधन उद्योग, खादी उद्योग, हस्त निर्मित कागज उद्योग और करघा उद्योग चल रहे हैं।

चर्म विकास योजना के अन्तर्गत इस तहसील में एक चर्म शोधन केन्द्र खोला गया और एक सरकारी समिति की स्थापना की गई। इस समिति को ५,००० रुपये का ऋण तथा १५,००० रूपये का अनुदान दिया गया।

खादी विकास के लिये एक खादी कताई केन्द्र खोला गया। ९६० रूपये का अनुदान दिया गया और ९८ चर्खे बांटे गये।

एक हस्त निर्मित कागज केन्द्र चल रहा है जिसकी उन्नति के लिये हस्त निर्मित कागज सहकारी समिति को ५,००० रूपये का ऋण तथा २,००० रूपये का अनुदान दिया गया।

हस्त करघा योजना के अन्तर्गत तीन करघा सहकारी समितियां चालू हैं। एक बिक्री केन्द्र खोला गया और एक उत्पादन सहकारी समिति बनाई गई।

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ४,५०० रुपये का ऋण और २,५०० रुपये का अनुदान दिया गया।

तहसील जालौन और तहसील कौंच—

इन तहसीलों में मुख्यतः करघा उद्योग चल रहा है और इसकी उन्नति के लिये माधौ गढ़, रामपुर एवं जालौन में करघा बुनकरों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियां संगठित की गई हैं।

तहसील उरई—

इस तहसील में मुख्यतः खादी उद्योग व करघा उद्योग चल रहे हैं। उरई शहर में एक खादी केन्द्र खोला गया। इसकी उन्नति के लिये ३,१२० रुपया अनुदान के रुप में दिया गया और ३१८ चर्खे बांटे गये।

करघा योजना के अन्तर्गत दो सहकारी समितियां खोली गई। यह समितियां उत्पादन भी करती हैं। इन्हें निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई:—

	रु०	आ०	पा०	
१—छूट के रुप में	२३,१९४	५	०	
२—ऋण	१२,४९१	१४	६	
३—बिक्री केन्द्र और रंगाई घर खोलने के लिये ..	६,२७८	१२		का अनुदान
४—उन्नतिशील यंत्रों के लिये	३१८	१०		

इसके अतिरिक्त इस तहसील में सात अन्य सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

तालिका 'क'

सीजन १९५४–५५ तथा १९५५–५६ के शेष गन्ने के मूल्य की विवरण तालिका

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	सीजन १९५४–५५ के गन्ने का शेष मूल्य जो १६–५–५६ को देना था।	सीजन १९५५–५६ के गन्ने का शेष मूल्य जो ३१–५–५६ को देना था।
		लाख रुपयों में	
१	२	३	४
१	बेगमाबाद	००	३·७१
२	मोहिद्दीनपुर	००	०·०३
३	सिम्मौली	००	०·०४
४	दौराला	००	०·०८
५	सकौटी टांडा	०,६७*	३·९३
६	बुलन्दशहर	०,२१*	७·६९
७	शामली	००	६·७३
८	खतौली	०·४९*	४·४८
९	रोहाना	००	३·५७
१०	मंसूरपुर	०,०१*	७·६९*
११	सहारनपुर	०·१०*	८·५२
१२	लक्सर	००	६·७५
१३	देववन्द	००	०·४०
१४	इकबालपुर	०·५७*	२१·८३
१५	डोइवाला	०·६५*	०·५३
१६	बरेली	०·७५*	७·४६
१७	बहेड़ी	००	६·०४
१८	अमरोहा	०·३५*	३·४७
१९	विलारी	००	६·७७
२०	बिजनौर	०·१३*	०·४९*
२१	धामपुर	०·८८*	३·५७*
२२	सेवहारा	०·०६*	१·८५
२३	काशीपुर		५·३८
२४	पीलीभीत	०·२१*	१५·९०
२५	रामपुर	००	१०·१३
२६	रौजा	००	१२·८९
२७	नेवली	००	२·७१
२८	गोला	००	५·२१

*रिकवरी सर्टिफिकेट्स उक्त मिलों को जारी किये जा चुके हैं।

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	सीजन १९५४–५५ के गन्ने का शेष मूल्य जो १६–५–५६ को देना था ।	सीजन १९५५–५६ के गन्ने का शेष मूल्य जो १६–५–५६ को देना था ।
		लाख रुपयों में	
१	२	३	४
२९	ऐरा	००	०·४९
३०	हरगांव	००	६·६१
३१	महोली	००	७·२१
३२	विस्वां	००	१·७४
३३	बुढ़वल	००	०·४५
३४	बाराबंकी	००	१·३६
३५	मसौधा	००	०·२६
३६	शाहगंज	००	०·०४
३७	हरदोई	००	१·७६
३८	खलीलाबाद	००	०·०१
३९	नवाबगंज	००	०·१३
४०	जरवल रोड	०·०२*	३·६१*
४१	सरदारनगर	०·१६*	२·०१
४२	पिपराइच	००	२·२८*
४३	सिसवांकाजार	००	०·९३
४४	आनन्दनगर	००	०·०९*
४५	पुरतापपुर	००	०·०२*
४६	बैतालपुर	०·२०*	३·३१*
४७	गौरीबाजार	००	१·९६*
४८	देवरिया	०·०३*	२·३७*
४९	कैप्टनगंज	००	१·०९*
५०	खड्डा	३·१९*	५·१८*
५१	छितौनी	००	१·३३*
५२	लक्ष्मीगंज	०·०१*	०·८५
५३	रामकोला (प)	००	१·८३
५४	रामकोला (ख)	००	१·५४*
५५	पडरौना	०·८१*	४·१९
५६	कठकुइयां	००	०·७८
	योग ..	९·५०	२१६·२८

*रिकवरी सर्टिफिकेट्स उक्त मिलों को जारी किये जा चुके हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

तालिका 'ख'

सीजन १९५३–५४ में जिन मिलों के विरुद्ध गन्ना मूल्य तथा उस पर सूद की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये उनकी सूची।

१—बरेली
२—सिसवा बाजार

सूद की धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

सीजन १९५४–५५ में जिन मिलों के विरुद्ध गन्ना मूल्य तथा उस पर सूद की वसूली के लिए सर्टिफिकेट जारी किये गये उनकी सूची।

१—लक्सर
२—इकबालपुर
३—दोईवाला
४—बरेली
५—बिजनौर
६—शाहगंज
७—पिपराइच

सूद की धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी ए० पी०—१५९ एल० ए०—१९५६—७९६।